पेसा कानून : संविधान के रास्ते गाँव स्वराज

पेसा कानून और जन सहभागिता

कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण मैनुअल

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) | आस्था संस्थान

Manual_Handbook.indd 1 20/03/20 6:24 pm

पेसा कानून : संविधान के रास्ते गाँव स्वराज

पेसा कानून और जन सहभागिता

कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण मैनुअल

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) | आस्था संस्थान

कवर डिज़ाइन एवं लेआउट
अखिल श्रीवास्तव

ट्रेनिंग टीम
अरुण कुमार सिंह
ऋचा
विनोद नेहरा
जितेन्द्र चाहर
उर्मिला शर्मा
धीरज साल्वी
लतिका सिसोदिया
जीवंत लाल परमार
कारुलाल कोटेड
कुरीलाल खोखरिया

मुद्रकः
डिजाइन्स एण्ड डाइमेंशंस
एल/5-ए, शेख सराय, फेज-2
नई दिल्ली-110017
मोबाः 9810686122

सीमित वितरण हेतु
जनहित में
पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) की ओर से तैयार,
आस्था संस्थान, उदयपुर के लिए प्रकाशित
मार्च, 2020

भूमिका

जनसंगठनों तथा आदिवासी जनता के तमाम संघर्षों की बदौलत पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम (पेसा) 1996 में बन तो गया लेकिन आज 23 साल बाद भी यह कानून धरातल पर लागू नहीं हो पाया है। इसके लागू न हो पाने की प्रमुख वजहों में से एक प्राकृतिक संसाधनों पर कॉर्पोरेट लूट को सुगम बनाने के लिए सरकारों द्वारा इस कानून को लागू करने में दिखाई गई अनिच्छा है तो वहीं दूसरी वजह आम आदिवासी समाज तक इस कानून की पहुंच का अभाव भी रहा है।

भारत के आदिवासी बहुल राज्यों में कानून बनने और उसके क्रियान्वयन के बीच के इस अंतर को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों द्वारा पाटने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रक्रिया में एक पहल राजस्थान के डुंगरपुर जिले के दो प्रखण्डों- दोवड़ा और बिछिवाड़ा में, 62 पंचायतों के 195 गांवों में की गई। तीन सामाजिक संस्थाओं आस्था, पीस, श्रुति तथा एक जनसंगठन वागड़ मजदूर किसान संगठन के संयुक्त प्रयासों के तहत इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासी समाज को पेसा कानून और उसके तहत अधिकारों से न केवल परिचित करवाया गया बल्कि पेसा कानून के तहत मिले, गांव विकास नियोजन के प्रस्ताव तैयार करने के अधिकार के लिए उनकी क्षमता का वर्धन भी किया गया। इसके लिए 195 गांवों से आये सहभागियों के साथ कार्यशालायें की गईं। दो फेज में चली इस कार्यशाला में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि समुदाय की अपने प्राकृतिक संसाधनों तथा उनके इस्तेमाल पर एक साझा समझ का विकास किया जा सके, जिससे कि समुदाय का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दखल बना रहे।

हम यहां डुंगरपुर में चली इन कार्यशालाओं में इस्तेमाल किए गए प्रशिक्षण मैनुअल को इस उम्मीद के साथ साझा कर रहे हैं कि इसका अन्य स्थानों पर भी पेसा कानून को लेकर चल रहे संघर्षों तथा समुदाय के शिक्षण-प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया जा सके। मॉड्यूल में इस्तेमाल किए अभ्यासों के पीछे के उद्देश्यों से लेकर पठन सामग्री तक, हर भाग को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तथापि यह मैनुअल एक निश्चित क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है अतः इसके इस्तेमाल के दौरान अपने क्षेत्र की परिस्थितियों एवं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसका अनुकूलन किया जाना उचित रहेगा।

Manual_Handbook.indd 5 20/03/20 6:24 pm

Manual_Handbook.indd 6 20/03/20 6:24 pm

संदर्भ

सन 1992-1993 में भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन में देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। लेकिन जल्द ही यह महसूस किया जाने लगा कि पंचायती राज के प्रावधानों में अनुसूचित क्षेत्रों- विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों- की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए **'पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम' 1996 बनाया गया, जिसे 24 दिसम्बर, 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। यह कानून पेसा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अंग्रेजी में इस कानून का नाम, 'प्रोविजन आफ पंचायत एक्टेशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, 1996' है।**

वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था राज्य सत्ता की आधारभूत इकाई है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। वह वास्तव में न तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है और न समाज का सहभागी स्वरूप। इसलिए पंचायती राज अधिनियम, 1992-1993 (73वां सविधान संशोधन) का आदिवासी क्षेत्रों में सशक्त विरोध हुआ और विभिन आदिवासी समुदायों ने कहा कि यह व्यवस्था हमारी परंपरा को तहस नहस कर देगी। इसलिए हमारे लिए संविधान में आवश्यक संशोधन कर नये कानून बनाए जाएं। आदिवासियों की इस मांग पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव की सरकार ने सांसद **श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसे भूरिया कमेटी के नाम से जाना गया**। इस 11 सदस्यों की कमेटी को आदिवासियों की बातें सुनकर उनकी परंपरा के अनुरूप एक कानून के दस्तावेज (ड्राफ्ट) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कमेटी ने काफी खोजबीन के बाद जो दस्तावेज/ ड्राफ्ट पेश किया, उसे 'दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का ड्राफ्ट' के नाम से जाना गया। बाद में इसी ड्राफ्ट के आधार पर इसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 'पेसा' कानून, पंचायती राज विस्तार अधिनियम कहा गया।

पेसा कानून के बनते ही आदिवासी इलाकों में उत्साह का माहौल बना, क्योंकि इस विस्तार अधिनियम में **'परंपरागत आदिवासी व्यवस्था'** को मान्यता दी गई थी। सभी इलाकों में इस कानून को अमल में लाने को लेकर जोरदार रैलियां हुईं और जगह-जगह इससे संबंधित शिलालेखों को गाँव के प्रवेश द्वार पर खड़ा किया जाने लगा। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका डॉ. बीडी शर्मा ने निभाई और इस कानून की व्याख्या को गाँव सभा में जाकर निरक्षर आदिवासियों को समझाया गया। इस कानून की चार बड़ी विशेषताएं हैं-

- **गाँव की सीमा के अंदर आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों पर गाँव सभा का अधिकार।**
- **गांव, बसावट, टोला, फला एवं उसके संचालन के रीति रिवाज को संवैधानिक मान्यता मिलना।**
- **गांव सभा की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार के गाँव विकास कार्य गांव के भीतर न होना।**
- **लघु वनोपज, गौण खनिज पर गांव सभा को मालिकाना हक मिलना।**

उपरोक्त चारों बातें पेसा कानून के अनुरूप गांव में लागू की जाती तो पिछले 23 वर्षों में गांव की तस्वीर बदलती-सी दिखती। गांव सभा और उस को संचालित करने वाला समुदाय पिछले दो दशकों में इतना ताकतवर अवश्य हो गया होता कि स्वशासन और स्वालंबन की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा सकता था।

लेकिन खेद की बात यह है कि पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों में से किसी ने भी इस कानून के प्रति कोई निष्ठा नहीं दिखाई और न तुरंत इससे संबंधित रूल्स (नियम) बनाने की कोशिश की। अब तक महज 4 राज्यों ने संबंधित रूल्स बनाए हैं लेकिन वो भी केंद्रीय कानून के अनुरूप नहीं है।

'पेसा' कानून, 'पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया एक्ट' 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं इसको बने हुए 23 वर्ष बीत गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेसा कानून से संबंधित रूल्स/नियम कई राज्यों में अब तक नहीं बने हैं। महज 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने इससे संबंधित नियम बनाएं। झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया, जिसको नियम से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार करना है। पेसा कानून के प्रावधान अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। सरकारी एजेंसियों की तरफ से पेसा कानून को लेकर एक निष्क्रियता दिखती है। आखिर इस कानून के प्रति संबंधित राज्यों में इतनी उदासीनता क्यों है? इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है।

'पांचवीं अनुसूची' भारत के संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर इसका पालन सही ढंग से किया गया होता तो आदिवासी इलाकों की तस्वीर बदल सकती थी। **लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आजाद भारत की सरकार को नवउदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत चाहिए था 'विदेशी निवेश' और 'विकास'।** इस विकास के लिए जो संसाधन चाहिए, वह आदिवासी क्षेत्रों में

Manual_Handbook.indd 7 20/03/20 6:24 pm

मुख्य रूप से केंद्रित/उपलब्ध हैं। प्राकृतिक संसाधन (जल-जंगल-जमीन और खनिज) वही पर हैं, जहां आदिवासी बसे हैं। देश का 80 प्रतिशत खनिज, जल और जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में हैं जहाँ सदियों से आदिवासी रहते आये हैं। पांचवीं अनुसूची का प्रावधान कहता है कि किसी भी तरह का गाँव विकास बिना आदिवासी समुदाय की सहमति या उनसे पूछे बगैर नहीं हो सकता है। इसके लिए पेसा कानून में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (जनजातीय परामर्श परिषद) की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं संबंधित राज्यों के राज्यपालों को पांचवीं अनुसूची का 'संरक्षक' बनाया गया है। बावजूद इसके 'पेसा' कानून का पालन नहीं किया जा रहा है।

देश के आदिवासी समुदायों के दबाव में आकर तत्कालीन केंद्र सरकार ने पेसा कानून बना तो दिया, किंतु बनने के बाद से ही यह कानून भारत की तमाम सरकारों की कॉर्पोरेट समर्थित नीतियों में बार-बार आड़े आ रहा है। उदाहरण के लिए पेसा कानून के तहत किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण के लिए गांव सभा की अनुमति का प्रावधान, प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेट शक्तियों को सौंपने में अड़चन डाल रहा है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम प्राकृतिक संसाधन बहुल राज्यों में प्रशासन के सहयोग के बावजूद कंपनियां संसाधनों पर कब्जा नहीं जमा पा रही हैं। यही वजह है कि पेसा कानून को उसके अंतर्वस्तु के अनुरूप लागू करने के लिए किसी भी राज्य की सरकार इच्छा जाहिर नहीं कर रही है।

सरकारें एक तरफ तो खुद इस कानून को लागू नहीं कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यह आम आदिवासी समुदायों को भी इससे अनभिज्ञ रखे हुए हैं। पेसा कानून की पूर्ण व सही जानकारी न होने की वजह से यह समुदाय अपने विकास के लिए इसका लाभ नहीं उठा पा रहे है।

हमने इस मैनुअल के जरिए पेसा कानून की तमाम बारिकियों को व्यवहारिक अभ्यासों के जरिए समझाने की कोशिश की है जिससे कि गांव सभाएं अपने हकों को जानते हुए इसके प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए न केवल अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकें बल्कि उनका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए स्थाई विकास की योजना बना सकें।

अनिल चौधरी
पीस, नयी दिल्ली
मार्च, 2020

Manual_Handbook.indd 8 20/03/20 6:24 pm

मैनुअल के बारे में...

यह मैनुअल 'पढ़ो और करो' की तर्ज पर तैयार किया गया है। मैनुअल में कुल मिलाकर चौदह अभ्यास शामिल हैं, जो कि दो फेज की कार्यशालाओं में किए जाने है। प्रत्येक अभ्यास के साथ एक 'फेसिलिटेटर के लिए नोट' भी दिया गया है। किसी भी अभ्यास को चलाने से पूर्व यह आवश्यक है कि 'फेसिलिटेटर के लिए नोट' पर नजर डाल लें। इस नोट में अभ्यास से संबंधित प्रक्रिया और विषय-वस्तु के बारे में लिखा गया है। जिन अभ्यासों में वैचारिक फोकस ज्यादा है, उनमें 'फेसिलिटेटर के लिए नोट' के अतिरिक्त 'पठन सामग्री' भी दी गई है।

Manual_Handbook.indd 10 20/03/20 6:24 pm

पहला फेज

Manual_Handbook.indd 12 20/03/20 6:24 pm

कार्यशाला : पहला फेज

दिन	अभ्यास, अनुमानित समय और उद्देश्य	अभ्यास के विभिन्न चरण और अनुमानित समय		
		चरण- 1 (समय)	चरण- 2 (समय)	चरण- 3 (समय)
पहला दिन	**अभ्यास -1** » **परिचय :** एक एक दूसरे से जान-पहचान **उद्देश्य :** साथियों के बीच झिझक और तनाव को दूर करने की और बढ़ना » प्रशिक्षण कार्यशाला के उदेश्यों पर स्पष्टिकरण। **(समय : 4-5 घंटा)**	झिझक व तनाव दूर करने के लिए सामूहिक गतिविधि। **(समय : 20-30 मिनट)**	औपचारिक संक्षिप्त परिचय जैसे-नाम/ गाँव/शैक्षणिक योग्यता/ आजीविका के साधन के बारे में साथियों के द्वारा परिचय देना। **(समय: 40-50 मिनट)**	विस्तृत परिचय : छोटे समूहों में बातचीत/चर्चा कर प्रस्तुती। • इसमें गाँव व परिवार के बारे में आपस में जानकारियां लेना व देना। • गाँव की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते है? पर भी बातचित करना। **(समय : 3 से 3-30 घंटा)**
दूसरा दिन	**अभ्यास - 2** » एक परिवार की सम्मानजनक/ सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए क्या-क्या जरूरत है? उसकी सूची बनाये। **उद्देश्य :** सहभागियों के बीच आजीविका की अवधारणा की समझ विकसित करना। **(समय : 4 से 5 घंटा)**	» परिवार के सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए क्या जरूरतें है? उसकी सूची बनाये। **(समय : 3 से 3:30 घंटा)**	» **सूचीबद्ध जरूरतों को तीन श्रेणियों में बाँटना।** 1. बुनियादी जरूरतें 2. परिवार के विकास की जरूरतें 3. सामाजिक प्रतिष्ठा की जरूरतें **(समय : 30 से 40 मिनट)**	» आज की तारिख में परिवार की जो जरूरतें है? वह कहाँ से पूरी होती है? इनकी सूची बनाना **(समय : 1 से 1:30 घंटा)**
तीसरा दिन	**अभ्यास - 3** » अपने गाँव के इतिहास के बारे में बताये। **उद्देश्य :** सहभागियों में गाँव के एतिहासिक पृष्टभूमि पर साझा समझ विकसित करना। **अभ्यास - 4** » अपने गाँव का नजरिया नक्शा तैयार कीजिये। **उद्देश्य :** सहभागियों के बीच संसाधनों की मैपिंग पर क्षमता का विकास करना। **(समय : पूरा दिन)**	**अभ्यास 3** के लिए सहभागी अपने गाँव के समूहों में बैठ कर निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर गाँव के निष्कर्षों को चार्ट पर लिखेंगे- » गाँव कितना पुराना है?, गाँव किसने बसाया?, गाँव का नाम कैसे पड़ा?, गाँव में कितने फले और कौन-कौन से अटक के लोग रहते हैं? तथा गाँव के प्रमुख त्यौहार तथा रिति-रिवाज क्या है? **(समय : 30 से 40 मिनट)** **अभ्यास 4** के लिए सहभागी अपने गाँव के समूहों में बैठ कर सामूहिक चर्चा के माध्यम से अपने गाँव का नजरिया नक्शा तैयार करेंगे- » अपने-अपने गाँव का नजरिया नक्सा तैयार करना। **(समय : पूरा दिन)**			

Manual_Handbook.indd 13 20/03/20 6:24 pm

चौथा दिन	**अभ्यास - 5** » सहभागियों की संसाधनों पर विश्लेषण की क्षमता, संसाधनों को बेहतर करने की योजना पर समझ निर्माण का कार्य करना **उद्देश्य :** प्रतिभागियों की आजीविका के संसाधनों पर विश्लेषण की क्षमता का विकास और प्रतिभागियों की योजना पर समझ विकसित करना। **(समय : पूरा दिन)**	» अपने गाँव में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाये। अभी संसाधनों की स्थिति कैसी है उन्हें बेहतर बनाने की योजना तैयार कीजिये। **(समय : 2-3 घंटा)**	» अपने गाँव में मौजूद मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाये। अभी इन संसाधनों की हालत कैसी है, उन्हें बेहतर बनाने की योजना तैयार कीजिये। **(समय : 2-3 घंटा)**	» अपने गाँव में लागू सरकारी योजनाओं की सूची बनाये। योजनावार इनके क्रियान्वन की स्थिति कैसी है? इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वन कैसे करवाया जा सकता है। **(समय : 2-3 घंटा)**
पांचवा दिन	**अभ्यास - 6** » कार्यशाला से वापस गाँव में जाकर क्या क्या करना होगा? उसकी योजना तैयार करना। **उद्देश्य :** सहभागियों में कार्य योजना बनाने की समझ को विकसित करना। **अभ्यास - 7** » कार्यशाला के प्रथम फेज का मुल्यांकन। **उद्देश्य :** सहभागियों से कार्यशाला के बारे में फीडबैक लेना और मूल्यांकन करना। **(समय : 5 से 6 घंटा)**	**अभ्यास 6** में सहभागियों को चर्चा कर निम्न कार्य करना है- » कार्यशाला से वापस गाँव में जाकर गाँव में उपलब्ध संसाधनों की सूची, उनकी हालत और बेहतर करने की योजना तैयार करना। » गाँव की जानकारी एकत्रित करना। » गाँव का नजरिया नक्शा तैयार करना। **उपरोक्त तीनों कार्य करने के लिए गाँव में क्या-क्या करना होगा? उसकी योजना तैयार कीजिये।** **(समय : 3 से 4 घंटा)** **अभ्यास 7** के माध्यम से सहभागियों से कार्यशाला का फीडबैक लेना और मूल्यांकन करना- » सहभागियों के बीच एक-एक कर सवाल रखना और सहभागियों की राय लेना। **(समय : 1 से 1.30 घंटा)**		

नोट :

- कार्यशाला में अभ्यास और उसके चरणों के लिए जो समय दिया गया है, वह अनुमानित है। इसमें परिस्थितयों के अनुसार थोडा बहुत बदलाव किया जा सकता है।
- यह ध्यान रखा जाय कि पांच दिनों में सभी अभ्यास और उसके चरण पूरे किये जायें।

Manual_Handbook.indd 14 20/03/20 6:24 pm

पहला दिन

अभ्यास – 1 (समय : 4 से 5 घंटे)

परिचय : एक-दूसरे से जान-पहचान।

{यह अभ्यास तीन चरणों में बंटा है। सहभागियों के सम्पूर्ण परिचय तथा सहजता के लिए तीनों चरण पूरे किए जाने जरूरी हैं}

सीखने का उद्देश्य : इस सत्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं।

- **सहभागियों के बीच की झिझक और तनाव दूर करने की ओर बढ़ना।**
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों पर स्पष्टीकरण।**

चरण - 1

प्रक्रिया :

- सबसे पहले सहभागियों को एक गोल घेरे में खड़े होने के लिए कहें। बेहतर यह होगा कि सहभागी हॉल में फैलकर गोल घेरा बनाएं।
- सहभागियों को गोल घेरे में धीरे-धीरे टहलते रहने को कहें।
- सहभागी जब गोल घेरे में टहल रहे हों, तो उन्हें यह बताया जाय कि अब फेसिलिटेटर समूह में से कोई एक सदस्य थोड़ी-थोड़ी देर में एक वक्तव्य बोलेगा और जिन सहभागियों से वह वक्तव्य मेल खाते हों, वे घेरा तोड़ कर बीच में आकर खड़े हो जाएं तथा बाकी सहभागी ताली बजाकर उनका स्वागत करें।
- एक-डेढ़ मिनट के अंतराल पर वक्तव्य निर्देश के रूप में देते रहें।
- प्रक्रिया पूरी होने पर सभी सहभागियों को अपने स्थान पर बैठने को कहें।
- **समय : 20 से 30 मिनट**

Manual_Handbook.indd 15 20/03/20 6:24 pm

चरण - 2

प्रक्रिया :

- एक बार जब सभी सहभागी आराम से बैठ जाएं तो उन्हें एक-एक कर अपना संक्षिप्त परिचय देने को कहें।
- संक्षिप्त परिचय के लिए बिंदु इस प्रकार होंगे-
  - नाम ?
  - कहाँ से आये हैं ?
  - शैक्षिक योग्यता ?
  - आजीविका चलाने के लिए क्या करते हैं ?
- **समय : 30 से 40 मिनट**

चरण - 3

सभी सहभागियों से कहें कि वह हॉल में घूमना शुरू करें तथा अपने लिए दो-दो साथी चुनें। (इस तरह सभी सहभागी तीन-तीन के छोटे समूहों में बंट जायेंगे) सहभागियों द्वारा साथी चुनने के दौरान ही विस्तारपूर्वक परिचय के लिए बिन्दुओं को लिखकर दीवार/ब्लैक बोर्ड पर चिपका दें। विस्तृत परिचय के लिए निम्नलिखित बिन्दु इस प्रकार होंगे-

- **आप जिस गाँव/फला में रह रहे हैं उसके बारे में बताइए।**
- **अपने घर, परिवार के बारे में; परिवार में कुल कितने सदस्य (बच्चे-बुजुर्ग)हैं, कितने सदस्यों को रोजगार प्राप्त हैं ?**
- **आप अपने गाँव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं ?**

प्रक्रिया :

- पहले सभी सहभागियों को गोल घेरे में टहलने के लिए कहें।
- सहभागियों से दो ऐसे साथियों का चयन करने के लिए कहें जिन्हें वह नहीं जानते हैं।
- तीन-तीन के समूह में बैठे सभी सहभागी उपरोक्त बिंदुओं पर अपने साथ बैठे व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- तीन के समूह के प्रस्तुतिकरण के लिए सभी सहभागी एक-दूसरे के बारे में बड़े समूह को बताएंगे।
- परिचय की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद सभी सहभागियों को व्यवस्थित रूप से बैठ जाने दें और फिर फेसिलिटेटर कार्यशाला के उद्देश्यों को स्पष्ट करें।
- **समय : 3 से 3.30 घंटे**

Manual_Handbook.indd 16 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

कार्यशाला के संदर्भ में

कार्यशाला में आये सहभागियों को आराम से अपना स्थान ग्रहण करने को कहें। इसके बाद उनसे कार्यशाला के दौरान उनके रहने, खाने, दवा, फोन आदि की व्यवस्था के बारे में बतायें। अपनी संस्था/संगठन की तरफ से उनका स्वागत करें एवं अपना परिचय दें तथा परिचय सत्र को विधिवत आरंभ करें।

फेसिलिटेटर टीम के साथी परिचय सत्र के दौरान सहभागियों द्वारा दी जा रही जानकारियों को गंभीरता से नोट करें, जिससे सहभागियों की आजीविका के साधन, परिवार में उनकी भूमिका और अपने गाँव को बेहतर बनाने के लिए वे क्या करना चाहते है, की पूरी जानकारी हमारे पास लिपिबद्ध हो। इन जानकारियों का कार्यशाला संचालन में महत्वपूर्ण स्थान है। समूह बनाने, समूह चर्चा तथा मुद्दा विशेष पर अलग से समूह बनाने में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है।

'गाँव विकास योजना' विषय पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण दो फेज में पूरा होगा। दोनों फेज में सहभागियों के सीखने का फोकस अलग-अलग होगा। जहां **पहले फेज का फोकस समझ अथवा ज्ञान के साथ-साथ संसाधनों की मैपिंग और उनके साझा इस्तेमाल की समझ के पक्ष पर होगा वहीं दूसरे फेज का फोकस गाँव विकास नियोजन के पक्ष पर होगा।** चूंकि कार्यशाला दो फेज में सम्पन्न होगी; अतः कार्यशाला का पहला सत्र इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा कि इसमें सहभागियों को यह महसूस हो कि यह कार्यशाला उनके अपने गाँव के विकास नियोजन के लिए, स्वयं की क्षमताओं के विकास के लिए है।

कार्यशाला के पहले सत्र की प्रक्रिया में एक फेसिलिटेटर के रूप में आप सुनिश्चित करें कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सहभागी तनाव न महसूस करें। बेहतर होगा कि परिचय के दौरान सहभागी और फेसिलिटेटर गोल घेरे में ही बैठें और सभी इस प्रक्रिया में शामिल हों। शुरूआती दौर में सहभागियों की समानताएं-असमानताएं, पसंद-नापसंद पर आधारित परिचय के लिए फेसिलिटेटर समूह की ओर से किसी एक सदस्य द्वारा ही यह प्रक्रिया चलाई जायेगी, जिसमें कि सहभागियों के साथ ही बाकी फेसिलिटेटर समूह के सदस्य भी शामिल हो सकें। इस प्रक्रिया की शुरूआत में फेसिलिटेटर सहभागियों को बतायेगा कि पहले प्रशिक्षण हॉल/बाहर खुले लॉन में एक बड़ा गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाएं। सहभागी जब गोल घेरे में टहल रहे हों, तो उन्हें यह बताया जाए कि अब फेसिलिटेटर समूह में से कोई एक सदस्य थोड़ी-थोड़ी देर में गोल घेरे के बीच में आकर एक वक्तव्य बोलेगा। जिन सहभागियों से वह वक्तव्य मेल खाते हों, वे घेरा तोड़ कर बीच में खड़े हो जाएं। बाकि साथी तालियों से इन साथियों का स्वागत करेंगे। इस तरह एक-डेढ़ मिनट के अंतराल पर वक्तव्य निर्देश के रूप में देते रहें। आपकी सुविधा के लिए कुछ वक्तव्य इस प्रकार हो सकते हैं-

- तीस वर्ष से कम उम्र के
- पैंतीस वर्ष से कम उम्र के
- शादी शुदा
- गैर शादी शुदा
- बाल-बच्चे दार
- एक बच्चे वाले
- दो बच्चे वाले
- दो से अधिक बच्चे वाले
- मैट्रिक तक पढ़े-लिखे
- इन्टर तक पढ़े-लिखे
- ग्रेजुएट
- ग्रेजुएशन से अधिक पढ़े-लिखे

इस तरह के तमाम वक्तव्य, जिससे सहभागियों में समानताओं और असमानताओं के आधार पर अनेकता में एकता स्पष्ट हो सके, और सहभागियों को यह समझ आए कि वह समूह में अलग नहीं हैं। उनके तरह के और लोग भी समूह में मौजूद हैं। इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से अधिकतम 30-35 मिनट तक चलायें।

Manual_Handbook.indd 17 20/03/20 6:24 pm

इस प्रक्रिया के बाद सहभागियों को गोल घेरे में आराम से बैठने को कहें। सहभागियों के बैठ जाने के बाद उन्हें अपने नाम, गाँव और आजीविका के साधनों के बारे में बताने को कहें। इससे सहभागियों की आपस में जान-पहचान के लिए एक और अवसर खुलेगा।

फेसिलिटेटर समूह को सभी सहभागियों को बोलने और सुनने के लिए पर्याप्त गुंजाइश बनाये रखनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह कोशिश रहनी चाहिए कि सभी सहभागी एक-दूसरे का नाम-पता आदि ध्यानपूर्वक सुनें। शुरू-शुरू में कई सहभागी परिचय के दौरान अपने बारे में बड़े समूह में बताने में दिक्कत महसूस करते हैं और इस कारण से कभी-कभी धीमी आवाज में अपने बारे में बताते हैं। अतः ऐसे समय में फेसिलिटेटर समूह को हस्तक्षेप करते हुए सहभागियों के नैसर्गिक व्यवहार को सम्मान देते हुए या तो उनको दुबारा से अपने बारे में बताने को कहें या स्वयं ही सहभागी के वक्तव्य को ऊंची आवाज में दुहराये, जिससे, सभी सहभागी सुन सकें।

इस प्रक्रिया के बाद फेसिलिटेटर सहभागियों को बतायेगा कि पहले प्रशिक्षण हॉल में घूमते हुए अपने लिए दो-दो साथी चुनें। सहभागियों द्वारा साथी चुनने के दौरान ही विस्तारपूर्वक परिचय के लिए बिन्दुओं को लिखकर दीवार/ब्लैकबोर्ड पर चिपका दें। विस्तृत परिचय के लिए बिन्दु इस प्रकार होंगे-

- **गाँव/फला के बारे में जहां आप रह रहे हैं।**
- **अपने घर, परिवार के बारे में; परिवार में कुल कितने सदस्य (बच्चे-बुजुर्ग) हैं, कितने सदस्यों को रोजगार प्राप्त है ?**
- **आप अपने गाँव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं ?**

इस कार्य के लिए सहभागियों से कहें कि हॉल अथवा हॉल के बाहर कहीं भी शान्त जगह में बैठकर परिचय के लिए सुझाये गये बिन्दुओं के आधार पर अपने साथी के साथ चर्चा करें। आवश्यकतानुसार सहभागी चाहें तो परिचय बिन्दुओं को अपनी नोट बुक में नोट भी कर सकते हैं। सहभागियों को इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेना है, इसकी सूचना फेसिलिटेटर को अवश्य दे देनी चाहिए। इस कार्य की चर्चा के लिए सहभागियों को लगभग 30-40 मिनट का समय देना चाहिए। सहभागियों द्वारा अपने साथियों का परिचय प्राप्त करने के बाद सभी सहभागी एक-दूसरे के बारे में बड़े समूह को बताएंगे। सहभागियों को लगभग 3 घंटे का समय इस प्रक्रिया के लिए देना चाहिए। इस प्रक्रिया में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी प्रतिभागी अपना परिचय खुद न दे। **परिचय का क्रम इस प्रकार हो सकता है जैसे ए व्यक्ति बी का परिचय दे, बी व्यक्ति सी का परिचय दे तथा सी व्यक्ति ए का परिचय दे।**

परिचय समाप्त हो जाने के बाद एक छोटा ब्रेक दें। ब्रेक के बाद गीत या कोई खेल गतिविधि करवाएं जिससे कि परिचय का सत्र समाप्त हो जाने के बाद सहभागी अगली चर्चा के लिए व्यवस्थित रूप से तैयार हो सकें।

इसके बाद सहभागियों को कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में बताया जाये। **कार्यशाला के उद्देश्यों को चार्ट पेपर पर लिखें और सहभागियों को चर्चा का मौका प्रदान करें, ताकि वे इस विषय पर अपने मन में उभरने वाले प्रश्नों पर चर्चा कर सकें।** कार्यशाला के उद्देश्यों के साथ-साथ कार्य-पद्धति और विषय-वस्तु की मोटी-मोटी रूपरेखा सहभागियों के समक्ष रखें। इससे सहभागियों की सक्रियता बढ़ेगी और उनकी उत्तेजना कम करने में सहायक होगी।

अगर जरूरी हो तो इस सत्र के लिए सुविधानुसार एक पूरी सुबह या शाम ले लें। लेकिन यह ध्यान रहे कि **सहभागी जब प्रशिक्षण हॉल से बाहर निकलें तो उन्हें कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में मालूम हो और साथ ही यह भी उन्हें स्पष्ट हो कि इस पूरे कार्यक्रम में उनकी क्या भूमिका है।**

यह कार्यशाला दो फेज की है। दोनों फेज का फोकस सीखने के अलग-अलग स्तरों पर है। उद्देश्य निरूपण की प्रक्रिया के दौरान सहभागियों के समक्ष दोनों फेज के व्यापक उद्देश्यों को रखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रहे कि इस बात की गुंजाइश हमेशा बनी रहे कि **सहभागियों को यह महसूस होता रहे कि उनकी स्वयं की सीखने की जरूरत ही कार्यशाला के उद्देश्य हैं।** इसी प्रकार हमेशा यह ध्यान रखें कि इस पूरे सत्र की चर्चा में प्रत्येक सहभागी को यह महसूस हो

Manual_Handbook.indd 18 20/03/20 6:24 pm

कि प्रशिक्षण कार्यशाला में उनकी अपनी अहमियत है और सीखने की विषय-वस्तु उनकी अपनी है। उनके अपने जीवन अनुभव से जुड़ी है। इसका समूचा सरोकार उनके गाँव के विकास में उनकी भूमिका के लिए जरूरी है।

'गाँव विकास योजना' विषय पर कार्यशाला के उद्देश्य:

- **प्रतिभागियों की गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संबंध एवं उनके इस्तेमाल के लिए साझा समझ विकसित करना।**
- **प्रतिभागियों की संसाधनों की मैपिंग पर क्षमता का विकास करना।**
- **प्रतिभागियों का गाँव विकास नियोजन पर समझ का विकास करना।**

कार्यशाला के इस प्रथम फेज में हम पहले दो उद्देश्यों पर काम करेंगे। कार्यशाला के इस प्रथम फेज के उद्देश्यों को फेसिलिटेटर सरल ढंग से व्याख्यायित करें।

इसके बाद कुछ व्यवस्था संबंधी-रहने, खाने, पानी आदि पर बातें स्पष्ट कर दी जाएं। रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी निर्णय कर लिया जाए। इसके बाद कुछ आचरणगत बातें- लोगों की भावनाओं का सम्मान, परिसर को ठीक-ठाक रहने देने, खाने पीने का समय, कार्यशाला की समय-सारिणी आदि पर सहभागियों के साथ निर्णय लेकर इस सत्र को समाप्त किया जायें।

यदि सहभागियों की राय बन रही हो तो पहले दिन की कार्यवाही यहीं समाप्त कर दें और सभी लोगों को प्रशिक्षण हॉल के बाहर के क्रियाकलापों, बातचीत तथा विचार-विमर्श का मौका उपलब्ध करायें। इससे आपसी रिश्तों में सहजता तथा निकटता का सूत्रपात होगा।

Manual_Handbook.indd 19 20/03/20 6:24 pm

दूसरा दिन

अभ्यास – 2 (समय : 4.00 से 5.00 घंटे)

{यह अभ्यास तीन चरणों में विभाजित है।}

चरण – 1

➤ **एक परिवार की सम्मानजनक/सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए क्या-क्या जरूरतें हैं ? उसकी सूची बनाइए।**

उद्देश्य : इस अभ्यास का उद्देश्य है:

» सहभागियों के बीच आजीविका की अवधारणा की साझा समझ विकसित करना।

प्रक्रिया :

- सहभागियों से अपने परिवार के सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए क्या-क्या जरूरतें हैं? के बारे में थोड़ी देर सोचने के लिए कहें।
- कुछ देर बाद व्यक्तिगत रूप से उन्हें ''अपने परिवार की सम्मानजनक/सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए क्या-क्या जरूरतें हैं ?'' नोट बुक में सूची बनाने के लिए कहें। इस कार्य के लिए उन्हें 15-20 मिनट का समय दें।
- व्यक्तिगत रूप से सूची बन जाने के बाद सहभागियों को सात-आठ सदस्यों के छोटे समूहों में बांटें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में बैठने को कहें।
- प्रत्येक सहभागी अपने समूह के अन्य सदस्यों को बताए कि उसके द्वारा बनाई गई सूची क्या है?
- व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर बातचीत हो जाने के बाद सहभागियों को अपने-अपने समूह में "एक परिवार की सम्मानजनक/सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए जरूरतों" की सामूहिक सूची विकसित करने के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत समूहों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।
- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : 3 से 3.30 घंटे**

Manual_Handbook.indd 20 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

इस अभ्यास को पहले व्यक्तिगत रूप से सहभागियों को करने को कहें जिससे वे अपने परिवार में **सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए क्या-क्या जरूरतें हैं के बारे में स्मरण करें,** सोचें तथा अपने अनुभवों को लिपिबद्ध कर सकें। यदि सहभागी अलग बैठना चाहें तो उन्हें ऐसा करने हेतु प्रोत्साहित करें। कृपया समय सीमा का सख्ती से पालन न करें।

व्यक्तिगत तौर पर कार्य कर लेने के बाद सहभागियों को अपने अनुभव बांटने के लिए समूहों में बैठने को कहें। समूहों का निर्माण फेसिलिटेटर टीम नंबरों के आधार पर करें। एक समूह में 7-8 सहभागी ही हों तो बेहतर रहेगा और समूह में एक जीवंत चर्चा होगी तथा सभी की पूरी सहभागिता होने की प्रबल संभावना रहेगी।

चर्चा में जो बातें निकलकर आयेंगी उनमें जरूरतें और इच्छा के फर्क को इंगित किया जाना आवश्यक होगा। इसके बारे में एक संक्षिप्त इनपुट में जरूरतें और इच्छा के फर्क को स्पष्ट करना चाहिए। 'इनपुट' देते समय सहभागियों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण के बिन्दुओं के उदाहरणों को आधार बनाकर आगे बढ़ा जाय तो बेहतर होगा।

इसके बाद प्रस्तुतिकरण से निकल कर आई आवश्यकताओं को तीन श्रेणियों में बांटने के लिए सहभागियों के सामने सवाल रखा जाएगा। यहाँ आप कुछ उदाहरणों के माध्यमों से इन तीन श्रेणियों को समझा दीजिए-

- **जिंदा रहने के लिए बुनियादी जरूरतों** की श्रेणी में चावल, दाल, कपड़ा इत्यादि रखा जायेगा।
- **परिवार के विकास के लिए जरूरतों** की श्रेणी में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि रखा जायेगा।
- **सामाजिक जबावदेही/प्रतिष्ठा की जरूरतों** की श्रेणी में अतिथि सत्कार, मिठाई, जन्मदिन मनाने की जरूरतें इत्यादि रखा जायेगा।

इसके बाद फेसिलिटेटर इस अभ्यास के दूसरे चरण के कार्य के लिए सहभागियों को उन्हीं पुराने समूहों में बैठने को कहेगा।

Manual_Handbook.indd 21 20/03/20 6:24 pm

चरण – 2

- **इन जरूरतों को तीन श्रेणियों में बाँटिए-**
  - » जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतें
  - » परिवार के विकास की जरूरतें
  - » सामाजिक जवाबदेही/प्रतिष्ठा की जरूरतें

प्रक्रिया :

- सहभागियों को उन्हीं पुराने अपने-अपने समूह में बैठने को कहें।
- सहभागियों से अपने परिवार की जरूरतों को तीन श्रेणियों (जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतें, परिवार के विकास की जरूरतें तथा सामाजिक जवाबदेही/प्रतिष्ठा की जरूरतें) में बांटने के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।
- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : 30 से 40 मिनट**

Manual_Handbook.indd 22 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

सभी समूहों की प्रस्तुतियों के बाद फेसिलिटेटर सहभागियों के कार्यों की सराहना करे और प्रस्तुतियों के लिए सहभागियों को धन्यवाद दे, फिर इसी कार्य के अगले चरण के रूप में चर्चा शुरू करते हुए, सहभागियों के समक्ष अगले कार्य की चर्चा शुरू करते हुए, सहभागियों के समक्ष अगले कार्य की रूपरेखा उदाहरण देते हुए रखें। समूहों के प्रस्तुतिकरण से **सम्मानजनक जीवन जीने के लिये जो जरूरतें निकल कर आई हैं;** उन जरूरतों को तीन श्रेणियों (जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतें, परिवार के विकास की जरूरतें तथा सामाजिक जवाबदेही/प्रतिष्ठा की जरूरतें) में बांटने के लिए कहें। यह कार्य भी सहभागी पुराने समूहों में जाकर करेंगे। इस कार्य को चर्चा करके सहभागी बिन्दुवार लिखेंगे।

इनपुट इस प्रकार दिया जाय कि पूरे समूह का ध्यान परिवार की जरूरतों पर केन्द्रित हो सके तथा **प्रस्तुतिकरण पूरा हो जाने के उपरांत सभी समूहों के प्रस्तुतिकरण से निकल कर आई आवश्यकताओं को फेसिलिटेटर** दीवार/ब्लैक बोर्ड पर **तीन – श्रेणियों में बांटते हुए एक सामूहिक चार्ट तैयार करेगा ताकि सहभागियों के सामने एक समग्र तस्वीर उभर कर आ सके-**

जरूरतें

जिंदा रहने के लिए बुनियादी जरूरतें | **परिवार के विकास के लिए जरूरतें** | **सामाजिक प्रतिष्ठा की जरूरतें**

फेसिलिटेटर टीम के साथी प्रस्तुतिकरण के दरमियान सहभागियों द्वारा दी जा रही जानकारियों को गंभीरता से नोट करें जिससे सभी समूहों के परिवार की आवश्यकताओं की पूरी जानकारी हमारे पास लिपिबद्ध हो।

आपकी सुविधा के लिए कुछ उदाहरणों के माध्यमों से इसे समझा जा सकता है- **जिंदा रहने के लिए बुनियादी जरूरतों** की श्रेणी में चावल, दाल, आटा, मसाला, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, घी, लकड़ी, नदी-नाला, कुआँ, घर, कपड़ा, स्वास्थ्य इत्यादि रखा जायेगा। **परिवार के विकास के लिए जरूरतों** की श्रेणी में शिक्षा, यातायात, सड़क इत्यादि रखा जायेगा। **सामाजिक जबावदेही/प्रतिष्ठा की जरूरतों** की श्रेणी में अतिथि सत्कार, मिठाई, चाय नमकीन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट तथा दाह-संस्कार, तीज-त्यौहार, जन्म के समय, जन्मदिन मनाने पर, मेला इत्यादि रखा जायेगा। इन श्रेणियों में आवश्यकताओं की सूची की लम्बाई सहभागियों के प्रस्तुति में निकल कर आई आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।

ध्यान रहे इनपुट की समाप्ति के समय पूरे समूह का ध्यान अगले अभ्यास पर केन्द्रित हो। इसके लिए जरूरी है कि फेसिलिटेटर का हस्तक्षेप इस तरह से हो कि इनपुट की समाप्ति पर सहभागी स्वत: अगले अभ्यास पर सोचना शुरू कर दें।

Manual_Handbook.indd 23 20/03/20 6:24 pm

पठन सामग्री

सम्मानजनक जीवन जीने के लिये हमारी जरूरतें

किसी भी व्यक्ति या परिवार को समाज में सम्मानपूर्वक जिंदा रहने के लिये जो न्यूनतम आवश्यकताऐं होती हैं, व उन्हें प्राप्त किये बिना व्यक्ति या परिवार सुखी और सम्मानजनक जीवन-यापन नहीं कर सकता। वैसे तो व्यक्ति या परिवार की इच्छायें असीमित होती हैं और उन सबको प्राप्त कर पाना मुश्किल ही नहीं असम्भव होता है। लेकिन कुछ ऐसी न्यूनतम जरूरतें होती हैं, जिनके बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान हो जाता है। मनुष्य होने के नाते उन सारी न्यूनतम जरूरतों का पूरा होना आवश्यक ही नहीं बल्कि उसका उन पर अधिकार होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब उसके अधिकारों का हनन होता है। समाज में सम्मानपूर्वक जीने के लिये जो सबसे मुख्य जरूरतें हैं, वह भोजन, कपडा, मकान हैं। इनके बिना जिन्दा रहना सम्भव ही नहीं है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ और भी जरूरतें जुड़ती गयी। जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, रोजगार, आवागमन की सुविधा और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल है।

जब हम सम्मानजनक जीवन जीने की जरूरतों की सूची बनाते हैं तब हम उन जरूरतों को तीन भागों में बांट सकते हैं-

- जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतें
- परिवार के विकास की जरूरतें
- सामाजिक जवाबदेही/प्रतिष्ठा की जरूरतें

जिंदा रहने की बुनियादी जरूरतें

किसी भी व्यक्ति या परिवार के जिंदा रहने के लिए भोजन, कपड़ा और रहने के लिए छत ये तीन अति आवश्यक जरूरतें हैं। इनके बिना जिंदा रहना सम्भव ही नहीं है। सबसे पहले हमारी जरूरत भोजन है। भोजन के बिना जिंदा रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भोजन जिंदा रहने के लिये ही नहीं बल्कि स्वस्थ्य रहने के लिये भी जरूरी है। इसलिये हमें संतुलित भोजन की जरूरत होती है। संतुलित भोजन में प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें हमें खाने की वस्तुओं जैसे- रोटी, दाल, चावल, दूध, दही, घी, तेल, अण्डा, मछली, मांस और हरी सब्जियां से मिलती हैं। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ्य रह सके, उसके लिए जरुरी है कि उसे पौष्टिक आहार मिले। तभी हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं, वो पूरी हो पाती हैं। अगर यह खाने की वस्तुएं हमें नहीं मिलती तब हम शारीरिक रूप से कमजोर तथा तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जो परिवार गरीबी में जीवन-यापन करता है वहां सारे परिवार के लोग कुपोषण के शिकार होते हैं, उन्हें तमाम तरह की शारीरिक परेशानियां रहती हैं। संतुलित भोजन नहीं मिल पाने का लक्षण बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। बच्चे जल्दी से रोगों के शिकार हो जाते

Manual_Handbook.indd 24 20/03/20 6:24 pm

हैं। जिन बच्चों को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, उनको सूखा रोग होना सामान्य बात है। इस रोग में बच्चे बेहद कमजोर, दुबले-पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाते हैं, जो एक बहुत ही गम्भीर रोग है। समय से उनका ईलाज और खाने की व्यवस्था न हो तो उनका बच पाना मुश्किल होता है। बच्चों में यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यह प्रोटीन दाल, दूध, अण्डा, मछली, मांस से मिलता है। इसलिये बच्चों को कम से कम ग्यारह वर्ष तक दूध मिलना जरूरी होता है। इससे उनकी हड्डियों के विकास के साथ-साथ मानसिक विकास भी ठीक से होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे हमारे शरीर की जरूरत बढ़ती जाती है। अगर हमें संतुलित आहार न मिले तो हम रोगी हो जाते हैं और फिर कार्य कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं।

भोजन के साथ-साथ ईंधन एक ऐसी जरूरत है जो किसी भी परिवार के लिए जिंदा रहने के लिए आवश्यक हैं और जो भोजन से ही जुड़ी है। हमारी जरूरत है कि पूरा साल हमें भोजन पकाने के लिए पर्याप्त ईधन उपलब्ध हो फिर वह चाहे लकड़ी या उपले हों या फिर गैस सिलेंडर। इनकी उपलब्धता हमारे जिंदा रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पानी जीवन का मुख्य आधार होता है। इसलिए किसी भी परिवार के लिए बहुत आवश्यक है कि हर समय पीने तथा अन्य कामों के लिए पर्याप्त पानी हर समय और पहुंच के अंदर उपलब्ध हो। वर्तमान समय में बहुत से गाँव ऐसे हैं जिनके पास या तो पानी के स्रोत उपलब्ध नहीं है या फिर जो हैं उनमें पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों को दूर-दूर जाकर पानी लाना पड़ता है व समय के साथ-साथ शक्ति की बर्बादी भी होती है।

इसके साथ ही चिकित्सा भी जिंदा रहने की आवश्यकताओं में एक प्रमुख आवश्यकता है। चिकित्सा के बगैर जिन्दा रहने की सोच भी नहीं सकते। आज से 100 साल पहले मनुष्य की औसत आयु 40 वर्ष थी, लेकिन आज तमाम रोगों का इलाज सम्भव हो जाने से लोगों की औसत आयु 40 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष हो गयी है। 100 वर्ष पहले जिन रोगों का इलाज सम्भव नहीं था आज उनके इलाज के साधन मौजूद होने से लोगों को जिन्दा और स्वस्थ्य रखा जा सकता है। तमाम दवाइयों की खोज हो जाने से कई प्रकार के रोगों को एकदम समाप्त कर दिया गया है, जैसे- चेचक, प्लेग आदि।

यदि घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे घर के आस-पास ही चिकित्सा जैसे कि- स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या फिर अस्पताल- की सुविधा उपल्बध हो।

परिवार के विकास की जरूरतें

सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारी जिंदगी में कुछ और जरूरतें भी जुड़ती गयीं जो जिंदगी के लिये जरूरी हो गयी हैं। उनके बगैर हम जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन समाज में सम्मानपूर्वक नहीं रह सकते। जिनमें शिक्षा प्रमुख है। व्यक्ति को नये नये ज्ञान को जानने की जरूरत होती है जिससे वह अपने परिवार और समाज का उस ज्ञान से विकास कर सके। शिक्षा के महत्व को बताते हुए आज से लगभग 2300 साल पहले एक दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि 'शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में उतना ही अन्तर है जितना एक जिन्दा और मुर्दा व्यक्ति में'। आज के समय में शिक्षा हमारे लिये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना की भोजन।

रहने के लिए पक्का मकान एक ऐसी आवश्यकता है जो हमारे जीने के साथ-साथ हमारे परिवार के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। रहने के लिए आदमी कहीं भी एक छत डालकर रह सकता है किंतु एक ऐसा स्थाई आवास जहां न सिर्फ एक परिवार रह सके बल्कि सभी सुविधाओं के साथ एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें। यह किसी भी परिवार के सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है। पक्का मकान और आरामदायक जीवन न सिर्फ जीने

Manual_Handbook.indd 25 20/03/20 6:24 pm

की जरूरत पूरी करता है बल्कि परिवार में एक आत्मविश्वास भी पैदा करता है, जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी आवश्यक है।

पहले भी काम के बाद खाली समय में मनोरंजन करते थे जैसे- नाचना, गाना-बजाना, खेल, कहानियां, उपन्यास पढ़ना, नाटक करना आदि। आज मनोरंजन के तरीके बदल गये हैं। टी.वी., रेडियो, सिनेमा देखने में लोग ज्यादा रूचि दिखाने लगे हैं। मनोरंजन केवल समय बिताने के लिए ही नहीं होता। मनोरंजन से शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ्य रहता है। ऐसे में यह तय करना पड़ेगा कि मनोरंजन का कौन-सा साधन हमारे लिए उपयुक्त है?

समाज में कोई किसी का अपमान न कर सके। किसी के साथ मारपीट, लूटपाट न कर सके। उसके लिए सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है, और अन्त में व्यक्ति को अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिये रोजगार की आवश्यकता है। वह खेती, मजदूरी, व्यवसाय जो भी करे, उससे उसको आय हो जिससे वह उन जरुरी वस्तुओं को खरीद सके, जो उसे बाजार से मिलती हैं।

विकास कहने से मतलब होता है कि निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था में जाना। जैसे - पहले हमें अगर किसी के बारे में जानकारी लेनी होती थी तो पैदल जाना पड़ता था, इसमें कई दिन लग जाते थे। बाद में गाड़ियों के आ जाने से बस, रेल से जाकर या पत्र के माध्यम से जानकारी जल्दी मिल जाती थी। लेकिन आज मोबाइल से घर बैठे तुरन्त किसी के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले जब लोग पढ़ें लिखे नहीं थे, तब खेती के अलावा कोई काम नहीं कर पाते थे। आज शिक्षा प्राप्त करके नये -2 रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं। और घरों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, परिवार के लिए अच्छा मकान, आने-जाने के लिये साधन और बेहतर इलाज उपलब्ध करवा पा रहे हैं।

सामाजिक जवाबदेही/प्रतिष्ठा की जरूरतें

मनुष्य अपनी प्रकृति में एक सामाजिक जीव है। अपनी उत्पत्ति के साथ ही वह समूह में रहने के लिए अभ्यस्त है। सभ्यता के हर चरण के विकास के साथ समाज और उसकी आवश्यकता भी बढ़ती गई। अतः हमारी कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो जिन्दा रहने के लिये आवश्यक नहीं है लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के साथ रहने के लिये निभानी पड़ती हैं जैसे- शादी-विवाह, मृत्युभोज, तीज-त्यौहार। लोगों के साथ मिलना-जुलना, गाँव या समाज की परेशानियों को दूर करने के प्रयास, सामूहिक मनोरंजन आदि में समय व पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है। जिसे लोग पूरा करते है।

इस तरह हम यह कह सकते है कि उपरोक्त जरूरतों को पूरा किये बगैर हम समाज में सम्मानपूर्वक जीने की कल्पना नहीं कर सकते। और यह वह न्यूनतम जरूरतें हैं जो हर व्यक्ति और परिवार को अवश्य ही मिलनी चाहिए।

Manual_Handbook.indd 26 20/03/20 6:24 pm

चरण – 3

➤ **आज की तारीख में परिवार की जो जरूरतें हैं वह कहाँ से और कैसे पूरी हो रही है ?**

प्रक्रिया :

- सहभागियों से अपने परिवार की आज की तारीख में जो जरूरतें हैं वह कहाँ से और कैसे पूरी हो रही है ? के बारे में थोड़ी देर सोचने के लिए कहें।
- सहभागियों को उन्हीं पुराने अपने-अपने समूह में बैठने को कहें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में ''आज की तारीख में परिवार की जो जरूरतें हैं वह कहाँ से और कैसे पूरी हो रही हैं ?'' विषय पर चर्चा करने को कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।
- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : 1 से 1:30 घंटे**

Manual_Handbook.indd 27 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

यह कार्य सहभागी पुराने समूहों में जाकर करेंगे। इस कार्य को चर्चा करके दो कॉलम (परिवार की जरूरतें- **कहाँ से** और **कैसे** पूरी हो रही हैं) में सहभागी बिन्दुवार लिखेंगे। अक़्सर छोटे समूहों में इस विषय पर चर्चा के दौरान सहभागियों का ध्यान इधर-उधर भटकता है। कई चीज़ों पर उनकी स्पष्टता साफ झलकती है तो कई चीज़ों पर उनके मन में संशय रहता है। कई एक बिन्दुओं पर सहभागियों के विचार बहुत दृढ़ होते हैं जिससे समूह में कार्य के सम्बन्ध में चर्चा को गति भी मिलती है तो कभी-कभी इस प्रकार की चर्चा में वैचारिक दृढ़ता के कारण रुकावट भी आती है। इन सारी स्थितियों में फेसिलिटेटर को सूक्ष्म दृष्टि से सहभागियों पर नजर बनाये रखनी चाहिए कि सहभागी गहराई से विषय-वस्तु पर चिन्तन कर सकें और सामूहिक निर्णय पर पहुंच सकें। जरूरत के अनुसार फेसिलिटेटर से अपेक्षा की जाती है कि छोटे समूहों में जाकर सहभागियों को चर्चा के दौरान अधिक से अधिक स्पष्टता के लिए मदद करें। चर्चा में उभरे समस्त बिन्दुओं को नोट बुक में नोट कर फिर चार्ट पर लिखना है, फिर उसे बड़े समूह में प्रस्तुत करना होगा। कभी-कभी छोटे समूह में कुछेक बिन्दुओं पर सभी सहभागी एकमत नहीं होते हैं या कुछ सहभागी जो बात कहना चाहते हैं उसे शब्द नहीं दे पाते हैं और कभी-कभी बहुत महत्वपूर्ण बात को एक-दो शब्द में लिख कर ही मान लेते हैं कि इसे सभी समझ जायेंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए फेसिलिटेटर को सभी समूहों में जाकर सहभागियों को अपनी पूरी बात स्पष्ट रूप से कहने-लिखने में मदद करनी चाहिए। कार्य पूरा हो जाने के बाद समूहवार प्रस्तुतियों के दौरान प्रत्येक समूह की प्रस्तुति पर विस्तृत चर्चा के लिए प्रश्न और स्पष्टीकरण का दौर चलायें। इस कार्य के दौरान आज की तारीख में परिवार की जो जरूरतें हैं वह कहाँ से और कैसे पूरी हो रही हैं? पर चर्चा केन्द्रित रहती है। **समूहों की प्रस्तुतियों से निकले बिन्दुओं को फेसिलिटेटर दो श्रेणियों में विभाजित करें-**

- **गैर-नगदी स्रोतों से पूरी होने वाली जरूरतें।**
- **नगदी स्रोतों से पूरी होने वाली जरूरतें।**

ध्यान रहे इनपुट **प्राकृतिक संसाधनों के महत्व** पर केन्द्रित होगा। इसके लिए जरूरी है कि फेसिलिटेटर का हस्तक्षेप इसी के इर्द-गिर्द हो।

Manual_Handbook.indd 28 20/03/20 6:24 pm

पठन सामग्री

हमारी जरूरतें कहां से पूरी होती हैं ?

हमारी जरूरतें कहाँ से पूरी होती हैं की सूची बनायें तो यह इस प्रकार होगी-

भोजन – प्राकृतिक संसाधन (जमीन, जानवर, जल, जंगल इत्यादि)
ईंधन – प्राकृतिक संसाधन/ नकदी (जंगल, जमीन, पशु, उज्जवला गैस योजना इत्यादि)
पानी - प्राकृतिक संसाधन/ नकदी (नदियां, तालाब, कुएँ, एनिकट, टेंकर)
मनोरंजन – नकदी (टीवी, रेडियो इत्यादि); गैर नकदी (खेल, नृत्य, गायन, वादन, नाटक आदि)
सामाजिक सुरक्षा - व्यक्तिगत और सामूहिक
आवागमन के साधन – नकदी (व्यक्तिगत तथा सामूहिक)
रोजगार - व्यक्तिगत (श्रम); प्राकृतिक संसाधन (लघु वन उपज बेचकर इत्यादि)
शिक्षा – नकदी (व्यक्तिगत तथा सामूहिक)
चिकित्सा – नकदी (अस्पताल इत्यदि); प्राकृतिक संसाधन (जड़ी बूटी)
कपड़ा - व्यक्तिगत (नकदी); प्राकृतिक संसाधन (कपास, रेशम इत्यादि)

यदि हम उपरोक्त सूची को देखें तो हम पाते हैं कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनके लिए हमें नकदी की जरूरत होती है जैसे कि मनोरंजन के साधन या फिर शिक्षा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जरूरतें ऐसी हैं जो या तो प्राकृतिक संसाधनों से पूरी हो रही हैं या फिर हम थोड़ा प्रयास करें तो उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से पूरा किया जा सकता है। मसलन रोजगार के बारे में बात आते ही हम रोजगार गारंटी या फिर बाहर जाकर नौकरी करने के बारे में सोचने लगते हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे जंगलों में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं जैसे कि लघु वन उपज (जलावनी तथा इमारती लकड़ी, फल, गोंद, शहद, तेंदू पत्ता आदि) को एकत्रित कर उनको बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर हम लोग इसका ठीक तरह से उपयोग करना सीख जाये और उसके बेहतर रख-रखाव की जिम्मेदारी ले सकें तो हमारी बहुत-सी जरूरतें प्राकृतिक संसाधन और स्वयं तथा सामूहिक प्रयास से पूरी की जा सकती हैं, जहां हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। हम अगर सैकड़ों वर्ष पहले अपने पूर्वजों की स्थिति को देखें तो आज की अपेक्षा उनका जीवन ज्यादा कठिन था। आज पहले की अपेक्षा जीवन जीना काफी सरल और सुविधाजनक हो गया है। हमारे पूर्वज किस तरह से सामूहिक प्रयास के बल पर उन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके, उसी सामूहिक भावना की आज भी जरूरत है।

किंतु यदि हम मौजूदा परिस्थितियों को जाचें तो हम पते हैं कि आज ज्यादातर समुदाय प्राकृतिक संसाधनों छोड़ बाजार पर निर्भर हो चुकें हैं। इसकी दो प्रमुख वजहें हैं- एक तो प्राकृतिक संसाधनों की बदतर होती स्थिति तथा दूसरा बाजार का विस्तार। लेकिन गौर से देखें तो यह दोनों तथ्य आपस में जुड़े हैं। प्राकृतिक संसाधनों से जनता का विलगाव पूंजीपतियों का उन पर कब्ज़ा बनाना सुगम करता है तथा बाजार पर निर्भरता उन्हीं पूंजीपतियों के मुनाफे को सुनिश्चित करता है। पूंजीपति आम जनता के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्ज़ा कर दोहन करता है और फिर उसके उत्पादों को उसी जनता को मुनाफे के साथ बेचता है। यानि जो सामान पहले हमारे चारों तरफ मुफ्त में मिलता था अब हमें वही बाजार से खरीदना पड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया में पूंजीपतियों का साथ दे रहीं होती हैं हमारी सरकारें, जो जान-बूझकर

Manual_Handbook.indd 29 20/03/20 6:24 pm

प्राकृतिक संसाधनों के रख-रखाव की उपेक्षा कर उन्हें बदतर हालत में पहुंचाती हैं।

आज के समय में जो दुनिया भर में घटनाएं घट रही हैं उसमें हम देखते हैं कि दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों पर कब्ज़ा करने का हमला तेज हुआ है। बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों से वंचित हो रहे हैं और उन पर चंद कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा होता जा रहा है। ऐसे में हमें न सिर्फ इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में सोचना है बल्कि उन पर समुदाय के अधिकार को बनाए रखने तथा उनके रख-रखाव के बारे में भी सोचना होगा।

हमारे जिंदा रहने की जिन जरूरतों को जब सूचीबद्ध किया गया तो यह पता चला कि भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, रोजगार और सुरक्षा के बगैर आज हम सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी सकते हैं। और यह सारी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन, व्यक्तिगत और सामूहिक श्रम द्वारा प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए भोजन, कपड़ा और मकान को ही लें तो यह कहां से मिलता है? हम यह जानते हैं कि सभी खाद्य पदार्थ जमीन से पैदा होते हैं। मकान के लिए लकड़ी और मिट्टी की जरुरत होती है तथा कपड़े के लिए कपास की आवश्यकता होती है। यह सब जमीन और जंगल से प्राप्त किया जाता है तथा इसे प्राप्त करने के लिए श्रम की जरुरत पड़ती है और यह जमीन, जंगल और श्रम हमारे पास उपलब्ध हैं। जरूरत है इसको समझने और उसका सही ढंग से उपयोग करने की।

सैकड़ों वर्ष पहले जब लोगों के पास आज की तरह सुविधाएं नहीं थीं तो सभी कार्य स्वयं और समूह द्वारा किए जाते थे, जैसे- खेती करना, मकान बनाना, कुआँ खोदना, तालाब निर्माण करना, कपड़े बुनना आदि। उनके पास आज की तरह न तो मशीनें थीं और न ही ऊर्जा के स्रोत (डीजल, पेट्रोल, बिजली, कोयला) न तो इतनी उन्नत तकनीकी ही थी और न ही आज की तरह कोई सरकार जो उनकी मदद करती। वे लोग प्राकृतिक संसाधनों पर योजनाबद्ध तरीके से व्यक्तिगत और सामूहिक श्रम करके अपनी जरूरतें पूरा करते थे। आज भी हम उसे उसी तरह कर सकते हैं बल्कि और सुविधाजनक तरीके से, क्योंकि आज हमारे पास ऊर्जा, उन्नत तकनीकी, सरकारी सहयोग और कुशल श्रम उपलब्ध है।

हम अपने परिवार में पूरी हो रही इन जरूरतों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं।

जरूरतें

गैर- नकदी
अनाज
पशु
कम्पोस्ट खाद
लकड़ी
ईंधन
जमीन
पानी
मकान बनाने के पत्थर
परंपरागत चिकित्सा (जड़ी-बूटी)
मनोरंजन (खेल, गायन, नृत्य, वादन, नाटक आदि)

नकदी
यातायात के साधन
शिक्षा
कपड़ा
चिकित्सा

अंत में सहभागियों को इस बात का एहसास कराया जाना जरुरी है कि समुदाय के नेतृत्वकारी सदस्य होने के नाते उनका यह दायित्व है कि वह समुदाय को इस बात पर संगठित करें कि सम्मानपूर्वक जीवन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय का दखल तथा कब्ज़ा हो और इसका रास्ता हमें पेसा कानून से मिलता है।

Manual_Handbook.indd 30 20/03/20 6:24 pm

तीसरा दिन

अभ्यास – 3

➤ **अपने गाँव के इतिहास के बारे में बताइए।**

उद्देश्य : इस अभ्यास का उद्देश्य है।

» सहभागियों के बीच गाँव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर साझा समझ विकसित करना।

प्रक्रिया :

- सहभागियों को गाँव वार समूह में बैठने को कहें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में अपना गाँव किसने बसाया? कब बसाया? तथा गाँव का नाम कैसे पड़ा? पर चर्चा करने को कहें।
- गाँव में कितने फले हैं और कौन-कौन से अटक के लोग रहते हैं? पर चर्चा करने को कहें।
- गाँव के प्रमुख त्यौहार तथा रिति-रिवाज क्या हैं? पर चर्चा करने को कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।
- **समय : 30 से 40 मिनट**

Manual_Handbook.indd 31 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

इस अभ्यास में फेसिलिटेटर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास का उद्देश्य सहभागियों के बीच गाँव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर साझा समझ विकसित करना है। सहभागियों से अपने गाँव के बसने के इतिहास के बारे में चर्चा करने के लिए कहा जाएगा। इसमें गाँव का नाम कैसे पड़ा, किसने बसाया, कब बसाया इत्यादि बिंदुओं पर समूह चर्चा करेगा। 30-40 मिनट बाद चर्चा खत्म होने के उपरांत बारी-बारी से सभी समूहों का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा।

सहभागी जब अपने कार्य को प्रस्तुत कर रहे हो तब, उस समय फेसिलिटेटर टीम को काफी सजग रहने की जरूरत होगी। उसे न सिर्फ गाँव के इतिहास का ध्यान रखना है, बल्कि यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या सहभागियों ने उस परिवेश और पृष्ठभूमि को अपने अभ्यास के दौरान ध्यान में रखा है, जहाँ वो निवास करते हैं। इस संदर्भ में फेसिलिटेटर की मदद के लिए कुछ बिंदु नीचे दिए गये हैं। **गाँव के इतिहास के प्रस्तुतिकरण में** निम्नलिखित बिन्दुओं का शामिल होना लाभदायक हो सकता है-

- गाँव कितना पुराना है?
- गाँव का नाम कैसे पड़ा?
- गाँव को किसने बसाया?
- गाँव में कितने फले और कौन-कौन से अटक के लोग रहते हैं?
- गाँव के प्रमुख त्यौहार तथा रिति-रिवाज क्या है?
- गाँव में धार्मिक पहचान तथा कार्य विधि क्या है?

Manual_Handbook.indd 32 20/03/20 6:24 pm

अभ्यास – 4

➤ **अपने गाँव का नजरिया नक्शा तैयार कीजिए।**

उद्देश्य : इस अभ्यास का उद्देश्य है:

» सहभागियों के बीच संसाधनों की मैपिंग पर क्षमता का विकास करना।

प्रक्रिया :

- यह अभ्यास उन्हीं गाँव-वार समूहों में बैठकर किया जाएगा जिनमें वह बैठे हुए हैं।
- सहभागियों को बड़े कागज या फिर जमीन पर अपने गाँव का नजरिया नक्शा चिन्हित करने को कहें।
- सबसे पहले दिशाओं को कागज/जमीन पर दर्शाने को कहें।
- उक्त स्थान की भौगोलिक सीमाओं को कागज/जमीन पर दर्शाने को कहें।
- अपने-अपने घरों को चिन्हित करने को कहें।
- सामुदायिक संसाधनों जैसे-सड़क, कुआं, तालाब, हैंडपम्प, जंगल, विद्यालय, खेल के मैदान, चारागाह इत्यादि को दर्शाने को कहें।
- अपने गाँव की जानकारियों को तालिका के माध्यम से कागज/जमीन पर दर्शाने को कहें।
- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : पूरा दिन**

Manual_Handbook.indd 33 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

इस अभ्यास में फेसिलिटेटर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है की एक बारगी, सहभागियों को अपने गाँव का **नजरिया नक्शा** बनाना अजीब सा लगे। उन्हें ऐसा भी लग सकता है की कहां से शुरु करें, या क्या लिखें? इसलिए बेहतर होगा की इस अभ्यास की भूमिका बनाते समय किसी गाँव का नजरिया नक्शा आप सहभागियों को बड़े समूह में दिखा दें। चूँकि बहुत से सहभागी यह काम पहली बार कर रहे होंगे, अत: बेहतर होगा कि उन्हें कुछ तकनीकी जानकारियां-जैसे कि दिशाएँ तथा संकेत चिन्ह पहले से समझा दिए जाएँ। फेसिलिटेटर संकेत चिन्हों की एक सूची तथा दिशाएँ दीवार पर चिपका भी सकते हैं, ताकि सहभागी अभ्यास करते वक्त उससे मदद लेते रहें। इस तरह की भूमिका बाँधने के बाद अगर उन्हें अभ्यास दिया जाय तो उन्हें यह कार्य रुचिकर लगेगा।

सहभागी जब अपने कार्य को प्रस्तुत कर रहे हों तो, उस समय फेसिलिटेटर टीम को काफी सजग रहने की जरूरत होगी। उसे न सिर्फ गाँव के नजरिये नक्शे का ध्यान रखना है, बल्कि यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या सहभागियों ने उस परिवेश और पृष्ठभूमि को अपने अभ्यास के दौरान ध्यान में रखा है, जहाँ वो निवास करते हैं। इस संदर्भ में फेसिलिटेटर की मदद के लिए कुछ बिंदु नीचे दिए गये है। **नजरिया नक्शे** में निम्नलिखित बिन्दुओं का शामिल होना लाभदायक हो सकता है।

- **उक्त स्थान की भौगोलिक/दिशाओं को कागज/जमीन पर दर्शाया हो।**
- **अपने-अपने घरों-खेतों को चिन्हित किया हो।**
- **सामुदायिक संसाधनों जैसे- शिलालेख का स्थान, बस स्टैंड, कुआं, तालाब, हैंडपम्प, जंगल, विद्यालय, खेल के मैदान, चारागाह, जमीन, पहाड़, नदी-नाला, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को दर्शाया हो।**
- **अपने गाँव की जानकारियों को तालिका के माध्यम से दर्शाया हो।**

फेसिलिटेटर को यहाँ यह ध्यान रखना है कि कार्यकर्ताओं का इस अभ्यास के दौरान छोटे समूह में गाँव की वस्तुगत स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता पर फोकस होना चाहिए। सभी समूहों के कार्य पूरा करने के दौरान आवश्यकतानुसार सहभागियों की चर्चा को आगे बढ़ाने और उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने में फेसिलिटेटर को मदद करनी चाहिए। सभी समूहों की प्रस्तुतियों के दौरान प्रश्न और स्पष्टीकरण की गुंजाइश हमेशा बनाए रखनी चाहिए। यदि कभी किसी समूह की प्रस्तुति में किसी विषय पर सहभागियों में अस्पष्टता हो तो फेसिलिटेटर को हस्तक्षेप करते हुए अपनी ओर से सहभागियों की बात को स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।

यह अभ्यास सहभागियों के प्राकृतिक-सामाजिक संसाधनों की मैपिंग करने के प्रयास पर केन्द्रित है। इस अभ्यास से गुजरने के बाद सहभागियों में प्राकृतिक-सामाजिक संसाधनों की मैपिंग पर स्पष्टता होगी। इस अभ्यास पर कार्य करने के दौरान हो सकता है कि सहभागी प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों में फर्क नहीं समझते हो। अतः फेसिलिटेटर को चाहिए कि बार-बार समूहों में, जब सहभागी कार्य कर रहे हों तब वहां जायें और उनकी चर्चा में शामिल होकर इस बिन्दु पर स्पष्टता के लिए आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करें। एक बार छोटे समूहों में कार्य पूरा हो जाने के बाद जब सहभागी चर्चा में उभरे बिन्दुओं के आधार पर नजरिया नक्शा बना लें तो उसे बड़े समूह में प्रस्तुत करवाएं। फेसिलिटेटर इस विषय या अभ्यास पर सहभागियों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उनके समक्ष सभी समूहों के अलग-अलग नजरिए नक्शे दीवार पर चिपका दें। बड़े समूह में

Manual_Handbook.indd 34 20/03/20 6:24 pm

कार्य की प्रस्तुति के दौरान फेसिलिटेटर को प्रत्येक प्रस्तुति के साथ यह प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रश्न और स्पष्टीकरण हो जिससे कि प्राकृतिक-सामाजिक संसाधनों की मैपिंग पर सहभागियों में स्पष्टता बन सके।

प्रस्तुतिकरण को ध्यान से सुनकर या नोट कर उन बिन्दुओं को उभारें जिससे कार्यकर्ताओं की संसाधनों की मैपिंग तथा ज्ञान एवं जानकारी में वृद्धि हो सके। सभी गांवों के प्रस्तुतिकरण के बाद निम्न दो बिन्दुओं पर डीब्रीफिंग की जायेंगी–

- **नजरिया नक्शा बनाते समय दो बातें जो अच्छी लगीं।**
- **और नजरिया नक्शा बनाते समय क्या-क्या दिक्कतें आईं।**

फेसिलिटेटर टीम डीब्रीफिंग में निकले बिन्दुओं को नोट कर ले। इन बिन्दुओं का अगले अभ्यास में सीखने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।

डीब्रीफिंग के बाद सहभागियों का इस बात की तरफ ध्यान दिलाया जाए कि गाँव में गाँव सभा के साथ नजरिया नक्शा बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें क्या अच्छा लगा था और क्या बुरा? सहभागियों को चाहिए कि जो चीजें उन्हें अच्छी लगी वह गाँव में समुदाय को भी अच्छी लगे, लेकिन जो परेशानी उन्हें आई वह गाँव वालों को न आए।

फेसिलिटेटर को यहीं से अगले अभ्यास के लिए भूमिका/आधार तैयार करना शुरू कर देना चाहिए।

Manual_Handbook.indd 35 20/03/20 6:24 pm

पठन सामग्री

गाँव का नजरिया नक्शा बनाना

किसी भी गाँव का नजरिया नक्शा एक ऐसा नक्शा होता है जिसके माध्यम से एक नजर में उस पूरे गाँव की स्थिति तथा उसमें उपलब्ध संसाधनों का पता चल जाता है, इसलिए नजरिया नक्शा बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई अंजान व्यक्ति हमारे गाँव के बारे में जानना चाहे तो वह इस नक्शे की मदद से हमारे गाँव की पूरी तस्वीर समझ जाये।

अपने गाँव का नजरिया नक्शा बनाते समय हमें गाँव के प्राकृतिक और मानव संसाधनों को नक्शे पर दर्शाना होता है। जैसे - जंगल, पेड़, खेत, पहाड़, नदी, नाले, तालाब, घर, मंदिर, स्कूल, आंगनबाड़ी, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, नहर, सड़क, रास्ते, कुआं, हैंडपम्प, ट्यूबवेल और फले इत्यादि। नजरिया नक्शा बनाते समय सबसे पहले चार्ट पेपर पर दिशा निर्धारित करते हैं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायें पूर्व, बायें पश्चिम। फिर गाँव की सीमा बनाते हैं। सीमा का निर्धारण कर लेने के बाद नक्शे में हम एक मुख्य बिन्दु को केन्द्र करके नक्शा बनाना शुरू करते हैं। मुख्य केन्द्र बिन्दु के लिये सबसे पहले हमें अपना घर, स्कूल, आंगनबाडी, मंदिर या तालाब का चुनाव करना चाहिए। मुख्य केन्द्र बिन्दु का चुनाव करने के बाद फिर वहीं से नक्शे को बनाना शुरू करते हैं कि कौनसी चीज, किस जगह स्थित है? उसे दर्शाते हैं। नजरिया नक्शा बनाते समय हमें संकेत चिन्हों का निर्धारण कर लेना चाहिये, जैसे नल, कुआं, घर, पेड़ या एनीकट आदि दर्शाना हो तो किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। नक्शे के नीचे संकेत चिन्हों को बनाकर उसके सामने नाम लिख देना चाहिए कि किस संकेत चिन्ह से क्या दर्शाया गया है।

नजरिया नक्शा बनाते समय साथ में जितने लोग हों उन सबसे सलाह मशविरा करके ही नक्शा बनाना चाहिए। नक्शे में जितनी अधिक चीजें दर्शायी जाती हैं, नक्शा भी उतना ही अच्छा बनता है। नजरिया नक्शा बनाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना जरूरी होता है –

1. सीमा का निर्धारण।
2. दिशा का निर्धारण।
3. प्राकृतिक संसाधन - जंगल, खेत, नदी, पहाड़, नाले, तालाब।
4. मानव संसाधन - घर, स्कूल, आंगनबाड़ी, मंदिर, फला, सड़क, रास्ते, हैंडपम्प, कुआं, ट्यूबवेल, नहर, एनीकट, तालाब, वन-चौकी आदि।
5. संकेत चिन्हों का निर्धारण।
6. संकेत चिन्हों को नक्शे के नीचे एक तालिका के साथ दर्शाना।
7. गाँव की सीमा से सटे गाँवों के नाम।
8. गाँव की जानकारियों को तालिका के माध्यम से दर्शाना।
9. सभी लोगों की सहमति।

Manual_Handbook.indd 36 20/03/20 6:24 pm

पेसा कानून के अंतर्गत गाँव सभा को गाँव गणराज्य की घोषणा करने के बाद गाँव गणराज्य के प्रस्ताव और उसके अनुमोदन की प्रतिलिपि (फोटो कॉपी) राज्यपाल को भेजी जाती है। राज्यपाल को भेजे जाने वाले गाँव गणराज्य के घोषणापत्र के साथ गाँव का नजरिया नक्शा और संसाधनों की सूची भी भेजना अनिवार्य होता है। यह एक क़ानूनी प्रक्रिया है व इसके साथ ही साथ नक्शे से गाँव की वर्तमान स्थिति का भी पता चलता है, नक्शे से हम भविष्य की योजना (प्रत्येक वर्ष में किए जाने वाले कार्य) भी दर्शा सकते हैं। कई तरह के नजरिए नक्शे तैयार किए जाते हैं। कुछ तस्वीरों के उदाहरण के माध्यम से हम नजरिए नक्शे के प्रकारों को समझ सकते है-

गाँव के संसाधनों का नजरिया नक्शा

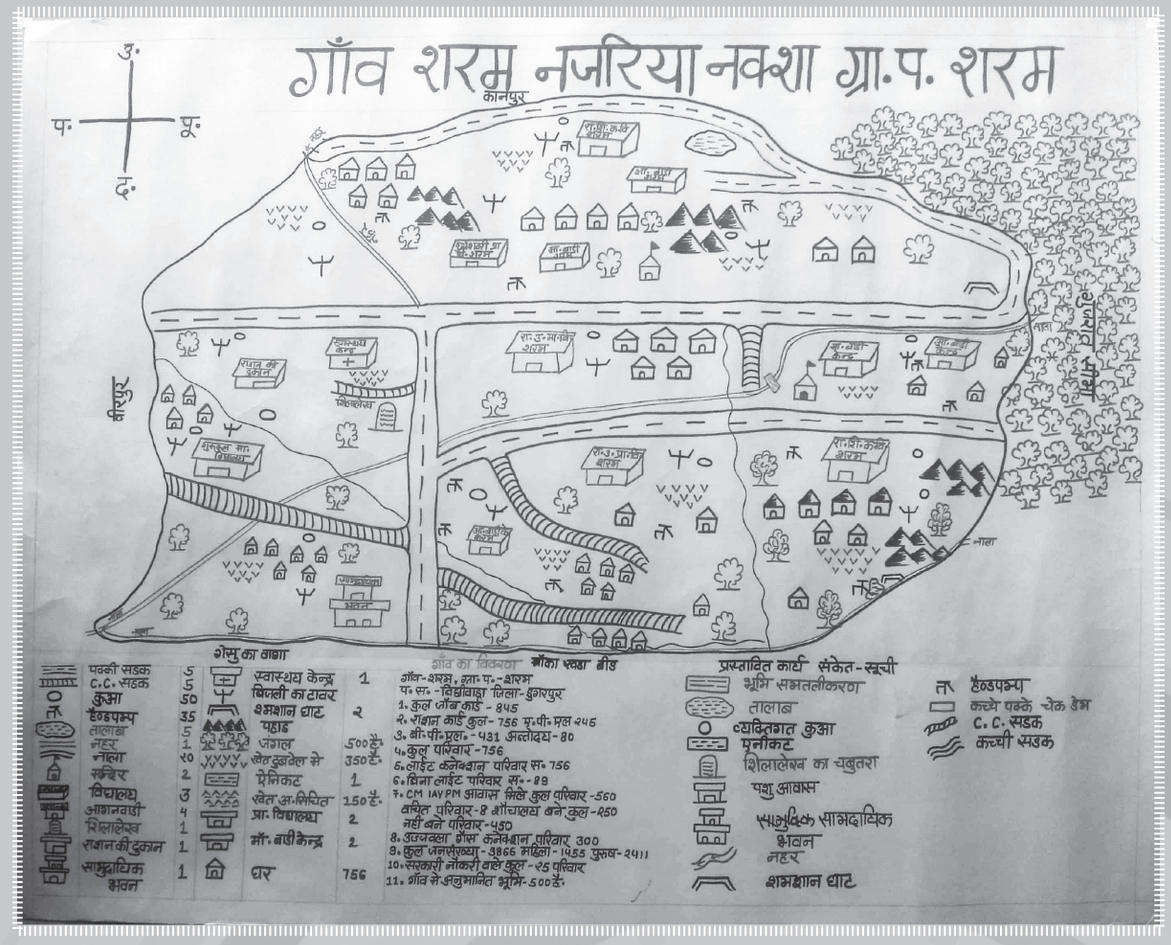

Manual_Handbook.indd 37 20/03/20 6:24 pm

समय के साथ बदलाव का नजरिया नक्शा

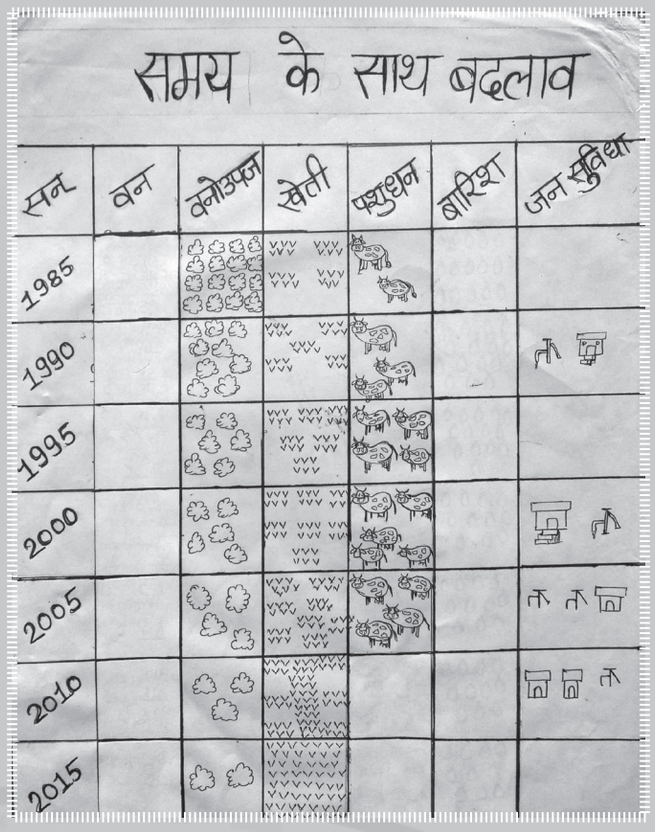

जल संसाधन नजरिया नक्शा

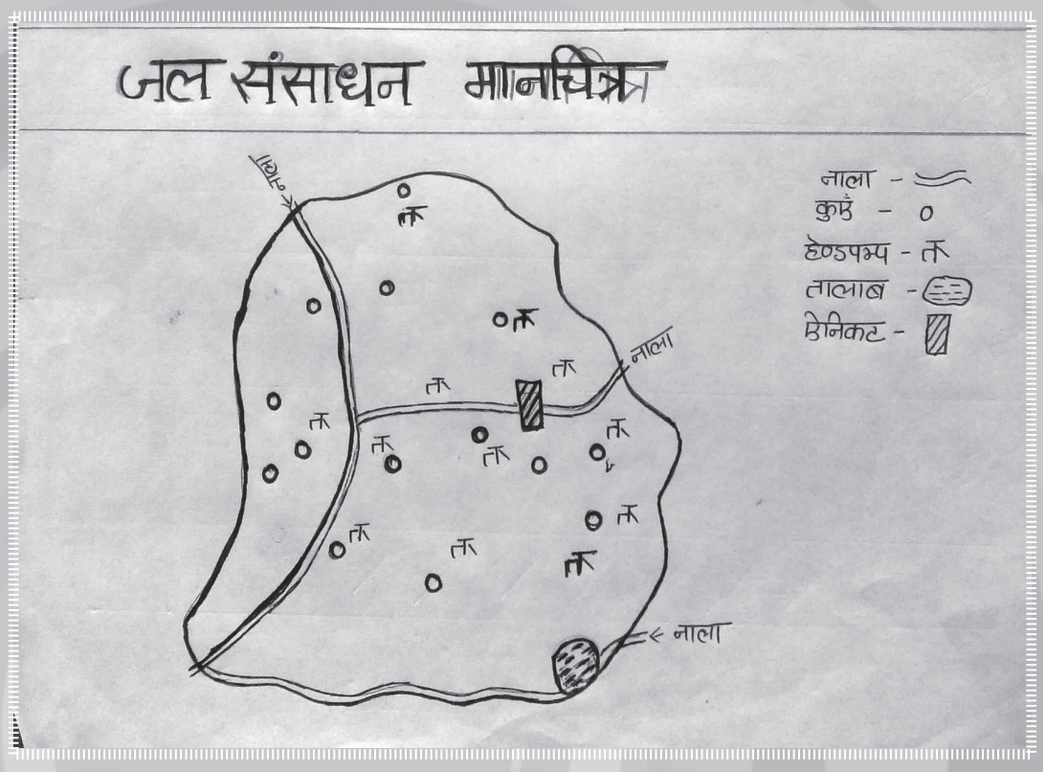

Manual_Handbook.indd 38 20/03/20 6:24 pm

मौसमी मानचित्र

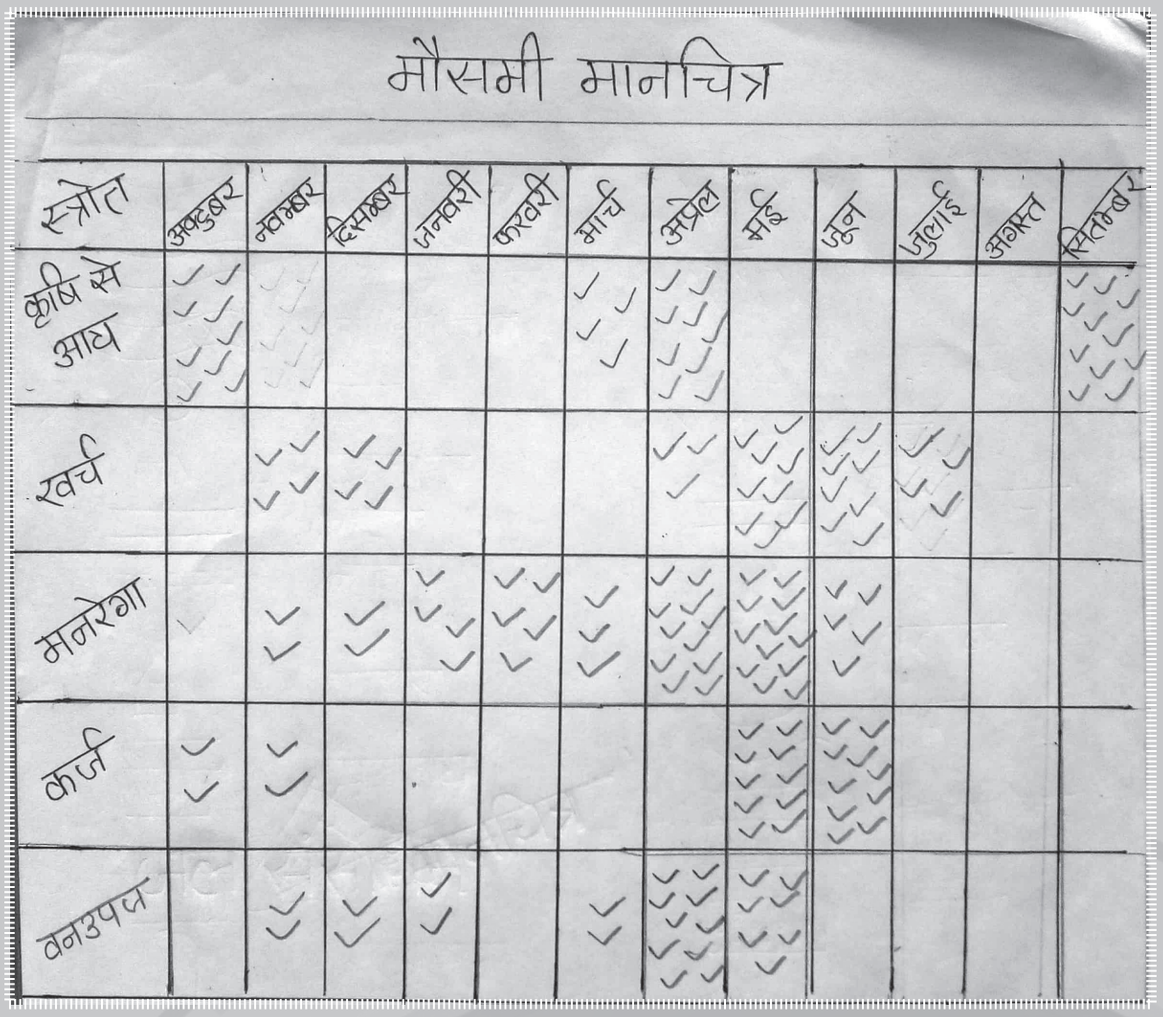

Manual_Handbook.indd 39 20/03/20 6:24 pm

चौथा दिन

अभ्यास – 5 (समय : पूरा दिन)

{यह अभ्यास तीन चरणों में बंटा है। सहभागियों की संसाधनों पर विश्लेषण की क्षमता तथा संसाधनों को बेहतर करने की योजना पर समझ का निर्माण के लिए तीनों चरण पूरे किए जाने जरूरी हैं।}

उद्देश्य : इस अभ्यास के दो उद्देश्य हैं।

» आजीविका के संसाधनों पर विश्लेषण की क्षमता का विकास।

» प्रतिभागियों की योजना पर समझ विकसित करना।

चरण – 1

➤ **अपने गाँव में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाइए। अभी इन संसाधनों की हालत/स्थिति कैसी है ? और उन्हें बेहतर बनाने की योजना तैयार कीजिए।**

प्रक्रिया :

- सहभागियों को गाँव वार समूह में बैठने को कहें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में गाँव स्तर पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाने के लिए कहें।
- सूची तैयार हो जाने पर सहभागियों से गाँव में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की हालत का आकलन करने के लिए कहें।
- संसाधनों का आकलन हो जाने पर सहभागियों से उन्हें बेहतर बनाने की योजना पर चर्चा करने के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर निम्न तालिका में सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।

प्राकृतिक संसाधनों की सूची	हालत	बेहतर बनाने की योजना

- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : 2 से 3 घंटे**

Manual_Handbook.indd 40 20/03/20 6:24 pm

चरण – 2

➢ **अपने गाँव में मौजूद मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। अभी इन संसाधनों की हालत/स्थिति कैसी है ? और उन्हे बेहतर बनाने की योजना तैयार कीजिए।**

प्रक्रिया :

- सहभागियों को उन्हीं गाँव वार समूहों में बैठने को कहें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में गाँव स्तर पर मौजूद मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाने के लिए कहें।
- सूची तैयार हो जाने पर सहभागियों से गाँव में मानव निर्मित संसाधनों की हालत का आकलन करने के लिए कहें।
- संसाधनों का आकलन हो जाने पर सहभागियों से उन्हें बेहतर बनाने की योजना पर चर्चा करने के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर निम्न तालिका में सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।

मानव निर्मित संसाधनों की सूची	हालत	बेहतर बनाने की योजना

- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : 2 से 3 घंटे**

Manual_Handbook.indd 41 20/03/20 6:24 pm

चरण – 3

➢ **अपने गाँव में लागू सरकारी योजनाओं की सूची बनाइए। योजनावार इनके क्रियान्वन की स्थिति कैसी है? और इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वन कैसे करवाया जा सकता है।**

प्रक्रिया :

- सहभागियों को उन्हीं गाँव वार समूहों में बैठने को कहें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में गाँव स्तर पर लागू सरकारी योजनाओं की सूची बनाने के लिए कहें।
- सूची तैयार हो जाने पर सहभागियों से गाँव में योजनावार इनके क्रियान्वन की स्थिति कैसी है? का आकलन करने के लिए कहें।
- सरकारी योजनाओं का आकलन हो जाने पर सहभागियों से इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वन कैसे करवाया जा सकता है? पर चर्चा करने के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर निम्न तालिका में सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।

सरकारी योजनाओं की सूची	योजनावार क्रियान्वन की स्थिति	योजनाओं का बेहतर क्रियान्वन कैसे होगा

- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : 2 से 3 घंटे**

Manual_Handbook.indd 42 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

इस अभ्यास से यह अपेक्षा कि गई है कि सहभागी अपने गाँव में **क्या-क्या संसाधन उपलब्ध हैं? और उनकी हालत क्या है?** की पहचान कर **विश्लेषण** कर उन्हें बेहतर करने की योजना बना सकें। इस अभ्यास से गुजरने में फेसिलिटेटर से यह अपेक्षा होती है कि वह सहभागियों को गाँव में उपलब्ध तमाम संसाधनों पर चर्चा को केन्द्रित करायें।

सहभागी जब अपने कार्य को प्रस्तुत कर रहे हों तो, उस समय फेसिलिटेटर टीम को काफी सजग रहने की जरूरत होगी। उसे न सिर्फ संसाधनों की सूची का ध्यान रखना है, बल्कि यह भी ध्यान रखना होगा कि संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की योजना तैयार करते समय सहभागियों ने उस परिवेश और पृष्ठभूमि को अपने अभ्यास के दौरान ध्यान में रखा है या नहीं, जहाँ वो निवास करते हैं।

यह अभ्यास तीन चरणों में बंटा है। सहभागियों की गाँव के संसाधनों पर विश्लेषण की क्षमता तथा संसाधनों को बेहतर करने की योजना पर समझ निर्माण के लिए तीनों चरण पूरे किए जाने जरूरी हैं।

अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत करते हुए फेसिलिटेटर सहभागियों को गाँव वार समूह में बैठने को कहें। एक बार जब सहभागी गाँव वार समूहों में बैठ जाएँ तो उन्हें अपने-अपने समूह में गाँव स्तर पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की विस्तृत सूची बनाने के लिए कहें।

सूची तैयार हो जाने पर सहभागियों से गाँव में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की हालत का आकलन करने के लिए कहें।

प्राकृतिक संसाधनों का आकलन हो जाने पर सहभागियों से इनके बेहतर इस्तेमाल करने की योजना पर चर्चा करने के लिए कहें।

जब सभी समूहों के चार्ट तैयार हो जायें तो उन्हें प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहें। बड़े समूह में कार्य की प्रस्तुति के दौरान फेसिलिटेटर को प्रत्येक प्रस्तुति के साथ यह प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रश्न और स्पष्टीकरण हों। जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों की पहचान, विश्लेषण इस तरह से हो की संसाधनों की मौजूदा हालत पर सहभागियों में स्पष्टता बन सके।

फेसिलिटेटर को यही से अभ्यास के दूसरे चरण के लिए भूमिका/आधार तैयार करना शुरू कर देना चाहिए।

अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए फेसिलिटेटर सहभागियों को दुबारा से उन्हीं गाँव वार समूह में बैठने को कहें। एक बार जब सहभागी गाँव वार समूहों में बैठ जाएँ तो उन्हें अपने-अपने समूह में गाँव स्तर पर मानव निर्मित संसाधनों की विस्तृत सूची बनाने के लिए कहें।

सूची तैयार हो जाने पर सहभागियों से गाँव में मानव निर्मित संसाधनों की हालत का आकलन करने के लिए कहें।

संसाधनों का आकलन हो जाने पर सहभागियों से उन्हें बेहतर बनाने की योजना पर चर्चा करने के लिए कहें।

जब सभी समूहों के चार्ट तैयार हो जायें तो उन्हें प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहें। बड़े समूह में कार्य की प्रस्तुति के दौरान फेसिलिटेटर को प्रत्येक प्रस्तुति के साथ यह प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रश्न और स्पष्टीकरण हों। जिससे कि मानव निर्मित संसाधनों की पहचान, विश्लेषण इस तरह से हो की संसाधनों की मौजूदा हालत और बेहतर बनाने की योजना पर सहभागियों में स्पष्टता बन सके।

Manual_Handbook.indd 43 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर को यही से अभ्यास के तीसरे चरण के लिए भूमिका/आधार तैयार करना शुरू कर देना चाहिए।

अभ्यास के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए फेसिलिटेटर सहभागियों को अपने-अपने समूह में गाँव स्तर पर लागू सरकारी योजनाओं की सूची बनाने के लिए कहें। सूची तैयार हो जाने पर सहभागियों से गाँव में योजनावार इनके क्रियान्वन की स्थिति कैसी है? का आकलन करने के लिए कहें। इसके अंतर्गत सहभागियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे गाँव में सरकारी योजनाओं से जो लोग वंचित है, उन्हें चिन्हित करें तथा जिन लोगों का भुगतान/राशन बीच में ही बंद हो गया है, उनको भी चिन्हित किया जाये।

सरकारी योजनाओं का आकलन हो जाने पर सहभागियों से इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कैसे करवाया जा सकता है? पर चर्चा कर योजना बनाने के लिए कहें।

जब सभी समूहों के चार्ट तैयार हो जायें तो उन्हें प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहें। बड़े समूह में कार्य की प्रस्तुति के दौरान फेसिलिटेटर को प्रत्येक प्रस्तुति के साथ यह प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रश्न और स्पष्टीकरण हों। जिससे कि सरकारी योजनाओं की पहचान, गाँव में योजनावार इनके क्रियान्वयन की स्थिति कैसी है? और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कैसे करवाया जा सकता पर सहभागियों में स्पष्टता बन सके।

Manual_Handbook.indd 44 20/03/20 6:24 pm

पठन सामग्री

गाँव के संसाधन, उनकी हालत और उन्हें बेहतर बनाने की योजना

किसी गाँव के संसाधनों की सूची, उसकी मौजूदा हालत और आगे उसे बेहतर बनाने की योजना तैयार करने से पहले इसे तीन भागों में बांट लेने से सुविधा होगी।

1. **प्राकृतिक संसाधन** – जल, जंगल, जमीन, पहाड़, खनिज, नदी, नाले, जड़ी-बूटी आदि।
2. **मानवीय संसाधन** – घर, विद्यालय, चिकित्सालय, कुआं, हैंडपंप, रास्ते, एनीकट, तालाब आदि।
3. **सरकार की कल्याणकारी योजनाएं** – गाँव में योजनावार इनके क्रियान्वयन की स्थिति कैसी है? तथा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कैसे करवाया जा सकता है? की पहचान।

गाँव के संसाधनों की सूची, उसकी हालत और उसे बेहतर बनाने की योजना तैयार करते समय गाँव के सभी लोगों को शामिल करना चाहिए और सभी लोगों के साथ मिल कर गाँव के सभी संसाधनों की सूची तैयार करने के बाद उसकी मौजूदा स्थिति का बेहतर विश्लेषण करने के बाद ही हम गाँव के संसाधनों की एक बेहतर योजना तैयार कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में धीरे-धीरे लोगों के जिंदा रहने के सभी संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया जा रहा है। गाँव के लोगों द्वारा सरकार और उद्योगपतियों की साजिश को समझ पाने में असमर्थता तथा गाँव के संसाधनों से जिंदा रहने लायक कुछ न मिल पाने से उपजी निराशा के कारण लोग उसे धीरे-धीरे नष्ट होने दे रहे हैं और उसे नष्ट करने में सहयोग भी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आदिवासी इलाकों में लोगों के जीवन-यापन का मुख्य स्रोत जंगल था। जंगल, वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद धीरे-धीरे बर्बाद हो गए हैं। वनों से लोगों को अब जीवन-यापन के लायक कुछ नहीं मिलता है। वन विभाग उनको और उनके जानवरों को वन में घुसने भी नहीं देता है, जिसके कारण गाँव के लोगों ने जंगल को अपने जीवन से ही निकाल दिया है। अब जंगल को लोग अपना मानते ही नहीं हैं। नक्शा बनाते समय लोग जंगल को अपनी गाँव की सीमा से बाहर दर्शाते हैं। कहीं-कहीं तो वन की जमीन पर कटीले बबूल के अलावा कुछ भी नहीं है। यह कटीले बबूल जलावनी लकड़ी के रूप में भी प्रयोग नहीं होते हैं। वन विभाग की इतनी दहशत हो गई है कि लोग अपने खेतों में पेड़ लगाना भी छोड़ चुके हैं, उनको यह आशंका है कि अगर हमने अपने खेतों में बागवानी की तो वन विभाग उसे अपने कब्जे में ले लेगा।

पहाड़ी इलाका होने से बरसात का पानी कुछ ही घंटों में बह कर निकल जाता है क्योंकि आबादी बढ़ने और खेती करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था और खेत बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने गाँव के सभी नालों और तालाबों पर कब्ज़ा कर उसमें धान-गेहूं की खेती करना शुरू कर दिया है। बढ़ती आबादी और खेती के लिए पानी की आपूर्ति बोर-वेल लगा कर कर रहे हैं। पानी रुकने की सभी जगहों पर खेती होने से धीरे-धीरे भू-जल स्तर नीचे जा रहा है, इसके चलते

Manual_Handbook.indd 45 20/03/20 6:24 pm

गर्मियों में पीने के पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है। लोगों को दूर-दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में अधिकांश बोर-वेल, हैंड-पम्प, कुएं, तालाब, नाले और एनीकट सभी सूख जाते हैं। कहीं-कहीं गांवों में पानी का टैंकर मंगाना पड़ता है। भू-जल स्तर जितना नीचे जा रहा है, बोर-वेल की गहराई उतनी ही बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण साल दर साल पानी का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। यदि जल सरंक्षण की स्थिति यही रही तो जल्द पूरा इलाका अकाल-ग्रस्त हो जाने की आशंका है।

जमीन के मामले में पूरे देश में आदिवासियों को भूमि अधिकार पत्र न देना सरकार की योजना में शामिल है। गाँव की पूरी जमीन पर लोगों का कब्ज़ा है, लेकिन भूमि अधिकार पत्र लेने के लिए सामूहिक प्रयास की कोई योजना नहीं है। उनकी 80 प्रतिशत जमीन पथरीली, उबड़-खाबड़ और पहाड़ियों की ढलान वाली है, इसलिए वे उस पर मात्र बरसात में होने वाली एक फसल ही ले पाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां पानी की कमी हो वहां धान, गेहूं, कपास की खेती करना कभी लाभदायक नहीं हो सकता है। सिंचाई के अभाव में उनकी फसलें सूख जाती हैं और पूरी लागत बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में जमीन से क्या उत्पादन लिया जाए इसकी न तो कोई स्पष्ट समझ है और न ही कोई योजना। अधिकांश गांवों की 80% जमीन पर बरसात में होने वाली फसल ही बोई जाती है और बाकी समय वह खाली पड़ी रहती है।

जीवित रहने के यह तीनों संसाधन (जल, जंगल और जमीन) बदहाली की स्थिति में पहुंच चुके हैं। सामुदायिक जीवन जीने की परम्परा भी धीरे-धीरे शादी, मृत्यु-भोज और विवादों के निपटारे तक सीमित हो गई है। आजीविका संवर्धन में सामुदायिक समझ और भावना, जो कि उनके जीवन स्तर को सुधार सकती है, धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है।

पेसा कानून में मिले अधिकारों को लेने के लिए आदिवासियों को अपनी सामुदायिक सोच को फिर से विस्तार देना होगा। इसी सोच और समझ के अंतर्गत अगर वह अपने संसाधनों का आकलन और योजना तैयार कर सकें तभी वह अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और संरक्षण भी कर सकेंगे, जो पेसा कानून की मूल भावना है।

संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की योजना

गाँव में हमारे पास जो भी संसाधन हैं उसे बेहतर करके हम कैसे अपने जीवन स्तर को सुधार सकते है? इसके बारे में सोचने-समझने और कार्य रूप में परिणित करने के लिये गाँव के लोगों की सहमति से जो तय हो उसके अनुसार पुराने कार्य के सुधार और नये के निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं जिससे गाँव के सारे लोगों को उसका लाभ मिल सके।

जल संरक्षण के लिये नदी, नालों को चिन्हित करके एनीकट बनाना, कच्चे एनीकट को जहाँ जरुरी हो पक्का करना, तालाब के रिसाव को रोकने के लिए चिकनी मिट्टी डालना, उसकी पाल को मजबूत करना, एनीकट की आवश्यकता के अनुसार ऊंचाई या गहराई बढ़ाना, नये तालाब की खुदाई करना, पहाड़ों पर नाली खोद कर बरसात के पानी को रोकना जिससे पहाड़ अधिक पानी संग्रहित कर सके, सिंचाई के लिये ड्रिप और फव्वारों को लगाना। ऐसी फसलों की पैदावार करना जिसमें पानी की खपत कम हो।

जंगलों को वन विभाग से अपने अधिकार में लेकर फलदार वृक्ष जैसे - आम, बेर, सीताफल, आंवला, महुआ, नींबू आदि लगाना। तेन्दुपत्ता, बांस, जड़ी-बूटी लगाना। फलदार पेड़ लगाकर तथा लघुवन उपज के संग्रहण का अधिकार प्राप्त करके हम रोजगार के साधन पैदा कर सकते हैं। सागवान के अलावा नीम आदि इमारती वृक्षों को लगाने से हम स्वयं उसका उपभोग कर सकेंगे और बेच कर कुछ आय भी प्राप्त कर सकेंगे।

खेती के लिये जमीन जो असमतल है, उसको समतल करके रासायनिक खाद की जगह जैविक तथा कम्पोस्ट खाद का प्रयोग, मिट्टी की जांच, देशी बीजों का प्रयोग, खेतों की मेड़बंदी, ड्रिप और फव्वारे से सिंचाई की व्यवस्था करके

Manual_Handbook.indd 46 20/03/20 6:24 pm

हम खेती में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सामुदायिक जमीनों को पशुओं के लिए चारागाह बना सकते हैं। यदि गाँव में चारागाह पहले से मौजूद है तो सामुदायिक जमीनों पर हम फलों के बाग लगा सकते हैं जिसके फल संग्रहण और बिक्री का अधिकार गाँव सभा के पास होगा।

संसाधनों को बेहतर करने की योजना बनाते समय गाँव के लोगों को उसकी हालत की बारीकी से छानबीन करनी चाहिए तभी वह उसकी एक बेहतर योजना तैयार कर सकते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि लोग व्यक्तिगत मामलों में तो काफी रूचि लेते हैं लेकिन सामुदायिक मामलों में उनकी कोई रूचि नहीं होती है, खासकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रति। उदाहरण के लिए, लोग पानी के सन्दर्भ में अपने लिए हैंड-पम्प, चेक-डैम, खेत तलावड़ी की बात करते हैं, लेकिन भू-जल स्तर ऊंचा करने, सामूहिक सिंचाई की व्यवस्था करने, गाँव की सामुदायिक जमीन पर तालाब खोदने, कई नाले जहां मिलते हैं उस पर वहां एनीकट बनाने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। यही स्थिति सामूहिक रूप से भूमि अधिकार पत्र लेने के लिए दावा करने, वन पर सामुदायिक दावा करने, रोजगार न होने के कारण गाँव में हो रहे सामूहिक पलायन को रोकने और पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करने अदि के सन्दर्भ में भी है।

जो भी संस्था या संगठन पेसा कानून पर कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको उपरोक्त परिस्थितियों पर गम्भीरता से सोचना होगा और आदिवासियों के अंदर पनप रही व्यक्तिगत सोच की जगह सामुदायिक सोच और समझ का भी विकास करना होगा, तभी आदिवासी समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपना हक़ और नियंत्रण कायम कर सकेगा।

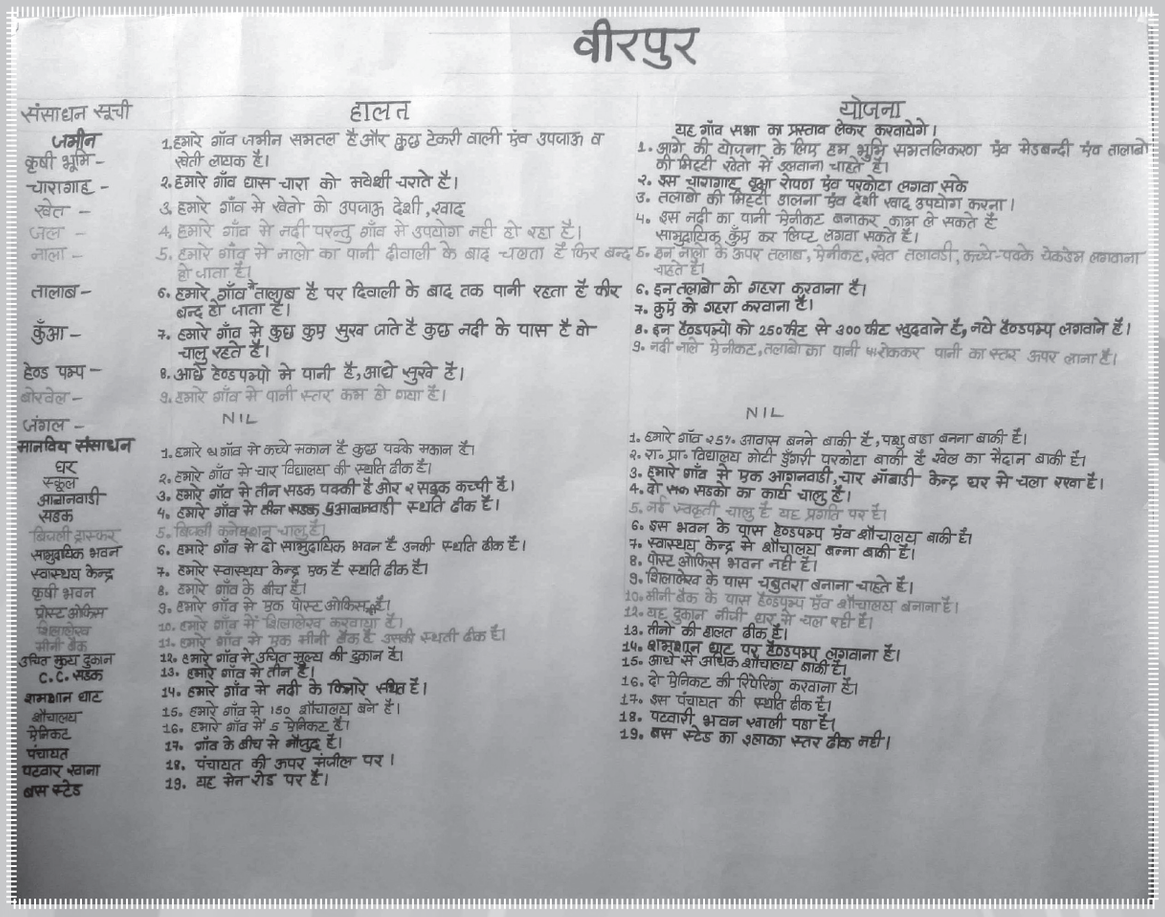

वीरपुर

संसाधन सूची	हालत	योजना
		यह गाँव सभा का प्रस्ताव लेकर करवायेगे।
जमीन	1. हमारे गाँव जमीन समतल है और कुछ टेकरी वाली एवं उपजाऊ व खेती लायक है।	1. आगे की योजना के लिए हम भूमि समतलिकरण एवं मेडबन्दी एवं तालाबो की मिट्टी खेतो में डलवाना चाहते है।
कृषी भूमि –		
चारागाह –	2. हमारे गाँव घास चारा को मवेशी चराते है।	2. इस चारागाह छुआ रोपण एवं परकोटा लगवा सके
खेत –	3. हमारे गाँव मे खेतो को उपजाऊ देशी, खाद	3. तलाबो की मिट्टी डालना एवं देशी खाद उपयोग करना।
जल –	4. हमारे गाँव मे नदी परन्तु गाँव मे उपयोग नही हो रहा है।	4. इस नदी का पानी मेनीकट बनाकर काम ले सकते है सामुदायिक कुंए कर लिफ्ट लगवा सकते है।
नाला –	5. हमारे गाँव मे नालो का पानी दीवाली के बाद चलता है फिर बन्द हो जाता है।	5. इन नालो के ऊपर तलाब, मेनीकट, खेत तलावडी, कच्चे-पक्के चेकडेम लगवाना चाहते है।
तालाब –	6. हमारे गाँव तालाब है पर दिवाली के बाद तक पानी रहता है फीर बन्द हो जाता है।	6. इन तलाबो को गहरा करवाना है।
कुँआ –	7. हमारे गाँव मे कुछ कुए सुख जाते है कुछ नदी के पास है वो चालु रहते है।	7. कुएं को गहरा करवाना है।
हेण्ड पम्प –	8. आधे हेण्डपम्पो मे पानी है, आधे सुखे है।	8. इन हेण्डपम्पो को 250 फीट से 300 फीट खुदवाने है, नये हेण्डपम्प लगवाने है।
बोरवेल –	9. हमारे गाँव मे पानी स्तर कम हो गया है।	9. नदी नाले मेनीकट, तलाबो का पानी रोककर पानी का स्तर ऊपर लाना है।
जंगल –	NIL	NIL
मानविय संसाधन	1. हमारे गाँव मे कच्चे मकान है कुछ पक्के मकान है।	1. हमारे गाँव 257 आवास बनने बाकी है, पशु बडा बनना बाकी है।
घर	2. हमारे गाँव मे चार विद्यालय की स्थिति ठीक है।	2. रा॰ प्रा॰ विद्यालय मोटी डुँगरी परकोटा बाकी है खेल का मैदान बाकी है।
स्कूल	3. हमारे गाँव मे तीन सडक पक्की है और 2 सडक कच्ची है।	3. हमारे गाँव मे एक आगनवाडी, चार आँबाडी केन्द्र घर मे चला रहा है।
आगनवाडी	4. हमारे गाँव मे तीन सडक 4 आगनवाडी स्थिति ठीक है।	4. दो सक सडको का कार्य चालु है।
सडक	5. बिजली कनेक्शन चालु है।	5. नई स्वकृती चालु है यह प्रगति पर है।
बिजली ट्रान्सफर	6. हमारे गाँव मे दो सामुदायिक भवन है उनकी स्थिति ठीक है।	6. इस भवन के पास हेण्डपम्प एवं शौचालय बाकी है।
सामुदायिक भवन	7. हमारे स्वास्थ्य केन्द्र एक है स्थिति ठीक है।	7. स्वास्थ्य केन्द्र मे शौचालय बन्ना बाकी है।
स्वास्थ्य केन्द्र	8. हमारे गाँव के बीच है।	8. पोस्ट ओफिस भवन नही है।
कृषी भवन	9. हमारे गाँव मे एक पोस्ट ओफिस है।	9. शिलालेख के पास चबुतरा बनाना चाहते है।
पोस्ट ओफिस	10. हमारे गाँव मे शिलालेख करवाया है।	10. मीनी बैंक के पास हेण्डपम्प एवं शौचालय बनाना है।
शिलालेख	11. हमारे गाँव मे एक मीनी बैंक है उसकी स्थिती ठीक है।	12. यह दुकान मीनी घर मे चल रही है।
मीनी बैंक	12. हमारे गाँव मे उचित मुल्य की दुकान है।	13. तीनो की हालत ठीक है।
उचित मुख्य दुकान	13. हमारे गाँव मे तीन है।	14. श्मशान घाट पर हेण्डपम्प लगवाना है।
C.C. सडक	14. हमारे गाँव मे नदी के किनारे स्थित है।	15. आधे से अधिक शौचालय बाकी है।
श्मशान घाट	15. हमारे गाँव मे 150 शौचालय बने है।	16. दो मेनिकट की रिपेरिंग करवाना है।
शौचालय	16. हमारे गाँव में 5 मेनिकट है।	17. इस पंचायत की स्थिति ठीक है।
मेनिकट	17. गाँव के बीच मे मौजुद है।	18. पटवारी भवन खाली पडा है।
पंचायत	18. पंचायत की ऊपर मंजील पर।	19. बस स्टेड का इलाका स्तर ठीक नही।
पटवार खाना	19. यह मेन रोड पर है।	
बस स्टेड		

Manual_Handbook.indd 47 20/03/20 6:24 pm

पांचवा दिन

अभ्यास – 6 (समय : 3 से 4 घंटे)

➤ **कार्यशाला से वापस गाँव में जाकर–**

» संसाधनों की सूची, उनकी हालत और बेहतर करने की योजना तैयार करना।

» गाँव की जानकारी एकत्रित करना।

गाँव का नजरिया नक्शा तैयार करना।

उपरोक्त तीनों कार्य करने के लिए गाँव में क्या-क्या करना होगा? उसकी योजना तैयार कीजिए।

उद्देश्य : सहभागियों में कार्य योजना की समझ विकसित करना।

प्रक्रिया :

- सहभागियों को गाँव वार समूह में बैठने को कहें।
- सहभागियों से अपने गाँव में **वापस जा कर क्या-क्या करना है? उसकी योजना तैयार** करने के लिए कहें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में, "कार्यशाला से वापस जाकर गाँव स्तर पर नजरिया नक्शा **तैयार करने के लिए क्या-क्या करना है"**? विषय पर चर्चा करने को कहें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में, **"गाँव की जानकारी एकत्रित करने के लिए क्या-क्या करना है"** विषय पर चर्चा करने को कहें।
- सहभागियों को अपने-अपने समूह में, **"संसाधनों की सूची, उनकी हालत और बेहतर करने की योजना तैयार करने के लिए क्या-क्या करना है"**? विषय पर चर्चा करने को कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।
- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।

Manual_Handbook.indd 48 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

इस अभ्यास में फेसिलिटेटर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सहभागियों को गाँव वार समूह में बैठने को कहें। चूँकि विभिन्न समूह अपनी-अपनी समझ और कौशल के हिसाब से योजना तैयार करेंगे, इसलिए फेसिलिटेटर धैर्य बनाये रखे। सभी समूहों द्वारा योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करने के बाद ही उन योजनाओं पर सामूहिक चर्चा हो।

प्रस्तुतिकरण के बाद फेसिलिटेटर सहभागियों को चौथे दिन के संसाधनों की मैपिंग वाले अभ्यास से निकले बिदुओं को स्मरण करने के लिए कहें। हो सके तो उन चार्ट पेपर को सहभागियों के सामने दीवार पर चिपका दें। फेसिलिटेटर संसाधनों की मैपिंग वाले अभ्यास की डीब्रीफिंग से निकले बिन्दुओं का इस्तेमाल करते हुए अपना इनपुट सहभागियों के सामने रखे कि जब हम अपनी गाँव सभा के साथ बैठ कर संसाधनों की मैपिंग करें तो हम उन बातों पर ज्यादा जोर/महत्व देंगे जो हमें **नजरिया नक्शा बनाते समय अच्छी लगीं और नजरिया नक्शा बनाते समय जो बातें बुरी लगीं थी,** उन बातों का अपनी गाँव सभा में इस्तेमाल नहीं करेंगे।

फेसिलिटेटर निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखें-

- **क्या समूह ने योजना चरणबद्ध तरीके से तैयार की है? कहीं कोई चरण छूट तो नहीं गया है।**
- **क्या योजना दिनों के आधार पर तैयार की गई या लम्बी अवधि का एक ही दिन का कार्यक्रम बनाया गया है।**
- **विषय वस्तु की क्रमबद्धता कहां तक उपयुक्त है?**
- **विभिन्न विषय हेतु दी गई समय सीमा कहां तक पर्याप्त और तर्क संगत है?**

जहां तक संभव हो, अगर कोई - विशेष त्रुटि योजनाओं में हो तो अपनी तरफ से हस्तक्षेप कर, उन योजनाओं को ठीक कर दें। अगर समय की सुविधा हो तो चर्चा के दौरान उभरे विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए सहभागियों से दुबारा योजना तैयार करने को कहें।

फेसिलिटेटर की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि गाँव विकास की योजना पर विस्तृत चर्चा दूसरे फेज की कार्यशाला में की जाएगी। सहभागियों से यह अपेक्षा भी होती है कि वे गाँव जाकर इन कार्यों को गाँव सभा के माध्यम से पूरा करवाने की दिशा में सक्रिय रहेंगे क्योंकि कार्यशाला के दूसरे चरण की सफलता उनकी तैयारी पर ही निर्भर करती है।

यह अभ्यास सहभागियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सहभागियों को कार्यशाला से लौटकर अपने गाँव सभा के साथ बैठकर यह तीनों कार्य पूरे कर वापस दूसरे फेज की कार्यशाला में साथ ले कर आने हैं। इन्हीं कार्यों की मदद से दूसरे फेज की कार्यशाला में गाँव के विकास के प्रस्ताव तैयार किए जायेंगे।

Manual_Handbook.indd 49 20/03/20 6:24 pm

पठन सामग्री

गाँव स्तर पर जाकर किए जाने वाले कार्यों की योजना के बिंदु

गाँव स्तर पर जाकर संसाधनों की सूची, गाँव की सूचनाएं एकत्रित करने तथा नजरिया नक्शा तैयार करने के लिए क्या-क्या करना है? उसकी योजना के बिंदु-

1. गाँव के कुछ लोगों के साथ बातचीत करके उनको कार्यशाला की जानकारी देना और उन्हें इस कार्य के लिए सहमत करना।
2. सहमति बन जाने के बाद उन लोगों को लेकर पूरे गाँव के लोगों के साथ बातचीत करके बैठक की तारीख तय करना।
3. बैठक में महिलाओं तथा पिछड़े/वंचित तबकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
4. बैठक में सबकी सहमति से गाँव के सभी संसाधनों को नोट करना। नजरिया नक्शा बनाते समय गाँव से संबंधित तमाम जानकारियां जैसे कि संसाधन की सूची, आबादी, फलों की संख्या, परिवारों की संख्या, गाँव में लागू सरकारी योजनाओं की स्थिति तथा उनके लाभार्थियों की स्थिति इत्यादि पर पर्याप्त जानकारी एकत्रित करना।
5. संसाधनों की हालत और उसकी बेहतरी के लिए योजना बनाने में सभी की राय लेना।
6. नजरिया नक्शा बनाते समय चार्ट पर गाँव की सीमा का निर्धारण करना।
7. नक्शा बनाते समय नक्शे में दिशा निर्धारण करना।
8. संसाधनों को दर्शाने के लिये संकेत चिन्हों का निर्धारण करना तथा नक्शे पर एक तरफ प्रतीक चिन्हों को बनाकर उनका नाम और संख्या लिखना।
9. नक्शा बनाने के लिये आवश्यक वस्तु जैसे- रबर, पैंसिल, चार्ट पेपर, कलर की उपलब्धता हो या फिर नक्शे को जमीन पर बनाया जाये।
10. नक्शा बनाते समय बैठक में उपस्थित सभी लोगों की राय शामिल हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर यह रहता है कि हम नक्शा बनाने का काम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जिसका पहले से ही उस गाँव में वर्चस्व हो या फिर जिसके सामने लोग, खासकर पिछड़े लोग बोल न पाते हों।
11. कार्यशाला के दौरान नजरिया नक्शा बनाते समय हमें जो बातें अच्छी लगी थीं, कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें गाँव सभा की बैठक के दौरान लागू करने का प्रयास करें।
12. कार्यशाला के दौरान नजरिया नक्शा बनाते समय हमने जिन दिक्कतों का सामना किया था, कोशिश करनी चाहिए कि वह दिक्कत गाँव सभा की बैठक के दौरान न आएं।
13. सहभागी दूसरे फेज की कार्यशाला में आते समय गाँव सभा में तैयार गाँव के संसाधनों की सूची, नजरिया नक्शा तथा गाँव की जानकारी साथ लेकर आएं।

Manual_Handbook.indd 50 20/03/20 6:24 pm

अभ्यास – 7 (समय : 1 से 1.30 घंटा)

➤ **कार्यशाला के प्रथम फेज का मूल्यांकन**

प्रक्रिया :

- सबसे पहले सहभागियों को एक गोल घेरे में बैठने के लिए कहें।
- सहभागियों से कार्यशाला के मूल्यांकन के बारे में थोड़ी देर सोचने के लिए कहें।
- सहभागियों के बीच एक-एक कर सवाल रखे जाएं, जिन पर सहभागी अपनी राय देंगे।
- सहभागियों की राय को फेसिलिटेटर टीम लिपिबद्ध करेगी।

Manual_Handbook.indd 51 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

फेसिलिटेटर टीम के साथी कार्यशाला के मूल्यांकन सत्र के दरमियान सहभागियों द्वारा दिए जा रहे सुझावों को गंभीरता से नोट करें, जिससे आगामी दिनों में आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में इन सुझावों पर अमल किया जा सके। सहभागियों द्वारा दिए गए सुझावों का कार्यशाला संचालन में महत्वपूर्ण स्थान है।

आपकी सुविधा के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान पूछे जाने वाले सवाल इस प्रकार हो सकते हैं-

- कहने-सुनने का माहौल और अवसर उपलब्ध था या नहीं?
- आपसी रिश्ते कैसे थे?
- फेसिलिटेटर टीम के साथ रिश्ते कैसे थे?
- व्यवस्था संबंधी इंतजाम कैसे थे?
- कार्यशाला में क्या-क्या सीखा?
- कार्यशाला को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव।

Manual_Handbook.indd 52 20/03/20 6:24 pm

दूसरा फेज

Manual_Handbook.indd 54 20/03/20 6:24 pm

कार्यशाला : दूसरा फेज

दिन	अभ्यास, अनुमानित समय और उद्देश्य	अभ्यास के विभिन्न चरण और अनुमानित समय	
		चरण- 1 (समय)	चरण- 2 (समय)
पहला दिन	**अभ्यास - 1** » **परिचय :** परिचय एवं अनुभवों का आदान-प्रदान। **उद्देश्य :** • एक-दूसरे से जान-पहचान। • अनुभवों का आदान-प्रदान। » प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे फेज के उदेश्यों पर स्पष्टिकरण। **(समय : 3-4 घंटा)**	**औपचारिक परिचय** जैसे- नाम, गाँव, शैक्षिक योग्यता और आजीविका के साधन के बारे में सहभागियों द्वारा परिचय देना। **(समय : 40-50 मिनट)**	**अनुभवों का आदान-प्रदान :** कार्यशाला से लौटकर अपने-अपने गाँवों में नजरिया नक्शा, सूचनाओं के इकट्ठा करने तथा संसाधनों की सूची- उनकी स्थिति का विश्लेषण कर बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाने के दौरान मिले अनुभवों की सामूहिक सूची विकसित करना। **(समय: 2-3 घंटा)**
दूसरा दिन	**अभ्यास - 2** » गाँव सभा में किये गए कार्यों और उस दौरान हुए अनुभवों को साझा करना। **उद्देश्य :** • सहभागियों के बीच प्रत्येक गाँव सभा में किए गए कार्यों को साझा करना। • गाँव सभा में मिले अनुभवों को साझा करना।	**अभ्यास - 2 एक चरण में किया जायेगा।** अपने-अपने गाँव में किये गए कार्यों को साझा करना तथा इस दौरान क्या-क्या उत्साहजनक लगा और किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इन अनुभवों पर बातचीत कर निष्कर्ष निकाल कर सूचीबद्ध करना। **(समय : आधा दिन)**	
	अभ्यास - 3 » पठन सामग्री के आधार पर विकासोर गांव की समस्याओं को पहचान कर उनके कारण और समाधान खोजना। **उद्देश्य :** • गाँव की समस्याओं के निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में समझ विकसित करना। • समस्याओं का सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत विभेद कर सकने की क्षमता का विकास करना। • समस्याओं के समाधान पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। **(समय : पूरा दिन)**	**अभ्यास - 3 एक चरण में किया जायेगा।** » पठन सामग्री के आधार पर विकासोर गाँव की समस्याओं की सूची तैयार करते हुए उसे सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दो श्रेणियों में बाँटना। » चिन्हित समस्याओं के कारण और समाधानों को सूचीबद्ध करना। **(समय : आधा दिन)**	

Manual_Handbook.indd 55 20/03/20 6:24 pm

तीसरा दिन	**अभ्यास - 4** » अभ्यास -3 में विकसित समझ के आधार पर अपने-अपने गाँव की समस्याओं को पहचान कर उनके कारण और समाधान खोजना। **उद्देश्य :** • अपने-अपने गाँव की समस्याओं का निर्धारण करना। • अपने गाँव की समस्याओं को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत के रूप में पहचाना। • समस्याओं के समाधान खोजने पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। **(समय : पूरा दिन)**	**अभ्यास - 4 एक चरण में किया जायेगा।** • पिछले अभ्यास से मिले अनुभव के आधार पर समूह चर्चा करके अपने-अपने गाँव की समस्याओं की सूची तैयार करके उसे सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दो श्रेणियों में बांटिये। • चिन्हित समस्याओं के कारण, समाधान और वरीयता बताना। **(समय : पूरा दिन)**
चौथा दिन	**अभ्यास - 5** » अपने गाँव की समस्याओं के आधार पर गाँव सभा में गाँव विकास योजना के प्रस्ताव तैयार करना। **उद्देश्य :** • गाँव विकास योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने की क्षमता का निर्माण करना। **(समय : पूरा दिन)**	**अभ्यास - 5 एक चरण में किया जायेगा।** » अपने गाँव का नजरिया नक्शा, अपने गाँव से जुड़ी जानकारियां और उपलब्द संसाधनों के आधार पर चिन्हित समस्याओं के समाधान हेतु अपने गाँव विकास की योजना के प्रस्ताव तैयार करना। » सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निर्णय से तय प्रस्ताव फॉर्मेट में गाँव विकास की योजना के प्रस्ताव लिखने को कहें। **(समय : पूरा दिन)**
पांचवा दिन	**अभ्यास - 6** » कार्यशाला (दूसरा फेज) से वापस अपने गाँव में जाकर गाँव विकास योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्या-क्या करना होगा? उसकी योजना तैयार करना। **उद्देश्य :** • कार्य योजना पर क्षमता का निर्माण करना। **अभ्यास - 7** » कार्यशाला के दूसरे फेज का मुल्यांकन। **उद्देश्य :** सहभागियों से कार्यशाला के बारे में फीडबैक लेना और मूल्यांकन करना। **(समय : 5 से 6 घंटा)**	**अभ्यास - 6 एक चरण में किया जायेगा।** सहभागियों को चर्चा कर निम्न कार्य करना है- » कार्यशाला से अपने गाँव में वापस जा कर गाँव विकास योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्या-क्या करना है ? उसकी योजना तैयार करना। **(समय : 3 से 3.30 घंटे)** अभ्यास 7 के माध्यम से सहभागियों से कार्यशाला का फीडबैक लेना और मूल्यांकन करना - » सहभागियों के बीच एक-एक कर सवाल रखना और सहभागियों की राय लेना। **(समय : 1 से 1.30 घंटा)**

नोट :

1. कार्यशाला (दूसरा फेज) में अभ्यास और उसके चरणों के लिए जो समय दिया गया है, वह अनुमानित है। इसमें परस्थितियों के अनुसार थोडा बहुत बदलाव किया जा सकता है।
2. यह ध्यान रखा जाय कि पांच दिनों में सभी अभ्यास और उसके चरण पूरे किये जायें।

Manual_Handbook.indd 56 20/03/20 6:24 pm

पहला दिन

अभ्यास – 1 (समय : 3 से 4 घंटे)

परिचय एवं अनुभवों का आदान-प्रदान : एक-दूसरे से जान-पहचान एवं कार्यशाला से लौटकर अपने-अपने गाँवों में नजरिया नक्शा, सूचनाओं के इकट्ठा करने तथा संसाधनों की सूची- उनकी स्थिति का विश्लेषण कर बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाने के दौरान मिले अनुभवों का आदान-प्रदान।

{यह अभ्यास दो चरणों में बंटा है। सहभागियों का परिचय एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए दोनों चरण पूरे किए जाने जरूरी हैं}

सीखने का उद्देश्य : इस अभ्यास के दो मुख्य उद्देश्य हैं।

- एक-दूसरे से जान-पहचान।
- अनुभवों का आदान-प्रदान।

चरण – 1

प्रक्रिया :

- सबसे पहले सहभागियों को एक गोल घेरे में बैठने के लिए कहें।
- सहभागी एक बार आराम से बैठ जाएं तो उन्हें एक-एक कर अपना संक्षिप्त परिचय देने को कहें।
- संक्षिप्त परिचय के लिए बिंदु इस प्रकार होंगे-
  - नाम?
  - कहाँ से आये है?
  - शैक्षिक योग्यता
  - आजीविका चलाने के लिए क्या करते है?
- **समय : 40 से 50 मिनट**

Manual_Handbook.indd 57 20/03/20 6:24 pm

चरण - 2

प्रक्रिया :

» सबसे पहले सहभागियों को गाँववार समूहों में बैठने के लिए कहें।

» सहभागियों को गाँववार समूहों में बैठने के दौरान ही विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए बिन्दुओं को लिखकर दीवार/ब्लैकबोर्ड पर चिपका दें।

» सहभागी एक बार आराम से बैठ जाएं तो उनके सामने **कार्यशाला से लौटकर अपने-अपने गाँवों में नजरिया नक्शा, सूचनाओं के इकट्ठा करने तथा संसाधनों की सूची- उनकी स्थिति का विश्लेषण कर बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाने के दौरान मिले अनुभवों को** निम्न बिंदुओं के आधार पर रखने के लिए कहें।

- **गाँव सभा में भागीदारी के संदर्भ में।**
- **नजरिया नक्शा बनाने की प्रक्रिया के दौरान मिले खट्टे-मीठे अनुभवों के संदर्भ में।**
- **गाँव की सूचनाओं को एकत्रित करने में।**
- **गाँव में उपलब्ध संसाधनों की सूची- उनकी स्थिति का विश्लेषण कर बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाने की प्रक्रिया में।**

» प्रत्येक सहभागी अपने गाँववार समूह के अन्य सदस्यों को बताए कि उसके उपरोक्त बिंदुओं पर क्या अनुभव रहे है?

» व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर बातचीत हो जाने के बाद सहभागियों को अपने-अपने समूह में **''कार्यशाला से लौटकर अपने-अपने गाँवों में नजरिया नक्शा, सूचनाओं के इकट्ठा करने तथा संसाधनों की सूची- उनकी स्थिति का विश्लेषण कर बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाने के दौरान मिले अनुभवों** की सामूहिक सूची विकसित करने के लिए कहें।

» चर्चा के उपरांत समूहों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।

» सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।

» चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।

» **समय : 2 से 3 घंटे**

Manual_Handbook.indd 58 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

कार्यशाला (दूसरे फेज) के संदर्भ में

कार्यशाला में आये सहभागियों को आराम से अपना स्थान ग्रहण करने को कहें। इसके बाद उनकी व्यवस्थागत दिक्कतों के बारे में बातचीत करें। रहने, खाने, दवा, फोन आदि की व्यवस्थाओं के बारे में उन्हें बतायें। अपनी संस्था/संगठन की तरफ से उनका स्वागत करें एवं अपना परिचय देकर तथा परिचय सत्र को विधिवत् आरंभ करें। फेसिलिटेटर टीम के साथी संक्षिप्त परिचय सत्र की समाप्ति पर सहभागियों को गाँववार समूहों में बैठने के लिए कहें।

सहभागियों के गाँववार समूहों में बैठने के दौरान ही अनुभवों का आदान-प्रदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए बिन्दुओं को लिखकर दीवार/ब्लैकबोर्ड पर चिपका दें।

फेसिलिटेटर टीम के साथी अनुभवों का आदान-प्रदान सत्र के दरमियान सहभागियों द्वारा दी जा रही जानकारियों को गंभीरता से नोट करें जिससे सहभागियों की गाँव सभा में भागीदारी के संदर्भ में, नजरिया नक्शा बनाने की प्रक्रिया के दौरान मिले खट्टे-मीठे अनुभवों के संदर्भ में, गाँव की सूचनाओं को एकत्रित करने में और गाँव में उपलब्ध संसाधनों की सूची- उनकी स्थिति का विश्लेषण कर बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाने की प्रक्रिया में मिले अनुभवों की पूरी जानकारी हमारे पास लिपिबद्ध हो। इन जानकारियों का कार्यशाला संचालन में महत्वपूर्ण स्थान है। समूह चर्चा और इनपुट में इन अनुभवों की आवश्यकता पड़ सकती है।

फेसिलिटेटर समूह को सभी सहभागियों को बोलने और सुनने के लिए पर्याप्त गुंजाइश बनाये रखनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह कोशिश रहनी चाहिए कि सभी सहभागी एक-दूसरे का नाम-पता एवं कार्यशाला से लौटकर अपने-अपने गाँवों में नजरिया नक्शा, सूचनाओं के इकट्ठा करने तथा संसाधनों की सूची- उनकी स्थिति का विश्लेषण कर बेहतर इस्तेमाल की योजना बनाने के दौरान मिले अनुभवों को संक्षेप में सुन सकें।

परिचय और अनुभव साझा करने का कार्य समाप्त हो जाने के बाद समूह में गुंजाइश हो तो एकाध सामूहिक गीत गवाएं या फिर चाय-पानी के लिए एक छोटा ब्रेक दें, फिर सहभागियों को कार्यशाला के उद्देश्य बताएं। कार्यशाला के उद्देश्यों को चार्ट पेपर पर लिखें और सहभागियों को चर्चा का मौका प्रदान करें, ताकि वे इस विषय पर अपने मन में उभरने वाले प्रश्नों पर चर्चा कर सकें। कार्यशाला के उद्देश्यों के साथ-साथ कार्य-पद्धति और विषय-वस्तु की मोटी-मोटी रूपरेखा सहभागियों के समक्ष रखें। इससे सहभागियों की सक्रियता बढ़ेगी।

जैसा कि पहले फेज की कार्यशाला में भी हमने जिक्र किया था कि यह कार्यक्रम दो फेज का है। दोनों फेज का फोकस सीखने के अलग-अलग स्तरों पर है। उद्देश्य निरूपण की प्रक्रिया के दौरान सहभागियों के समक्ष दोनों फेज के लिए व्यापक उद्देश्यों को रखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रहे कि इस बात की गुंजाइश हमेशा बनी रहे कि **सहभागियों को यह महसूस भी होना चाहिए कि जो उनकी जरूरत है वही कार्यशाला के उद्देश्य हैं।**

इसी प्रकार हमेशा यह ध्यान रखें कि इस पूरे सत्र की चर्चा में प्रत्येक सहभागी को यह महसूस हो कि प्रशिक्षण कार्यशाला में उनकी अपनी अहमियत है और सीखने की विषय-वस्तु उनकी अपनी है। उनके अपने जीवन अनुभव से जुड़ी है। इसका

Manual_Handbook.indd 59 20/03/20 6:24 pm

समूचा सरोकार उनके गाँव के विकास में उनकी भूमिका के लिए जरूरी है। 'गाँव विकास योजना' विषय पर कार्यशाला के उद्देश्य-

- **प्रतिभागियों की गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संबंध एवं उनके इस्तेमाल के लिए साझा समझ विकसित करना।**
- **प्रतिभागियों की संसाधनों की मैपिंग करने की क्षमता का विकास करना।**
- **प्रतिभागियों का गाँव विकास नियोजन पर समझ का विकास करना।**

कार्यशाला के प्रथम फेज में हमने पहले दो उद्देश्यों पर समझ बनाने का काम किया था। इस कार्यशाला में **गाँव विकास नियोजन पर समझ का विकास** करेंगे। दूसरे फेज के उद्देश्य को फेसिलिटेटर सरल ढंग से व्याख्यायित करें।

पेसा कानून में आदिवासी क्षेत्रों के लिए दिए गए 11 अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार **गाँव विकास नियोजन** (गाँव के विकास की योजना तैयार करना) है। इस अधिकार के तहत पंचायत द्वारा गाँव के विकास के लिए किए जा रहे सभी कार्यों की योजना गाँव सभा प्रस्ताव लेकर उसका अनुमोदन करती है और उस प्रस्ताव की फोटोकॉपी पंचायत में जमा कर रसीद लेती है। ग्राम पंचायत पर होने वाली ग्राम सभा में गाँव सभा द्वारा दिए गये सभी प्रस्तावों के आधार पर पंचायत द्वारा एक्शन प्लान (जीपीडीपी) बनाया जाता है और उसी एक्शन प्लान को आगे विभिन्न विभागों में भेजा जाता हैं। अभी तक पंचायत का एक्शन प्लान सरपंच, सचिव और सरपंच के पक्ष के वार्ड पंच ही मिलकर बनाते है, जबकि पेसा कानून में यह अधिकार गाँव सभा को है। अगर गाँव सभा द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है तब गाँव सभा उस कार्य को रोक सकती है और प्रस्ताव पारित कर पंचायत के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरुरी है कि गाँव सभाएं मजबूत हों और सक्रिय हों। **पेसा कानून के तहत 11 अधिकारों में एक अधिकार यह भी है कि पंचायत द्वारा कराए जा रहे प्रत्येक कार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र गाँव सभा ग्राम पंचायत को दे।** अगर पंचायत किसी कार्य को मनमाने ढंग से कर रही है तब गाँव सभा उस कार्य पर आपत्ति लगा कर पंचायत को दे। इसके बाद उसकी प्रतिलिपि बीडीओ, सीईओ और जिलाधिकारी को भी दे। यह करने से पंचायत द्वारा खर्च किए जा रहे पैसे की निकासी पर रोक लग जाएगी।

इसके बाद कुछ व्यवस्थागत बातें-रहने, खाने, पानी आदि पर बातें स्पष्ट कर दी जाएँ। रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी निर्णय कर लिया जाएँ। इसके बाद कुछ आचरणगत बातें- लोगों की भावनाओं का सम्मान, परिसर को ठीक-ठाक रहने देने। खाने-पीने का समय, कार्यशाला की समय-सारिणी आदि पर सहभागियों के साथ निर्णय लेकर इस सत्र को समाप्त किया जाए।

Manual_Handbook.indd 60 20/03/20 6:24 pm

दूसरा दिन

अभ्यास – 2 (समय : आधा दिन)

- **अपनी गाँव सभा में तैयार किया हुआ गाँव का नजरिया नक्शा, संसाधनों की सूची, उनके हालत तथा उनसे संबंधित योजना का प्रस्तुतिकरण कीजिए।**
- **और इस प्रक्रिया में उत्साहजनक क्या-क्या था ?**
- **तथा इस प्रक्रिया के दौरान आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा ?**

उद्देश्य : इस अभ्यास का उद्देश्य हैं:

» सहभागियों के बीच प्रत्येक गाँव सभा में किए गए कार्यों को साझा करना।

» गाँव सभा में मिले अनुभवों का आदान-प्रदान।

प्रक्रिया :

- सहभागियों को गाँव वार समूह में बैठने को कहें।
- गाँव सभा में तैयार चार्ट पेपर समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- सहभागियों को गाँव सभा में नजरिया नक्शा, संसाधनों की सूची, उनके हालत तथा उनसे संबंधित योजना बनाने की प्रक्रिया में उत्साहजनक क्या-क्या था? तथा इस प्रक्रिया के दौरान किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बताने के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।
- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।

Manual_Handbook.indd 61 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

प्रतिभागियों से पहले दिन की कार्यवाही की समीक्षा के बाद उनको अपने-अपने गाँव के समूह में बैठा दें। उसके बाद गाँव सभा में तैयार किये गए नजरिया नक्शा, संसाधनों की सूची तथा गाँव की जानकारी का प्रस्तुतिकरण बारी-बारी से कराएं। फेसिलिटेटर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब कोई गाँव अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा हो तो बाकी समूह ध्यानपूर्वक प्रस्तुतिकरण को देखें और सुनें और प्रस्तुतिकर्ता समूह को यह बतायें कि जिस गाँव का प्रस्तुतिकरण हो रहा है उसमें क्या-क्या कमियां रह गई हैं? और उसको अपने-अपने नोट-पैड पर लिखें। इससे समूह का ध्यान प्रस्तुतिकरण पर होगा।

प्रस्तुतिकरण के बाद लोगों द्वारा किये गए कार्यों की सराहना करें जिससे वापस जाकर गाँव में जो कार्य उन्हें गाँव में करने हैं, उसके लिए उनका आत्मविश्वास बढ़े।

Manual_Handbook.indd 62 20/03/20 6:24 pm

अभ्यास – 3 (समय : डेढ़ दिन)

{यह अभ्यास दो चरणों में बंटा है। सहभागियों की समस्याओं के निर्धारण की प्रक्रिया, समस्याओं का सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत विभेद कर सकने की क्षमता एवं समस्याओं के समाधान पर दृष्टिकोण का निर्माण के लिए दोनों चरण पूरे किए जाने जरूरी हैं}

उद्देश्य : इस अभ्यास का उद्देश्य

» गाँव की समस्याओं के निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में समझ विकसित करना।

» समस्याओं का सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत विभेद कर सकने की क्षमता का विकास करना।

» समस्याओं के समाधान पर दृष्टिकोण का निर्माण करना।

चरण- 1

➤ **पठन सामग्री के आधार पर विकासोर गाँव की समस्याओं की सूची तैयार करते हुए उसे सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दो श्रेणियों में बांटिए।**

➤ **चिन्हित समस्याओं के कारण और समाधान बताइये।**

प्रक्रिया :

- सहभागियों के 10-12 सदस्यों के साथ रैंडम छोटे समूह बनाइये।
- पठन सामग्री का अध्ययन करने के लिए कहें।
- समूह में चर्चा कर विकासोर गाँव की समस्याओं की सूची तैयार करने को कहें।
- चिन्हित समस्याओं को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दो श्रेणियों में बांटने के लिए कहें।
- इसके बाद सहभागियों से इन समस्याओं के कारण बताने के लिए कहें।
- जब समूह कारणों पर चर्चा कर ले तब उन्हें इन समस्याओं के समाधान बताने के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष निम्न तालिका के प्रारूप में लिखने को कहें।

क्र.सं.	समस्याओं की सूची	व्यक्तिगत/सार्वजनिक	कारण	समाधान

- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : आधा दिन**

Manual_Handbook.indd 63 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

सभी सहभागियों को बड़े समूह में बैठने को कहें। जब सभी लोग बैठ जाएँ तब उनको विकासोर गाँव पर आधारित पठन सामग्री बाँट दी जाए। उस पठन सामग्री को किसी एक प्रतिभागी द्वारा पढ़ने को कहें और समूह उसे ध्यान से सुने। पठन सामग्री सुनने के बाद समूह को 10-12 लोगों के छोटे-छोटे समूहों में बाँट कर अलग-अलग बैठाएं। और उनसे कहें कि सभी लोग **विकासोर** गाँव की समस्याएं अपनी-अपनी नोटबुक में लिखें फिर उन्हें सार्वजनिक और व्यक्तिगत दो श्रेणियों में बाँटें।

फेसिलिटेटर टीम प्रत्येक समूह का अवलोकन करती रहे। अगर उनको किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो तो उनकी मदद करें। सभी लोगों की बातें चार्ट पर लिखी जाए और साथ ही साथ समूह के सभी लोग समूह में अपनी भूमिका अदा करें इसका भी ध्यान रखें।

प्रस्तुतिकरण के बाद सार्वजनिक और व्यक्तिगत समस्याओं, उनके कारण और समाधान में स्पष्टता ना हो तो उसे स्पष्ट करें।

Manual_Handbook.indd 64 20/03/20 6:24 pm

तीसरा दिन

चरण- 2

- **पिछले अभ्यास से मिले अनुभव के आधार पर समूह चर्चा करके अपने-अपने गाँव की समस्याओं की सूची तैयार करके उसे सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दो श्रेणियों में बांटिए।**
- **चिन्हित समस्याओं के कारण, समाधान और वरीयता बताइए।**

प्रक्रिया :

- सभी सहभागियों को उनके गाँव वार समूह में बैठने के लिए कहें।
- पिछले अभ्यास से मिले अनुभव के आधार पर अपने-अपने गाँव (नक्शा/जानकारी/संसाधन) की समीक्षा करने के लिए कहें।
- अपने-अपने गाँव से (नक्शा/जानकारी/संसाधन) तैयार कर लाई गई सूची के आधार पर अपने गाँव की समस्याओं का समूह चर्चा के माध्यम से निर्धारण करने के लिए कहें।
- चिन्हित समस्याओं को सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दो श्रेणियों में बांटने के लिए कहें।
- चिन्हित समस्याओं के कारण बताने के लिए कहें।
- चिन्हित समस्याओं के समाधान बताने के लिए कहें।
- चिन्हित समस्याओं का समाधान दीर्घकालिक है या तात्कालिक, बताने के लिए कहें।
- चिन्हित समस्याओं की वरीयता तय करने के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर निम्न प्रारूप में सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।

क्र.सं.	समस्याओं की सूची	व्यक्तिगत/सार्वजनिक	कारण	दीर्घकालिक/ तात्कालिक	वरीयता

- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।
- **समय : पूरा दिन**

Manual_Handbook.indd 65 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

फेसिलिटेटर सभी सहभागियों को गाँववार समूह में बैठने को कहें फिर उन्हें अभ्यास समझाया जाए। पिछले अभ्यास में जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी प्रक्रिया के आधार पर गाँववार समूह में अपने गाँव के विकास की आवश्यकताओं या गाँव की समस्याओं की सूची को अपने नोटपैड पर लिखें। फिर इन समस्याओं को दो श्रेणियों– **सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत** में बांटने को कहें। उसके बाद इन समस्याओं के कारण बताने के लिए कहें। इसके बाद इन समस्याओं के समाधान लिखने को कहें। समस्याओं का समाधान दीर्घकालिक है या तात्कालिक यह भी बताने के लिए कहें। इसके बाद चिन्हित समस्याओं की वरीयता तय करने के लिए कहें। फेसिलिटेटर टीम समूहों का अवलोकन करती रहे और उनको किसी प्रकार की परेशानी हो तो उनकी मदद करें।

अपने गाँव की समस्या को चिन्हित करते समय लोग छोटी-छोटी समस्याओं पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसी समस्याएं जो उनके जीवन को बदहाली की तरफ ले जा रही हैं उसकी ओर उनका ध्यान कम जाता है। रोजमर्रा की परेशानी ही उनको बड़ी समस्या लगती है जबकि गांवों में ऐसी कितनी ही बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं, जिसके बारे में वे नहीं सोचते हैं। उदाहारण के लिए आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार न मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन एक विकराल रूप लेता जा रहा है। लगातार गिरते भू-जल स्तर के कारण गर्मियों में पीने के पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सिंचाई की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है। गाँव में ही लोगों को रोजगार के कुछ अवसर उपलब्ध हों, लगातार नीचे जा रहे भू-जल स्तर को ऊपर कैसे किया जा सकेगा? इस तरह की समस्या पर उनकी नजर ही नहीं जाती है। इसलिए इन समस्याओं के समाधान भी मनरेगा में काम के 150 से 200 दिन करना और पानी के लिए हैंडपम्प लगाने तक ही सीमित रहते हैं। समस्याओं को सटीक ढंग से चिन्हित करने के बाद ही उन समस्याओं के समाधान के लिए सही ढंग से योजना भी तैयार की जा सकती है। देखा गया है कि उनकी समझ में मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन का काम मिलने से रोजगार की समस्या हल हो जायेगी। लोग मनरेगा के अलावा अपने संसाधनों से कितने रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है।

धीरे-धीरे जंगल से निर्भरता जब समाप्त होती गई तब उनका ध्यान खेती और रोजगार पर गया और आज वह उसी पर निर्भर हैं, इसलिए खेती और मनरेगा पर ही उनका ज्यादा जोर रहता है। खेती में भी गंभीर समस्याएं हैं उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने से उनकी सारी जमीन पहाड़ियों की ढ़लान, असमतल, पथरीली और असिंचित हैं। पहाड़ियों की तलहटी में ही थोड़ी-बहुत जमीन समतल है। सब मिला कर देखा जाए तो कुछ गांवों को छोड़ कर बाकी गांवों में उनकी जमीन धान, गेहूं, कपास आदि ऐसी फसलें जिसमें अधिक पानी की जरुरत पड़ती है वे पैदा करने लायक नहीं हैं। वह लोग ऐसी फसलें जबरदस्ती पैदा करते हैं। जिसमें देखा गया है कि ज्यादा बरसात होने पर या कम बरसात होने पर दोनों स्थिति में उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अगर प्रकृति ने उनका साथ दिया तो जिसके पास खेती लायक जितनी जमीन है उसके आधार पर तीन से लेकर छः माह तक खाने का अनाज पैदा कर पाते हैं। भौगोलिक परिस्थिति और पानी की उपलब्धता के आधार पर क्या-क्या पैदा किया जा सकता है? इसके बारे में सोच का सर्वथा अभाव है। उनके भोजन में मक्का, गेहूं और चावल है इसलिए वे इन्हीं के बारे में ज्यादा सोचते हैं।

यातायात के संबंध में भी केवल पक्की सड़क या सीसी सड़क के अलावा लोगों के घर तक रास्ते हों इसके बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि मुख्य मार्ग से लोगों के घरों तक जाने के लिए मात्र पगडंडी है। जिनके घर पहाड़ियों पर हैं वहां रास्ते नहीं होने से बूढ़े, बच्चों और मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यातायात की समस्या को चिन्हित करते समय गाँव तक

Manual_Handbook.indd 66 20/03/20 6:24 pm

आवागमन के सार्वजनिक साधन उपलब्ध हों, यह बात उनके जेहन में ही नहीं आती है। जबकि उनको कई-कई किलोमीटर दूर से सिर पर सामान रख कर पैदल आना-जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याओं के चिन्हीकरण में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए की लोग सतही स्तर पर समस्याओं का निर्धारण न करके, मूल समस्याओं को पहचान सकें। पठन सामग्री के आधार पर जब लोग समस्याओं का चिन्हीकरण करके प्रस्तुतिकरण करते हैं तब यह जानकारी हो जाती है कि समस्याओं को पहचानने में उनकी सोच और समझ क्या है? पठन सामग्री उनके ही क्षेत्र के किसी गाँव की होने से स्वयं उनके गाँव की भी मूलभूत समस्याएं लगभग एक जैसी ही होती हैं। इसलिए यह जरुरी हो जाता है की उनकी यह समझ बनाई जाए जिससे वह अपने गाँव की समस्या की मूल जड़ को पकड़ सकें तभी उसका समाधान भी बेहतर ढंग से सोच सकते हैं।

इस अभ्यास के बाद अगले अभ्यास में उनको अपने गाँव की समस्याओं के आधार पर प्रस्ताव लेना है और उस समस्या के समाधान की योजना बनानी है। यह कार्य वह लोग तभी बेहतर ढंग से कर सकेंगे जब समस्या और उसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आदिवासी क्षेत्रों की जो मुख्य समस्याएं हैं वह रोजगार, पानी, यातायात, शिक्षा, वन पर सामुदायिक अधिकार न होना और काबिज जमीन का अधिकार पत्र न मिलना है।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पेसा कानून के अंतर्गत आदिवासी समाज का अपने संसाधनों पर मालिकाना हक़ कायम करना और अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आजीविका के साधन का संवर्धन करना है। इसलिए यह जरुरी है कि गाँव के लोग प्राकृतिक संसाधनों को अपना समझें और उसका सामुदायिक उपयोग करने के लिए एक साझा समझ विकसित करें। यह तभी संभव है जब वह अपने प्राकृतिक संसाधनों की लूट और उसके बर्बादी के कारण को सही ढंग से समझ सकें। इसलिए इस अभ्यास में फेसिलिटेटर के लिए यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रतिभागियों को समस्या के चिन्हीकरण में आसानी हो, इसकी पूरी जानकारी दें और अभ्यास करते समय उनकी पूरी मदद करें।

Manual_Handbook.indd 67 20/03/20 6:24 pm

चौथा दिन

अभ्यास- 5 (समय : पूरा दिन)

➤ **अपने गाँव की समस्याओं के आधार पर गाँव सभा में गाँव विकास योजना के प्रस्ताव तैयार कीजिए।**

उद्देश्य : गाँव विकास योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने की क्षमता का निर्माण करना।

प्रक्रिया :

- सभी सहभागियों को गाँव वार समूह में बैठने के लिए कहें।
- अपने-अपने गाँव से (नक्शा/जानकारी/संसाधन) चिन्हित समस्याओं के आधार पर गाँव विकास योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहें।
- इस अभ्यास का प्रस्तुतिकरण बड़े समूह में होगा। समूह में बैठने के पश्चात प्रत्येक गाँव बारी-बारी से अपने गाँव का प्रस्तुतिकरण करेगा। जिस समय एक गाँव प्रस्तुतिकरण कर रहा होगा उस समय बाकी प्रतिभागी उस गाँव की गाँव सभा का रोल प्ले करेंगे।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निर्णय से तय/लिए गये प्रस्ताव निम्न फॉर्मेट में लिखने को कहें।

Manual_Handbook.indd 68 20/03/20 6:24 pm

प्रस्ताव के लिए फॉर्मेट

पेसा कानून 1996, राजस्थान पेसा अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक ..... को.....गाँव की गाँव सभा की बैठक..... ..... पर आयोजित की गयी। गाँव सभा में मौजूद गाँव वासियों ने..... को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. सं.	प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित हुए	अनुमानित राशि	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर

गाँव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्मलिखित लोगों को अधिकृत किया जाता है।

1..... 2 ..... 5.....

3 ..... 4 ..... 6.....

अध्यक्ष द्वारा गाँव सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर गाँव सभा की बैठक का समापन किया गया।

हस्ताक्षर

(बैठक अध्यक्ष)

अध्यक्ष **सचिव**

(शांति समिति) **(शांति समिति)**

- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।

Manual_Handbook.indd 69 20/03/20 6:24 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

फेसिलिटेटर प्रतिभागियों को अभ्यास समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप कुछ प्रस्ताव चार्ट पेपर पर लिख कर उनको समझाएं। फेसिलिटेटर टीम समूहों का अवलोकन करते समय अगर महसूस करे कि समूहों को प्रस्ताव तैयार करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उनकी मदद करें।

गाँव विकास के प्रस्ताव चार्ट-पेपर पर तैयार हो जाने पर प्रस्तुतिकरण के लिए सभी गाँवों के समूहों को बड़े समूह में बैठने के लिए कहें। समूह में बैठने के बाद प्रत्येक गाँव अपने प्रस्ताव को बारी-बारी से प्रस्तुत करेगा। बाकी गाँव के प्रतिभागी प्रस्तुतिकरण करने वाले गाँव सभा का अभिनय करेंगे। प्रत्येक गाँव के प्रस्तुतिकरण से पहले गाँव सभा के अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। एक-एक प्रस्ताव पढ़ा जायेगा। समूह के लोग प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे या प्रस्ताव को निरस्त करेंगे। बड़ा समूह नए प्रस्ताव जोड़ भी सकता है। **प्रस्तुतिकरण के समय फेसिलिटेटर टीम ज़रुरत के अनुसार प्रस्ताव से सम्बंधित विभाग, बजट, प्रस्ताव की प्राथमिकता, भाषा, कार्य के नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम और ठीक-ठीक स्थान का नाम आदि को स्पष्ट करते रहेंगे।**

Manual_Handbook.indd 70 20/03/20 6:25 pm

पठन सामग्री

गाँव विकास योजना

गाँव सभा की बैठक में जब गाँव के लोग प्रस्ताव पारित करते हैं उस समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। प्रस्ताव लेते समय सभी तरह के प्रस्ताव लेने चाहिए, इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं –

1. **सरकारी योजनाएं** – पेंशन, शौचालय, आवास आदि।
2. **सार्वजनिक** – राशन, विद्यालय, रास्ते, सामुदायिक भवन, एनीकट, तालाब आदि।
3. **व्यक्तिगत** – खेत समतलीकरण, पशुबाड़ा, चेकडैम, वृक्षारोपण आदि।
4. **गैर- वित्तीय (सामुदायिक और व्यक्तिगत)**- सामुदायिक वनाधिकार दावा, काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा, शराब बंदी, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव।

गाँव विकास के प्रस्ताव लेते समय इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे, महिला, वृद्ध और गाँव के सबसे गरीब-वंचित परिवारों को वरीयता के तौर पर प्रस्ताव में सबसे पहले रखा जाए। प्रस्ताव में सार्वजनिक और व्यक्तिगत प्रस्ताव का भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों तरह के प्रस्तावों का संतुलन होना चाहिए। ऐसा न हो कि केवल व्यक्तिगत प्रस्ताव ही लिए गए और सार्वजनिक प्रस्ताव छोड़ दिए गए या सार्वजनिक प्रस्ताव ही लिए गए और व्यक्तिगत प्रस्ताव छोड़ दिए गए।

पेसा कानून के अंतर्गत गाँव विकास नियोजन सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए प्रस्ताव की योजना बनाते समय प्रत्येक बिंदु पर ध्यान रखना जरुरी है। प्रस्ताव में पूरी योजना का विवरण हो कि गाँव सभा को कब-कब और क्या-क्या करना है? साथ ही साथ कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसे दी जा रही है? वह भी प्रस्ताव में दर्ज हो। उदाहरण के लिए अगर हम जंगल को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव लेते हैं तो उसकी योजना में हम जंगल को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग में पांच वर्ष के लिए वृक्षारोपण, जानवरों के प्रवेश पर रोक, कुल्हाड़ी बंदी (कुछ भी काटने पर रोक), सिंचाई की व्यवस्था और बाड़े बंदी होगी। दूसरे खाली भाग को जानवरों के चरने, चारा और लकड़ी लाने के लिए खुला रखेंगे। फिर पांच वर्ष बाद पहले भाग को खोल दिया जाएगा और दूसरे भाग में वृक्षारोपण, जानवरों के प्रवेश पर रोक, कुल्हाड़ी बंदी, सिंचाई की व्यवस्था और बाड़े बंदी करेंगे और फिर पांच वर्ष बाद इसे भी खोल देंगे। ऐसे योजनाबद्ध काम करने से 10 वर्षों के बाद जंगल फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे।

इसी तरह गाँव में रोजगार सृजन का प्रस्ताव लेते हैं तब गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से कैसे रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं? इसकी पूरी योजना तैयार करनी चाहिए। गाँव में रोजगार के अवसर के लिए –

1. **कृषि उत्पाद बढ़ाने की योजना** – उन्नतशील बीज, खाद, सिंचाई की योजना बनाना आदि।

Manual_Handbook.indd 71 20/03/20 6:25 pm

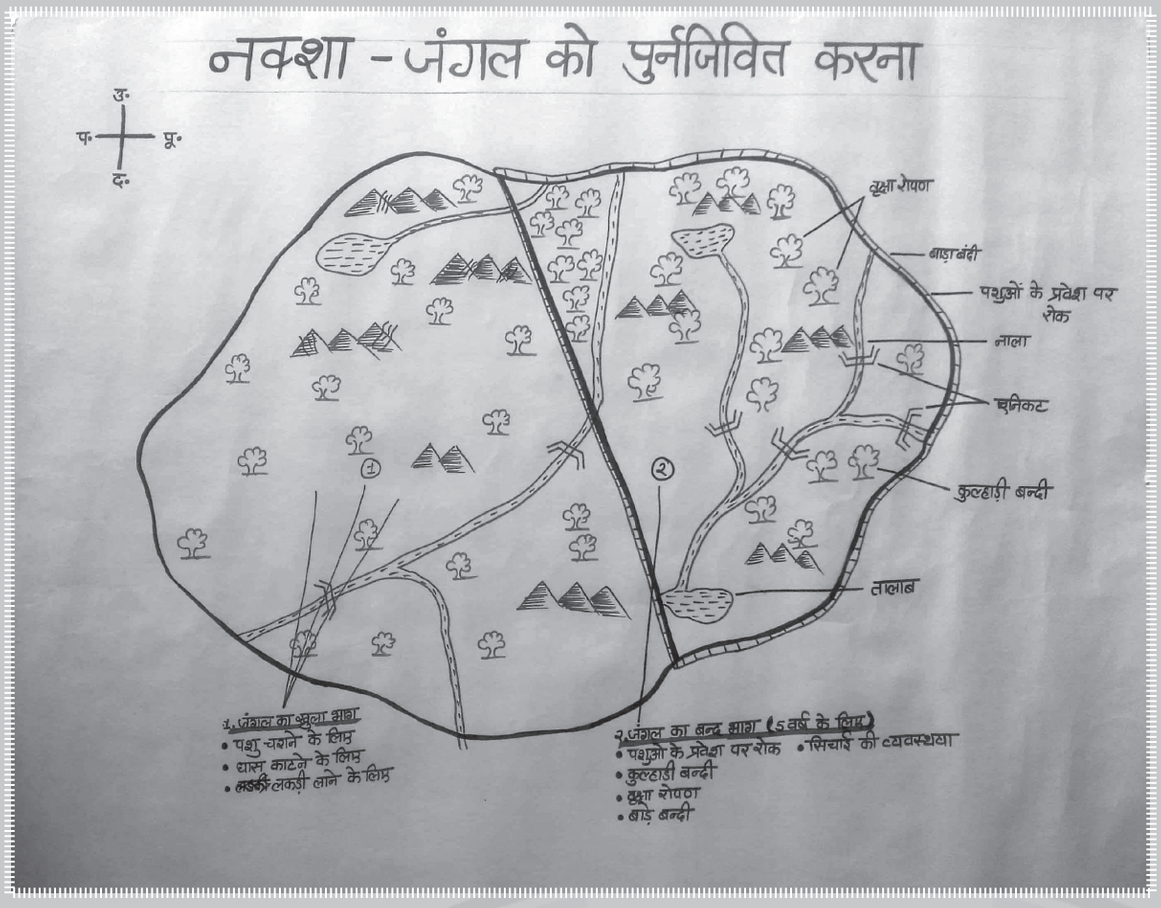

2. **मछली-पालन** – गाँव के सभी जल-स्रोत की मरम्मत करना और नए जल-स्रोत तैयार करना, तालाब, एनीकट, खेत-तलावड़ी में मछली पालन करना।

3. **पशु-पालन** – गाँव में अगर चारे की कमी नहीं है तब उन्नत नस्ल की भैंस और गाय का पालन और अगर चारे की कमी है तब छोटे जानवर जैसे भेड़, बकरी पालने की योजना तैयार करना। चारागाह की जमीन में चारे के लिए योजना तैयार करना।

4. **मुर्गी-पालन।**

5. **मधुमक्खी पालन।**

6. **मनरेगा में 100 दिन के कार्य और पूरी मजदूरी प्राप्त करने की योजना-** जिसमें गाँव सभा से आवेदन करना, आवेदन की रसीद लेना, गाँव सभा द्वारा मेट की नियुक्ति करना, मास्टर-रोल पर हस्ताक्षर करना, अपने-अपने कार्य की माप करवाने की योजना तैयार करना।

7. सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार योजनाओं की जानकारी लेकर गाँव के युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण दिलवाना।

पानी के बारे में प्रस्ताव लेते समय पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था दोनों की योजना तैयार करनी चाहिए। उसमें बरसात के पानी को अधिक से अधिक रोकने की योजना होनी चाहिए इसके लिए –

1. पुराने जल-स्रोतों (तालाब, कुआं, एनीकट, हैंडपम्प, चेकडैम) की मरम्मत, गहरीकरण और एनिकटों की उंचाई बढ़ाना।

Manual_Handbook.indd 72 20/03/20 6:25 pm

2. नए जल-स्रोतों तैयार करना जिसमें गाँव के नालों पर एनीकट बनवाना, नदी पर बांध बनवाना, खेत तलावड़ी तैयार करना, पहाड़ों पर नाली बनवाना, खेत में चेकडैम बनवाना, घरों में पक्की टंकी बनवाना। इसके लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक जमीनों पर योजना तैयार करना।
3. जब तक जल-स्तर ऊंचा नहीं हो जाता तब तक बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।
4. ऐसी फसल की बुआई करना जिसमें पानी की मात्रा कम लगती हो।
5. पीने के शुद्ध पानी के लिए बरसात के पानी को पक्की टंकी बनवा कर रोकना और उसे पीने में प्रयोग करना।
6. सरकारी अनुदान द्वारा आर.ओ. प्लांट लगवाना।

इसी प्रकार से अगर कोई भी प्रस्ताव गाँव सभा द्वारा लिया जाता है तो उस प्रस्ताव की योजना की पूरी रूप-रेखा प्रस्ताव में होनी चाहिए कि समस्या के समाधान में हमें कौन-कौन से कदम उठाने हैं? साथ ही साथ उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा इसकी भी स्पष्ट योजना होनी चाहिए और प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी भी बांट देनी चाहिए कि कौन लोग कौन-सा कार्य करेंगे? कार्य की प्रगति के बारे प्रत्येक महीने शांति समिति की बैठक और तीन महीने पर गाँव सभा की बैठक अनिवार्य रूप से हो। अगर जरुरत हो तो बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है। योजना बनाने में समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोई भी योजना समय से पूरा न होने पर एक तो बजट बढ़ जाता है और दूसरा लोगों की समस्या भी बढ़ती जाती है।

योजना बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो बजट पंचायत में आता है वह सीमित होता है, इसलिए कार्य को पूरा करने में अगर श्रमदान की गुंजाइश हो तो उसकी भी योजना तैयार करनी चाहिए। श्रमदान करने से गाँव के लोगों में समुदाय के प्रति जिम्मेदारी और लगाव तो बढ़ता ही है साथ ही साथ कार्य भी समय से पहले पूरा हो जाता है।

Manual_Handbook.indd 73 20/03/20 6:25 pm

पांचवा दिन

अभ्यास - 6 (समय : 3 से 3.30 घंटे)

➤ **कार्यशाला से गाँव में वापस जाकर गाँव विकास योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्या-क्या करना होगा ? उसकी योजना तैयार कीजिए।**

उद्देश्य : कार्य योजना पर क्षमता का निर्माण करना।

प्रक्रिया :

- सहभागियों के रैंडम समूह बनाएं। (सभी छोटे समूहों में लगभग बराबर सहभागी हों)
- सहभागियों से अपने गाँव में **वापस जा कर गाँव विकास योजना के प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्या-क्या करना है ? उसकी योजना तैयार करने** के लिए कहें।
- चर्चा के उपरांत सहभागियों के बीच चार्ट-पेपर बांट दें।
- सहभागियों से चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें।
- चार्ट पेपर तैयार होने के उपरांत समूहों से प्रस्तुतिकरण करने को कहें।

Manual_Handbook.indd 74 20/03/20 6:25 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

यह अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिभागी गाँव में वापस जाकर इस अभ्यास के आधार पर गाँव विकास नियोजन की योजना पर गाँव सभा में प्रस्ताव तैयार करने का काम करेंगे। गाँव सभा अपने गाँव विकास की योजना बनाने में कितनी सक्रिय है, वह प्रतिभागियों की योजना और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। इसलिए फेसिलिटेटर की भी भूमिका इस अभ्यास में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लोगों को समूह में बैठने को कहें और उसके बाद अभ्यास को दें। अभ्यास देने के बाद उनको ठीक से अभ्यास को समझाएं फिर उनको 8-10 लोगों के छोटे समूहों में बाँट कर उनको अलग-अलग बैठने को कहें। जब समूह अलग-अलग बैठ जाएँ तो उनसे इस विषय पर चर्चा करने को कहें कि कार्यशाला से वापस जा कर गाँव स्तर पर गाँव विकास योजना तैयार करने के लिए क्या-क्या करना है? चर्चा के बाद उनको चार्ट-पेपर दें और चार्ट पर सामूहिक निष्कर्ष लिखने को कहें। फेसिलिटेटर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि समूह ने योजना को चरणबद्ध तरीके से तैयार किया है या नहीं और कुछ छूट तो नहीं गया है।

Manual_Handbook.indd 75 20/03/20 6:25 pm

पठन सामग्री

गाँव सभा में प्रस्ताव लिखने के लिए गांव में क्या-क्या कार्य करने होंगे इसकी योजना

पेसा कानून के अंतर्गत गांव विकास नियोजन गाँव सभा को मिले अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार के तहत गांव की समस्याओं के समाधान के लिए योजना बनाना और उसे गांव सभा द्वारा पारित करके पंचायत में जमा करना होता है। इसके लिए जरूरी है कि गांव की समस्या और संसाधनों की हालत क्या है? इसकी पूरी जानकारी हो अन्यथा गांव विकास की एक बेहतर योजना तैयार नहीं हो सकती है। योजना तैयार करते समय इस बात का पूरा ध्यान रहे कि प्रस्ताव में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों तरह के प्रस्ताव शामिल किए जाएं। यह भी ध्यान रहे कि महिला, बच्चे, वृद्ध, गांव के सबसे गरीब परिवार और विकलांग लोगों के प्रस्ताव सबसे पहले लिए जाएं। यह भी जरूरी है कि प्रस्ताव लेते समय सभी तरह के प्रस्ताव लिए जाएं। प्रस्ताव को हम पांच श्रेणियों में बांट सकते हैं-

1. **सरकारी योजना संबंधी प्रस्ताव :** पेंशन- विधवा, वृद्ध, एकल नारी, पालनहार और विकलांग, आवास, शौचालय, श्रमिक कार्ड, राशन की समस्या आदि।
2. **व्यक्तिगत प्रस्ताव :** खेत समतलीकरण, चेकडैम, मेडबंदी, कुआं, जॉब कार्ड बनवाना, घरों तक रास्ते, पशु बाड़ा, बागवानी, मनरेगा संबंधी समस्याएँ आदि।
3. **सार्वजानिक प्रस्ताव :** विद्यालय के संबंध में, गांव के रास्ते, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, काबिज भूमि पर पट्टे के लिए गाँव सभा द्वारा सामूहिक दावा, वन भूमि पर सामूहिक दावा, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था (आरो प्लांट) आदि।
4. **निर्माण कार्य :** नहर, नालों पर एनिकट, नदी पर बांध, तालाब निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था, सार्वजनिक कुंओं का निर्माण आदि।
5. **सामाजिक मुद्दे :** नशाबंदी, मौताणा, बाल विवाह, बालश्रम, डायन प्रथा आदि पर रोक।

उपरोक्त पांचों प्रकार के प्रस्ताव गांव सभा में लेने के लिए आवश्यक है कि गांव सभा को इनकी अच्छी तरह से जानकारी हो। इसके लिए गांव सभा की बैठक में गांव का नजरिया नक्शा, गांव के संसाधनों की सूची और गांव विवरण की सूची काफी मददगार होगी, जो गांव सभा द्वारा पहले ही तैयार किया गया है। प्रस्ताव बनाते समय इसकी भी मदद ली जा सकती है।

गांव विकास योजना बनाने के लिए जरूरी है कि गांव के सभी फलों के सभी घरों से, गाँव सभा में लोग शामिल हो। इस बात का ध्यान रखना होगा कि गांव सभा में 50% महिलाओं की भागीदारी हो। गांव सभा में पूरे गांव की भागीदारी होने से सभी लोगों के प्रस्ताव लिखे जा सकेंगे। गांव विकास योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान

Manual_Handbook.indd 76 20/03/20 6:25 pm

रखना होगा कि योजना बेहतर बने। इसके लिए सबसे पहले गांव में क्या-क्या प्रस्ताव लेना है? उसका एजेडा तैयार करना और गांव की बड़ी समस्याओं (सिंचाई, रोजगार, रास्ता, पीने का पानी आदि) की योजना पहले से तैयार हो। एजेंडा और योजना तैयार करने की जिम्मेदारी शांति समिति के सभी सदस्यों को लेनी होगी। उसके बाद योजना के प्रस्तावों को गांव सभा में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। योजना में अगर कोई परिवर्तन करना है तो गांव सभा करेगी।

गांव विकास नियोजन के दो फेज की कार्यशाला में शामिल लोगों को इसकी जानकारी देने का प्रयास किया गया कि गांव सभा में विकास योजना के प्रस्ताव लेने से पहले क्या-क्या जानने और सीखने की जरूरत है? पहले फेज की कार्यशाला में प्रस्ताव लेने से पहले क्या-क्या सीखने और समझने की जरूरत है इस पर कार्य किया गया। दूसरे फेज की कार्यशाला में प्रस्ताव लिखने के लिए क्या-क्या सीखने और समझने की जरूरत है? इसको जानने समझने की कोशिश की गयी। अब गांव में वापस जाकर गांव सभा की बैठक का आयोजन करके उसमें अपने गांव के प्रस्ताव लेना है और यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्ताव में गांव के सभी लोग (महिला-पुरुष) शामिल हों और एक बेहतर गांव विकास योजना बने। इसके लिए गांव में वापस जाकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जो निम्नलिखित है-

गांव विकास योजना बनाने के लिए बैठक बुलाने से पहले की शर्तें-

1. गांव गणराज्य की घोषणा।
2. गांव सभा कमेटियों का गठन।
3. शिलालेख।
4. गांव का नजरिया नक्शा, संसाधन की सूची, गांव की जानकारियों को एकत्रित करना।
5. गांव गणराज्य घोषणा पत्र की सूचना राज्यपाल, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी पंचायत पर भेजना।

गांव सभा में प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक कदम-

1. शांति समिति की बैठक करके एजेंडा तैयार करना- बैठक की दिनांक, समय और स्थान के साथ।
2. एजेंडा की प्रतिलिपि सरपंच/सचिव, प्रधानाध्यापक, एएनएम, पटवारी एवं और गाँव के सभी लोगों को 7 दिन पूर्व लिखित में सूचना देना।
3. सरपंच और सचिव से सूचना की प्राप्ति रसीद लेना।
4. एजेंडा में दिए समय पर और स्थान पर गाँव सभा की बैठक का आयोजन करना।
5. तय समय और स्थान पर गाँव सभा की बैठक करना।
6. प्रस्ताव लेते समय ध्यान देने योग्य बातें -
    - सरकारी योजनाओं, पेंशन।
    - आंगनबाड़ी, माँ बाड़ी, स्वास्थ्य।
    - शिक्षा आदि को प्रस्ताव में लेना।
    - सार्वजनिक और व्यक्तिगत प्रस्ताव लेना।
    - साथ ही सामाजिक मुद्दे जैसे - अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, मौताणा, डायन-प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, नशे की समस्या आदि।

Manual_Handbook.indd 77 20/03/20 6:25 pm

- आजीविका की संभावनाएं।
- सड़क।
- तालाब, हैंडपंप, एनीकट, चेकडैम।
- शमशान घाट की स्थिति आदि।
- खाद-बीज आदि की उपलब्धता को भी प्रस्ताव में लेना और गाँव सभा में उन पर चर्चा करना।
- प्रस्ताव लिखते समय हमें बजट और विभाग की भी जानकारी होना जरुरी है।
- प्रस्ताव पारित करने के बाद सबको पढ़ करके सुनाना और उपस्थित सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर करवाना। ध्यान देने योग्य बात है कि गाँव की मतदाता सूची में से न्यूनतम 25% मतदाताओं के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हों।

गांव सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद उठाये जाने वाले आवश्यक कदम-

» गाँव सभा में पारित प्रस्ताव की दो फोटो कॉपी तैयार कर एक कॉपी पंचायत में जमा करना तथा दूसरी फोटो कॉपी पर सरपंच या सचिव का हस्ताक्षर और मुहर लगवा कर रसीद के रूप में लेना।

» रसीद की तीन फोटो कॉपी तैयार करके प्रखंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिलाधिकारी को रजिस्ट्री करना।

» प्रस्ताव को पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करवाने के लिए ग्राम सभा की बैठक में गाँव सभा के लोगों को शामिल करवाना।

गाँव विकास योजना (प्रस्ताव) पंचायत में जमा करने के बाद उठाये जाने वाले आवश्यक कदम-

» प्रस्ताव जमा करने के 15 दिन बाद पंचायत से जानकारी लेना कि गाँव सभा द्वारा दिये गये प्रस्ताव पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल किये गये या नहीं।

» प्रस्तावों को पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करवाने के लिए वर्ष में होने वाली सभी चारों ग्राम सभाओं में शामिल होना।

» पंचायत पर दबाव बनाने के लिए पंचायत के सभी गाँव सभाएं मिल कर एक पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन।

» पंचायत स्तर पर सरपंच/सचिव के स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर पंचायत समिति में प्रधान, बी.डी.ओ. से बातचीत करना और जरूरत पड़ने पर जिला स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर और सी.ई.ओ. से बात करनी होगी।

» ब्लाक स्तर पर दबाव बनाने के लिए एक ब्लाक स्तरीय कमेटी का गठन।

» यदि समस्याओं का समाधान नहीं हो तो दबाव बनाने के लिए हर स्तर पर शिकायत, रैलियाँ, धरने, प्रदर्शन करने होंगे।

Manual_Handbook.indd 78 20/03/20 6:25 pm

अभ्यास – 7 (समय : 1 से 1.30 घंटे)

➤ **अभ्यास : कार्यशाला के दूसरे फेज का मूल्यांकन**

प्रक्रिया :

- सबसे पहले सहभागियों को एक गोल घेरे में बैठने के लिए कहें।
- सहभागियों से कार्यशाला के मूल्यांकन के बारे में थोड़ी देर सोचने के लिए कहें।
- सहभागियों के बीच एक-एक कर सवाल रखे जायें जिन पर सहभागी अपनी राय देंगे।
- सहभागियों की राय को फेसिलिटेटर टीम लिपिबद्ध करेगी।

Manual_Handbook.indd 79 20/03/20 6:25 pm

फेसिलिटेटर के लिए नोट

फेसिलिटेटर टीम के साथी कार्यशाला के मूल्यांकन सत्र के दरमियान सहभागियों द्वारा दिए जा रहे सुझावों को गंभीरता से नोट करें, जिससे आगामी दिनों में आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में इन सुझावों पर अमल किया जा सके। सहभागियों द्वारा दिए गए सुझावों का कार्यशाला संचालन में महत्वपूर्ण स्थान है।

आपकी सुविधा के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान पूछे जाने वाले सवाल इस प्रकार हो सकते हैं–

- कहने-सुनने का माहौल और अवसर उपलब्ध था या नहीं?
- आपसी रिश्ते कैसे थे?
- फेसिलिटेटर टीम के साथ रिश्ते कैसे थे?
- व्यवस्था संबंधी इंतजाम कैसे थे?
- कार्यशाला में क्या-क्या सीखा?
- कार्यशाला को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव।

Manual_Handbook.indd 80 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट

Manual_Handbook.indd 82 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट ।

विकासोर गाँव

राजस्थान के डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 कि.मी. दूर पहाड़ियों के बीच बसा विकासोर गाँव। गाँव के ज्यादातर मकान मिट्टी और खपरैल से बने हैं। गाँव में लगभग 175 मकान हैं। जहाँ **एस.टी. और एस.सी.** जातियों के लोग बसे हैं, जिनमें एस.टी. के 150 घर और एस.सी. के 25 घर हैं। **गाँव की कुल आबादी लगभग 850 है। गाँव के लोगों की जीविका का साधन खेती, दूसरे के यहां मजदूरी और मनरेगा में मिलने वाला 100 दिन का रोजगार है।** जिन लोगों की जरूरतें इससे पूरी नहीं होती या जिन लोगों को बेहतर जीवन जीने की चाहत होती है वे लोग गुजरात के शहरों में काम की तलाश में चले जाते हैं। लोगों के पास इतनी खेती की जमीन नहीं है कि वों लोग साल भर के खाने का अनाज पैदा कर सकें। बामुश्किल चार महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है, वह भी केवल गेंहू और मक्का। गरीबी का आलम यह है कि अगर दूसरे के यहां मजदूरी या मनरेगा से पैसा मिला तो घर में सब्जी या दाल बनती है, नहीं तो मिर्चा, लहसुन और नमक की चटनी से ही गुजारा करना पड़ता है। हर घर का यही हाल है। **लोग गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालते हैं, लेकिन चारे के अभाव में गाय और भैंस एक से डेढ़ लीटर दूध ही देती हैं, जिससे बच्चों की भी जरूरत पूरी नहीं होती।** पहाड़ों पर बरसात में कुछ पौधे उगते हैं, जो जाड़ा समाप्त होते-होते सूख कर ख़त्म हो जाते हैं। लोग अपने कब्जे की जमीन में कुछ फलदार, इमारती व जलावनी लकड़ी के पेड़ लगाये हैं जो केवल उनके उपयोग के काम आती है। उससे उन लोगों को किसी प्रकार की आय नहीं होती। जंगल नहीं होने से वन उपज से वंचित हैं। उनके पहाड़ों में क्रेशर गिट्टी, सोप स्टोन, मार्बल, चुनाई पत्थर का खनन प्राइवेट कम्पनियाँ कर रही हैं।

गाँव की पूरी जमीन 107 हेक्टेयर है, जिसमें खेती की जमीन 69 हेक्टेयर, चरागाह 13 हेक्टेयर, बेनामी (सामूहिक) जमीन 25 हेक्टेयर है, जिस पर गाँव के लोगों का कब्जा है। इस सामूहिक जमीन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लगभग 10 परिवारों के पास (घर के अलावा) खेती की कोई जमीन नहीं है। **राशन की दुकान से प्रतिमाह प्रत्येक व्यक्ति को मात्र 5 किलो गेंहू मिलता है, जिसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब होती है कि जानवर भी उसे नहीं खाते हैं।** गेंहू 20 से 22 रूपये तथा चावल 30 रूपये किलो खरीदना पड़ता है। गाँव के चार लोग ही सरकारी नौकरी में हैं, जिसमें तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हैं। ज्यादातर लोगों की खेती प्रकृति के ही भरोसे हैं। जिन घरों के लोग बाहर हैं, उन घरों में केवल महिलाएं ही पीछे बची हैं। वह खेती और फसलों की सिंचाई नहीं कर पाती हैं, जिससे उनके यहां तीन से चार महीने खाने भर का भी अनाज नहीं होता है।

गाँव में 8वीं तक स्कूल है जिसमें गाँव के **लगभग सारे बच्चे** पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद 10वीं से 12वीं तक 3 कि.मी. दूर भोजाता पैदल पढ़ने जाते हैं। गरीबी के चलते लोग अपने बच्चों को साइकिल भी नहीं खरीद कर दे पाते हैं। लगभग आधे बच्चे 8वीं के बाद गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं तथा घर या बाहर काम पर लग जाते हैं। **12वीं के बाद मात्र दो लड़कियां और दो लड़के डूंगरपुर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बाकी बच्चे आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई छोड़ कर परिवार की परवरिश में लगे हैं।** छोटे बच्चों के लिए गाँव में चार आंगनबाड़ी हैं, जिनमें से दो के लिए भवन नहीं है और वह किसी के घर में चलती हैं।

अस्पताल गाँव से तीन कि.मी. दूर भोजाता में है, जहाँ एक नर्स और एक एएनएम की नियुक्ति है। ये भी वहां नियमित रूप से नहीं रहती हैं। किसी मरीज को अगर डाक्टर को दिखाना है तो सात कि.मी. दूर रामगढ़ सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। गाँव में कोई प्राइवेट डाक्टर नहीं है और न ही कोई दवाखाना है। कहीं आने-जाने के लिए साधन तीन कि.मी. दूर भोजाता से मिलता है। लोगों को अपने घरेलू सामान खरीदने के लिए तीन कि.मी. दूर भोजाता या सात कि.मी. दूर रामगढ़ जाना पड़ता है।

पीने के पानी के लिए 23 सरकारी हैन्डपम्प हैं जिसमें से 9 इस समय ख़राब हालत में पड़े हैं। 10 कुएं हैं लेकिन उसका प्रयोग पानी पीने में नहीं करते हैं। कुछ लोगों को पीने का पानी लाने के लिए एक-एक कि.मी. दूर जाना पड़ता है। **पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। इस फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं और हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं।** हड्डियां टेढ़ी हो जाने के

Manual_Handbook.indd 83 20/03/20 6:25 pm

कारण उनमें जकड़न और दर्द रहने लगता है तथा चलने-फिरने में काफी परेशानी होती है और लोग काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। सिंचाई के लिए दो बिजली के तथा 10 डीजल के पम्प सेट हैं। खेती प्रकृति के ही भरोसे है। सिंचाई के अभाव और पैसे की कमी के कारण पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने में लोग असमर्थ हैं तथा जानवर भी पेड़ों को चर जाते हैं। **लोगों को मनरेगा में मजदूरी 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है। बिजली केवल 50 घरों में है। गाँव में चार तालाब हैं जिनमें से 2 में पानी है और दो सूखे हुए हैं। गाँव में दो नहरें हैं जो टूटी हुई हैं।**

गाँव में लगभग **10 वर्ष पहले शिलालेख हुआ** था, जिस पर अब लिखे गए सारे अधिकार मिट गए हैं और केवल पत्थर खड़ा है। लोगों को इस शिलालेख में क्या लिखा था? क्यों लगाया गया था? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पेसा कानून के बारे में भी लोग बिल्कुल नहीं जानते। गाँव सभा, गाँव सभा की कमेटियों तथा उसके अधिकार आदि के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ है। बांगड़ मजदूर किसान संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हाल में शुरू किये गए अभियान के माध्यम से कुछ लोगों को गाँव सभा और पेसा कानून के बारे में जानकारी हुई है।

मुख्य बिंदु-

1. शिलालेख लगभग 10 वर्ष पहले हुआ था, जो मिट गया है।
2. गावं सभा का गठन नहीं हुआ है। अभी चर्चा शुरू हुई है।
3. पेसा कानून की कोई जानकारी नहीं है।
4. घर लगभग 175 हैं, जिनमें से एस.टी. के 150 और एस.सी. के 25 हैं। आबादी लगभग 850 है।
5. स्कूल 8वीं तक है। इंटर कालेज भोजाता में है जो गाँव से 3 कि.मी. दूर है। भोजाता स्कूल पैदल जाना पड़ता है। सड़क और पैसे का अभाव। डिग्री कालेज डूंगरपुर।
6. आठवीं तक लगभग सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। 10वीं तक करीब 80% बच्चे, 12वीं तक करीब 50% बच्चे और डिग्री कालेज में दो लड़के और दो लडकियां पढ़ने जाती हैं।
7. गावं में अस्पताल नहीं है। भोजाता में सब सेन्टर हैं। जहाँ एक एएनएम, एक नर्स कार्यरत हैं लेकिन ये नियमित नहीं आती है। डाक्टर के लिए रामगढ़ सरकारी अस्पताल या डूंगरपुर जाना पड़ता हैं। कोई निजी डाक्टर नहीं है।
8. आवागमन के लिए साधन भोजाता से मिलते हैं, जो तीन कि.मी. दूर है।
9. सरकारी नौकरी में चार लोग, (तीन आंगनबाड़ी में एक प्राइमरी में अध्यापक) मनरेगा में काम, दूसरे के यहां मजदूरी।
10. गुजरात में नौकरी और खेती आय का साधन है।
11. खेती में मुश्किल से चार महीने के लिए खाने भर का अनाज होता है। फसलें गेंहू, मक्का, उरद की हैं।
12. राशन की सरकारी दुकान से प्रतिमाह प्रत्येक व्यक्ति को केवल 5 किलो खराब क्वालिटी का गेंहू मिलता है जिसे जानवर भी नहीं खाते है। बाजार से 20-22 रूपये किलो गेंहू, 30 रूपये किलो चावल खरीदना पड़ता है। खाने में रोटी, कभी-कभी चावल खाते हैं। मजदूरी मिलने पर सब्जी और कभी-कभी दाल बनती है, नहीं तो मिर्चा, लहसुन, नमक की चटनी से ही गुजारा करना पड़ता है। 10 परिवारों के पास खेती की जमीन नहीं है। गाँव की पूरी जमीन 107 हे. जिसमें से कृषि भूमि 69 हे. बिना नाम 25 हे. चरागाह 13 हे.।
13. सिचाई के लिए दो बिजली के मोटर, 10 डीजल इंजन। बिजली 50 घरों में है।
14. पहाड़ों पर पेड़ नहीं है। खनिज के बारे में कोई जानकारी नहीं। निजी जमीन में फलदार, इमारती, जलावनी पेड़। पहाड़ों पर वृक्षारोपण पानी, पैसे व सुरक्षा के आभाव में नहीं हो पाता है।
15. दैनिक जरूरतों की खरीददारी के लिए भोजाता 3 कि.मी. या रामगढ़, हथाई, पुनाली 7-7 कि.मी. दूर जाना पड़ता है।
16. महिलाओं के पास घर व खेती के काम के आलावा कोई अन्य कार्य नहीं है।
17. गाय, भैस, बकरी, भेड़ जानवर हैं। चारे के आभाव में गाय, भैंस एक से डेढ़ लीटर ही दूध देती हैं।

Manual_Handbook.indd 84 20/03/20 6:25 pm

विकासोर गाँव के संसाधनों की सूची, उनकी वर्तमान हालत और भविष्य की योजनाओं का विवरण

संसाधन	वर्तमान हालत	भविष्य की योजना
जंगल	गाँव में जंगल नहीं है।	गाँव में फलदार पेड़ लगाए जाने की जरूरत है।
ज़मीन	पहाड़ व समतल है। पहाड़ों पर बरसात में केवल घास उगती है।	पहाड़ों पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है।
कृषि ज़मीन	कुछ समतल एवं पहाड़ी है। खेती के लिए सिंचाई का जल उपलब्ध नहीं है।	समतलीकरण की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है।
चारागाह	चारागाह भूमि है पर उस पर गाँव के लोगों का कब्जा है।	कब्जा करने वाले लोगों को खातेदारी की जमीन देकर चारागाह को मुक्त करवाया जाना चाहिए। चारागाह की जमीन पर पेड़ लगाए जाने की जरूरत है।
बेनामी भूमि	बेनामी भूमि है और यहां कृषि एवं वृक्षारोपण करते हैं।	बेनामी भूमि को खातेदारी भूमि बनाई जाए।
खातेदार भूमि	कुछ भूमि कृषि योग्य है और कुछ बंजर है।	समतलीकरण करवाया जाए और चेकडैम बनवाया जाए।
विद्यालय	गाँव में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है।	एक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता है।
नरेगा	रोज़गार 150 लोगों के पास है और करीब 100 लोग बेरोजगार हैं।	100% रोज़गार दिया जाए।
इंदिरा आवास	35 लोगों को ही मिला है।	सभी परिवारों को इंदिरा आवास दिया जाए।
पेंशन	56 लोगों को मिल रही है। 14 लोगों को नहीं मिल रही है।	बाकी 14 लोगों को पेंशन मिले।
तालाब	गाँव में 4 तालाब हैं जिनमें से 2 में पानी है और 2 सूखे हुए हैं।	2 सूखे तालाबों पर कार्य किया जाए।
स्वास्थ्य केंद्र	नहीं है।	स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की जरूरत है।
पशु चिकित्सालय	नहीं है।	भवन की आवश्यकता है। पशु चिकित्सालय खोला जाए।
एनीकट	गाँव में 4 एनीकट हैं जिनमें मरम्मत की ज़रुरत है क्योंकि ये सूखे पड़े हुए हैं।	एनीकट की मरम्मत की जाए।तालाब से नहर निकाल कर 4 और एनीकट बनाए जाने की जरूरत है।
कुंए	10 हैं लेकिन पानी पीने लायक नहीं है।	वर्षा जल संचयन के जरिए पीने का पानी एकत्रित किए जाने की जरूरत है।
हैंडपम्प	23 सरकारी हैंड पंप हैं जिनमें से 9 खराब हैं।	खराब पड़े हैंडपंप को ठीक करवाए जाने की जरूरत है।
शमशान घाट	परकोटा नहीं है।	शमशान घाट पर परकोटा की आवश्यकता।
आंगनबाड़ी	गाँव में 6 आंगनबाड़ी हैं। 2 भवन की आवश्यकता है।	2 भवनों का निर्माण करवाया जाए।
डामरीकरण रोड	स्थिति ठीक है।	-
सी.सी.रोड	2 सी.सी.रोड हैं। ढाणियों में नहीं है।	सी.सी. रोड को ढाणियों से जोड़ा जाय।
विधुत	50 घरों में बिजली की सुविधा है।	पूरे गाँव के विधुतिकरण की आवश्यकता है।
राशन की दुकान	राशन की दुकान है लेकिन अनाज पूरा नहीं मिलता।	सही गुणवत्ता वाला अनाज मिलना चाहिए।
नहर	2 नहरें हैं जो टूटी हुई हैं।	नहर की मरम्मत की जाए।
पंचायत भवन	व्यवस्थित है।	-
अटल सेवा केंद्र	ठीक है।	-

Manual_Handbook.indd 85 20/03/20 6:25 pm

चौराहा	ठीक है।	-
पालतू पशु	90 हैं।	पशु भवन की व्यवस्था की जाए।
श्रमिक कार्ड	नहीं।	श्रमिक कार्ड बनाये जाए।
जॉब कार्ड	160 लोगों के पास है। 15 लोगों को मिलना बाकी है।	15 का बनाया जाए।
भामाशाह कार्ड	150 है। और 25 बाकी है।	25 घरों को बनाया जाएँ।
घर	155 है। जिनमें 30 अस्त-व्यस्त है।	30 घरों को बनाया जाए।
बस	नहीं है। बस सेवा की आवश्यकता है।	बस सेवा चालू की जाए।
ग्राम सेवक भवन	नहीं है। आवश्यकता है।	भवन निर्माण किया जाए।
मछली पालन	गाँव में तालाब है लेकिन मछली पालन नहीं होता है।	मछली पालन के जरिए आमदनी की जा सकती है।
कच्ची सड़क	व्यवस्थित नहीं है।	सी.सी. सड़क व डामरीकरण किया जाए।
पटवारी भवन	जर्जर हालत में है।	भवन निर्माण किया जाए।

विकासोर गाँव का नक्शा–

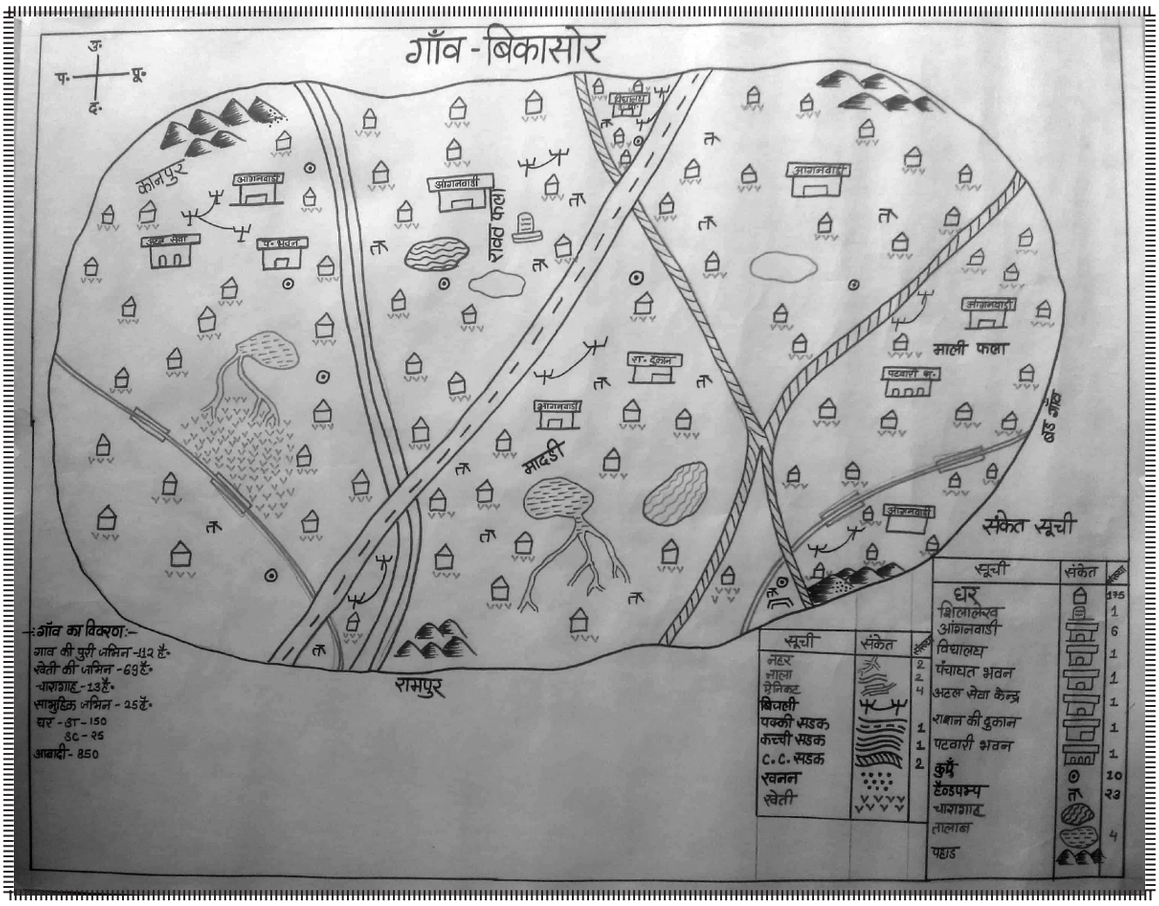

(राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा ब्लाक की ग्राम पंचायत, भोजाता का ओड़ा, के अंतर्गत विकासोर गाँव आता है।)

Manual_Handbook.indd 86 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट II

राज्यपाल को भेजा जाने वाला गाँव गणराज्य घोषणा की सूचना एवं गाँव सभा द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रपत्र/प्रारूप

दिनांक.....

सेवामें ,

श्रीमान राज्यपाल महोदय,

राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय : गाँव का सीमांकन, गाँव सभा का आयोजन और गाँव गणराज्य की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

हम आपका ध्यान राजस्थान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रौ पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र पर जरुरी फेर बदल के साथ लागू किया है।

हमारे गाँव के आवास समूह..... तहसील..... जिला..... के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैं। हम लोग अपने सभी कार्यकलापों का प्रबंध अपनी परम्पराओं के अनुरूप एक समुदाय के रूप में करते आए हैं। हमारा यह रहवास जिसकी भौगोलिक सीमाएं नीचे दी गई हैं, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम 1999 कि धारा 2 (क) के तहत गाँव की परिभाषा में आता है। आज दिनांक..... को हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और धारा 3 (क) के तहत गाँव सभा का गठन किया है। हमारी गाँव सभा अब धारा 3 (ख) के तहत हमारी परम्पराओं और रुढियों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्रोतों और विवाद निपटाने के रूढ़िगत तरीके को सुरक्षित और परिरक्षित करने में सक्षम है। इस आधार पर हमने भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गाँव गणराज्य कि स्थापना का निर्णय लिया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि आप तदनुसार संविधान अनुच्छेद 243 (छ) के तहत हमारे रहवास को गाँव सभा के रूप में अधिसूचित करने कि व्यवस्था करें।

भवदीय

प्रतिलिपि संलग्न-

1. गाँव सभा रजिस्टर में पारित प्रस्ताव।
2. गाँव का नजरिया नक्शा।
3. शांति समिति के सदस्यों की सूची।

अध्यक्ष सचिव

सदस्यगण कमेटी

Manual_Handbook.indd 87 20/03/20 6:25 pm

राज्यपाल को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप

आज दिनांक..... को श्री/श्रीमती..... की अध्यक्षता में गाँव सभा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया–

क्र.स.	प्रस्ताव जो रखा गया	प्रस्ताव जो पास हुआ	हस्ताक्षर
1.	गाँव का सीमांकन, गाँव सभा संयोजन और गाँव गणराज्य की स्थापना	हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और राजस्थान पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3 (क) के तहत गाँव सभा का गठन किया और 3 (ख) के तहत हमारी गाँव सभा हमारी परम्परा और रूढ़िवादी तरीके से संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम है। इस आधार पर हमने भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गाँव गणराज्य की स्थापना का निर्णय लिया है। गठित गाँव सभा के अनुसार गाँव की भौगोलिक सीमाएं, नजरी नक्शा के अनुसार पड़ोसी गाँव निम्न प्रकार हैं- पूर्व.....पश्चिम.....उत्तर.....दक्षिण..... हमारे गाँव में निवास करने वाले समूह और उनके सामान्य प्रचलित नाम- 1.....2.....3.....4.....5.....6..... सर्व सम्मति से शांति समिति गठन किया जाता है। शांति समिति के सदस्यों के नाम- 1..... 2.....3.....4.....5.....6..... 7..... 8..... 9..... 10.....11.....12..... 13.....14.....15.....16.....17.....18..... 19.....20.....	
2.	सामुदायिक संपदा का परंपरा के अनुसार संरक्षण और परिरक्षण करने पर विचार	गाँव समाज अपनी सीमा के अन्दर आने वाले संसाधनों का अपनी परम्परा के अनुसार प्रबंधन करता आ रहा है। उसे रेखांकित करते हुए राज्यपाल महोदय को अनुच्छेद 243 (छ) के तहत हमारे रहवास को गाँव के रूप में अधिसूचित करने के लिए आग्रह किया है। इस ग्राम सभा को धारा 3 (ख) के तहत लगभग उन सभी क्रियाकलापों के लिए संवैधानिक सक्षमता स्वीकार की गयी है जो किसी भी जीवित समाज की सहज गतिविधियाँ होती हैं। नयी व्यवस्था के अनुसार हमारे रहवास में स्थित सभी संसाधनों जैसे- जल, जंगल और जमीन शामिल हैं। इनका प्रबंधन हमारी गाँव समाज के सदस्यों द्वारा परम्परा के अनुसार संसाधनों का उपयोग एवं परिरक्षण किया जायेगा।	
3.	सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रम नियंत्रण	ग्राम पंचायत..... राजस्व गाँव..... संविधान के अनुच्छेद 224 खंड (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आता है जिसमें राजस्थान पंचायती राज (उपंबधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंद्ध में उपांतरण) पेसा अधिनियम 1999 (1999 अधिनियम सख्यां 16) के अंतर्गत धारा 3 (ग) (घ) एंव पेसा नियम 2011 के नियम 2 के उपनियम (2) के तहत अब तक गाँव सभा का आयोजन नहीं किया गया है, जिसके कारण गाँव के गरीब आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं द्वारा गाँव के सामाजिक, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर निगरानी नहीं हो पा रही है। अत: सर्व सहमति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम पंचायत..... को अधिसूचित किया जाय कि गाँव की गाँव सभा आयोजन कर सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रम का पूर्व अनुमोदन, लाभार्थियों कि पहचान एवं गाँव सभा से उपयोगिता प्रमाण प्रत्र जारी करना। इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही करने हेतु निम्न सदस्यों को अधिकृत किया जाता है– 1.....2.....3.....4.....5.....	

Manual_Handbook.indd 88 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट III

गांव का विवरण

दिनांक.....

गाँव का नाम..... फलों कि संख्या.....

ग्राम पंचायत.....ब्लाक का नाम.....जिला.....

जिला कार्यालय से दूरी.....गाँव में शिलालेख कब हुआ.....गाँव सभा का गठन.....

लोगों के बीच पेसा कानून की जानकारी.....गाँव का पूरा रकबा.....

कृषि जमीन.....बेनामी जमीन.....जंगल की जमीन.....

खेती की उपजः .....

खाने में शामिल अनाज व उसकी उपलब्धताः.....

गांव में सरकारी राशन की दुकान है या नहीं:....., यदि नहीं है तो किस गांव में है .....

जानवर व चारे की उपलब्धताः.....

चारागाह की जमीन.....कुल घरो की संख्या.....कुल आबादी.....

जातियां ST ..... SC ..... OBC.....

सामान्य जातियां.....

बिजली की सुविधा कितने घरों में है.....आंगनवाड़ी कि संख्या.....

प्राइमरी स्कूल..... बच्चों कि संख्या..... अध्यापकों की संख्या.....

मिडिल स्कूल..... बच्चों की संख्या..... अध्यापकों की संख्या.....

सेकेंडरी स्कूल..... बच्चों की संख्या..... अध्यापकों की संख्या.....

सीनियर सेकेंडरी स्कूल..... बच्चों की संख्या..... अध्यापकों की संख्या.....

गाँव में उपस्वास्थ्य केंद्र : हाँ/नहीं

यदि नहीं तो नजदीकी उपस्वास्थ्य केंद्र कहां और गाँव से दूरी.....

सरकारी अस्पताल कहां और गाँव से दूरी.....

मरीजों को अस्पताल ले जाने की सुविधा: है/नहीं, यदि नहीं तो कैसे लेकर जाते हैः.....

पशु अस्पताल कहां और गाँव से दूरीः .....

आवागमन का साधन व उसके मिलने की दूरीः.....

रोजगारः .....

मनरेगा में महिलाओ की भागीदारीः.....

सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की संख्याः.....

क्या आपके गांव में पहाड़ हैः है/नहीं, यदि है तो उस पर स्वामित्व किसका हैः.....

Manual_Handbook.indd 89 20/03/20 6:25 pm

खनिजः है/नहीं, यदि है तो कौन-कौन सेः.....

क्या आपके गांव में जंगल हैः है/नहीं, यदि है तो उस पर कब्जा किसका हैः .....

लघु वन उपजः.....उपभोग /बिक्रीः.....

गांव से बाज़ार की दूरीः.....

सिचाई के साधन टूबवेल, तालाब , नाला, नदी, नहर, कुंआः.....

एनीकट की संख्या .....उनकी स्थिति .....

पीने के पानी कि वयवस्था व पानी की शुद्धताः.....

पेंशन लाभार्थियों की संख्या.....

वृद्ध पेंशनः- महिला ..... पुरुष .....विधवा पेंशन.....एकल नारी .....

इंदिरा आवास योजना लाभार्थियों की संख्याः.....

प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों की संख्याः.....

मुख्यमंत्री आवास योजना लाभार्थियों की संख्याः.....

धार्मिक पहचान व मंदिरः.....

1. स्कूल से वंचित बच्चों का विवरण

क्र.स.	नाम / घर सख्यां	बच्चों की सख्यां	कारण

2. सामाजिक सुरक्षा से वंचित लोगों का विवरण

क्र.स.	योजना का नाम	नाम / घर सख्यां	कब से	कारण
1.	वृद्धा पेंशन			
2.	विकलांग पेंशन			
3.	विधवा पेंशन			
4.	खाद्य सुरक्षा			
5.	इंद्रा आवास/सीएम आवास/पीएम आवास			
6.	बीपीएल			
7.	स्टेट बीपीएल			
8.	अन्तोदय योजना			
9.	एकल नारी पेंशन			
10.	बाल पालनहार योजना			
11.	आंगनबाड़ी			
12.	जननी सुरक्षा योजना			
13.	जनजाति छात्रावास			
14.	मनरेगा योजना			
15.	श्रमिक कार्ड			
16.	टीकाकरण – बच्चे			

Manual_Handbook.indd 90 20/03/20 6:25 pm

17.	टीकाकरण – महिलायें			
19.	नि:शुल्क दवा			
20.	नि:शुल्क पाठयपुस्तक			
21.	छात्रवृति योजना			
22.	उज्जवला गैस योजना			
23.	खाद-बीज अनुदान योजना			
24.	कृषि उपकरण अनुदान योजना			

3. मूलभूत सेवाओं से दूरी

क्र.स.	सेवा का नाम	स्थान	दूरी	वर्तमान स्तिथि	यातायात साधन
1.	स्वास्थ्य केन्द्र				
2.	पशु चिकित्सालय				
3.	राशन दुकान				
4.	पोस्ट ऑफिस				
5.	बस स्टैंड				
6.	पुलिस थाना				
7.	स्कूल				
8.	कॉलेज				

4. लघु वन उपज की स्थिति और उपयोग

क्र.स.	उपज का नाम	पहले की स्थिति			वर्तमान स्थिति			उपयोग
		पौधों की सख्यां	क्षेत्र	उपज की मात्रा	पौधों की सख्यां	क्षेत्र	उपज की मात्रा	

सहभागियों के नाम व मोबाइल नम्बरः

1.

2.

3.

4.

Manual_Handbook.indd 91 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट IV

गाँव विकास योजना बनाने से पहले सरपंच/सचिव को दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र

सूचना

दिनांक.....

सेवा में

श्रीमान सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत .....

महोदय,

पेसा कानून 1996, राजस्थान पेसा अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत गाँव ..... की गाँव सभा की घोषणा दिनांक ..... को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा-पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक ..... को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष..... के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष .....

शांति समिति

सचिव .....

शांति समिति

Manual_Handbook.indd 92 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट V

एजेंडे की सूचना का प्रपत्र

सूचनार्थ

सेवा में दिनांक .....

श्रीमान सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत .....

महोदय,

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत गाँव सभा .....के गाँव विकास के प्रस्तावों का अनुमोदन दिनांक ..... को किया जायेगा, जिसमें आप की उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आप से अनुरोध है की उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा करें।

स्थान..... समय..... दिनांक.....

एजेण्डा-

1. चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
2. एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
3. तालाब निर्माण/गहरीकरण के सम्बन्ध में विचार।
4. नए हैंडपंप लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
5. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
6. पी.एम. और सी. एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
7. पेंशन – वृद्धा, विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार के सम्बन्ध में विचार।
8. शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
9. स्कूल के सम्बन्ध में- अध्यापकों की नियुक्ति, कक्ष निर्माण / मरम्मत, परकोटा निर्माण, शुद्ध पानी की व्यवस्था, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था।
10. उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में विचार।
11. राशन की दुकान के सम्बन्ध में विचार।

Manual_Handbook.indd 93 20/03/20 6:25 pm

12. सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में विचार।

13. आंगनबाड़ी के सम्बन्ध में विचार।

14. खेत समतलीकरण/पशुबाडा निर्माण/खेत तलावडी निर्माण/नए कुंए के निर्माण और पुराने कुंए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।

15. वृक्षारोपण के सम्बन्ध में विचार।

16. सामुदायिक वन दावा करने के सम्बन्ध में विचार।

17. काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध में विचार।

18. सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बन्ध में विचार।

19. गाँव के आपसी सामाजिक विवादों का निपटारा शांति समिति द्वारा किया जाएगा।

20. सामाजिक कुरीतियों पर रोक के सम्बन्ध में- डायन प्रथा /मौताना /बाल विवाह/बाल श्रम

21. शमशान घाट के सम्बन्ध में विचार।

22. अन्य .....

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सरपंच
2. सचिव
3. ए.एन.एम
4. प्रधानाध्यापक
5. वार्ड पंच
6. राशन डीलर
7. पटवारी
8. ग्राम सेवक
9. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
10. अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामाजिक संस्था जो गावं में कार्य कर रही है।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष
शांति समिति

सचिव
शांति समिति

नोट:- राजस्थान सरकार के पेसा नियम 2011 के अनुसार यह सूचना बैठक से 7 दिन पहले उपरोक्त लोगों के पास बैठक में शामिल होने के लिये दी जायेगी। बैठक में सरपंच और सचिव के नहीं आने पर गाँव सभा उपस्थित लोगों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के लिये प्रस्ताव करेगी और कुछ लोग उसका अनुमोदन करके बैठक के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। बैठक की कार्यवाही लिखने के लिये भी इसी तरह सचिव का भी चुनाव किया जायेगा। उसके बाद कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Manual_Handbook.indd 94 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट VI

गाँव विकास योजना के प्रस्ताव का प्रारूप

पेसा कानून 1996, राजस्थान पेसा अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक .....को.....गाँव की गाँव सभा की बैठक.....पर आयोजित की गयी। गाँव सभा में मौजूद गाँव वासियों ने.....को अध्यक्ष चुना, जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र.सं.	प्रस्ताव जो रखे गए	प्रस्ताव जो पारित हुए	अनुमानित राशि	सम्बन्धित विभाग	हस्ताक्षर
1.	**पेंशन के सम्बन्ध में –** **वृद्धा पेंशन** 1. 2. 3. **विधवा पेंशन** 1. 2. 3. **विकलांग पेंशन** 1. 2. 3. **एकल नारी पेंशन** 1. 2. 3. **पालनहार के सम्बन्ध में** 1. 2. 3.	प्रस्ताव न. 1 में प्रस्तावित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकलनारी पेंशन, पालनहार के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए तथा निम्नलिखित लोगों को आवेदन करवाने की जिम्मेदारी दी गई। 1. 2. 3.	वृद्धा पेंशन 750x3 =2250/- प्रतिमाह विधवा पेंशन 750x3 =2250/- प्रतिमाह विकलांग पेंशन 750x3 =2250/- प्रतिमाह एकलनारी पेंशन 750x3 =2250/- प्रतिमाह पालनहार 0-5 वर्ष 500/- प्रतिमाह 6-18 वर्ष 1000/- प्रतिमाह	समाज कल्याण विभाग (पेंशन योजना)	

Manual_Handbook.indd 95 20/03/20 6:25 pm

2.	**पी.एम. और सी.एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध में–** नए आवेदन 1. 2. 3. बकाया किस्त भुगतान 1. 2. 3.	प्रस्ताव न. 2 में प्रस्तावित पी.एम./सी. एम. आवास निर्माण और बकाया क़िस्त भुगतान करवाने के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए तथा निम्नलिखित लोगों को आवेदन करवाने की जिम्मेदारी दी गई। 1. 2. 3.	पी.एम./सी.एम. आवास नए आवेदन 1,48,000x3 4,44,000/- बकाया किस्त भुगतान 10,500x=3 31,500/-	पंचायती राज विभाग (प्रधानमंत्री आवास योजना)	
3.	**शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में** नए आवेदन 1. 2. 3. बकाया भुगतान 1. 2. 3.	प्रस्ताव न. 3 में प्रस्तावित शौचालय निर्माण और बकाया भुगतान के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए तथा निम्नलिखित लोगों को आवेदन करवाने की जिम्मेदारी दी गई। 1. 2. 3.	शौचालय नए आवेदन 12,000x3 =36,000 बकाया भुगतान 12,000x3 =36,000	पंचायती राज विभाग (स्वच्छ भारत योजना)	
4.	**स्कूल के सम्बन्ध में** अध्यापकों की नियुक्ति, कक्ष निर्माण/मरम्मत परकोटा निर्माण, शुद्ध पानी की व्यवस्था, छात्र - छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था।	प्रस्ताव न. 4 में प्रस्तावित स्कूल सम्बन्धित सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए।	कक्ष निर्माण/ मरम्मत 2,00,000/- प्रति कक्ष परकोटा निर्माण 3,00,000/- शुद्ध पानी की व्यवस्था 1,00,000/- छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था 1,00,000/-	शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग	
5.	**उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में** गाँव में उपचार की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक उप स्वास्थ्य केन्द्र स्कूल के पास खोला जाए।	प्रस्ताव न. 5 में प्रस्तावित उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	5 लाख रुपये	स्वास्थ्य विभाग	
6.	**राशन की दुकान के सम्बन्ध में** गाँव में राशन की दुकान की व्यवस्था नहीं होने के कारण उपला फला में एक राशन की दुकान खोली जाए।	प्रस्ताव न. 6 में प्रस्तावित राशन की दुकान का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	राशन की दुकान 3,00,000/-	खाद्य विभाग, पंचायती राज विभाग	

Manual_Handbook.indd 96 20/03/20 6:25 pm

7.	**सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में** गाँव में सामुदायिक भवन का निर्माण घाटिया फला में धुनी के पास किया जाए।	प्रस्ताव न. 7 में प्रस्तावित सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	सामुदायिक भवन निर्माण 5,00,000/-	पंचायती राज विभाग, विधायक/ सांसद निधि	
8.	**आंगनबाड़ी के सम्बन्ध में** गाँव में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण डामोर फला में किया जाए।	प्रस्ताव न. 8 में प्रस्तावित आंगनबाड़ी भवन निर्माण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	आंगनबाड़ी भवन निर्माण 5,00,000/-	महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग	
9.	**रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में** 1. कृष्ण गोपाल के घर से मुख्य सड़क तक कच्चा रास्ता 2. कांतिलाल नाना के घर से मुख्य सड़क तक कच्चा रास्ता 3. रामू कालिया के घर से मुख्य सड़क तक कच्चा रास्ता	प्रस्ताव न. 9 में प्रस्तावित कच्चे रास्तों के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए।	रास्ता निर्माण- कच्चा रास्ता - 1000 रु. प्रति मीटर आर.सी.सी. सड़क - 3000 रु. प्रति मीटर डाबर सड़क - 6000 रु. प्रति मीटर	पंचायती राज विभाग (मनरेगा योजना)	
10.	**तालाब निर्माण / गहरीकरण के सम्बन्ध में** 1. प्रभु/कालिया के खेत के पास तालाब का गहरीकरण और उसकी रिंगवाल का निर्माण - फला हितरी ढोल 2. मगनलाल/हूजा के खेत के पास नया तालाब निर्माण – फला भूगड़ा	प्रस्ताव न. 10 में प्रस्तावित तालाब निर्माण व गहरीकरण के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए।	3,00,000/-	जल संग्रहण विभाग, पंचायती राज विभाग	
11.	**नए हैण्डपम्प लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।** **नए हैण्डपम्प** 1. लीला/गौतम के घर के पास नया हैण्डपम्प लगाना है - फला पालियादारा 2. शांतिलाल/प्रभु के घर के पास नया हैण्डपम्प लगाना है - फला उटा **हैण्डपम्प की मरम्मत** नाना/रूपा के घर के पीछे लगे हैण्डपम्प की मरम्मत करना है - फला पालियादार	प्रस्ताव न. 11 में प्रस्तावित नए हैण्डपम्प लगाने और पुराने की मरम्मत के सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गए।	नए हैण्डपम्प 55,000x2= 1,10,000/- हैण्डपम्प की मरम्मत 20,000x1 =20,000/	जलदाय विभाग, पंचायती राज विभाग, विधायक/ सांसद निधि, पंचायत समिति/ जिला परिषद	

Manual_Handbook.indd 97 20/03/20 6:25 pm

12.	**खेत समतलीकरण/ पशुबाड़ा निर्माण/खेत तलावड़ी निर्माण/नए कुंए के निर्माण और पुराने कुंए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में** 1. हीरा/रूपजी के खेत में – फला पालियादरा 2. मणिलाल/दिता के खेत में - फला पालियादरा 3. कमला/लालजी के खेत में - फला पालियादरा 4. गट्टू/खातरा के खेत में - फला कालातालाब	प्रस्ताव न. 12 में प्रस्तावित खेत समतलीकरण/पशुबाड़ा निर्माण/खेत तलावड़ी निर्माण/ नए कुंए के निर्माण और पुराने कुंए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए।	खेत समतलीकरण/ पशुबाड़ा निर्माण/खेत तलावड़ी निर्माण/नए कुंए के निर्माण और पुराने कुंए के गहरीकरण व मरम्मत 3,00,000x4 = 12,00,000/-	पंचायती राज विभाग (मनरेगा योजना)	
13.	**चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में** 1. बाबूलाल/मोगा - फला कालातालाब 2. रमेंश/पूंजा - फला उटा 3. भाना/पीरजी - फला पालियादारा	प्रस्ताव न. 13 में प्रस्तावित चेकडैम निर्माण के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए।	चेकडैम निर्माण 1,00,000x3 = 3,00,000/-	पंचायती राज विभाग (मनरेगा योजना)	
14.	**एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध में** 1. कबड़ा वाला दर्रा पर	प्रस्ताव न. 14 में प्रस्तावित एनिकट निर्माण और मरम्मत के प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए।	एनिकट निर्माण 8,00,000/-	जल संग्रहण विभाग, पंचायती राज विभाग	
15.	**वृक्षारोपण के सम्बन्ध में** 1. 2. 3.	प्रस्ताव न. 15 में प्रस्तावित वृक्षारोपण के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गए।	वृक्षारोपण 20,000x3 = 60,000/	वन विभाग, पंचायती राज विभाग	
16.	**सामुदायिक वन दावा करने के सम्बन्ध में**	प्रस्ताव न.16 में प्रस्तावित सामुदायिक वन दावा करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।	-	वन विभाग	
17.	**काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध में**	प्रस्ताव न.17 में प्रस्तावित काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	-	वन विभाग	
18.	**सामाजिक विवाद निपटारा के सम्बन्ध में** गांव के आपसी सामाजिक विवादों का निपटारा शांति समिति द्वारा किया जाएगा	प्रस्ताव न. 18 में प्रस्तावित सामाजिक विवादों का निपटारा शांति समिति द्वारा गावं सभा में किया जाएगा का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।			

Manual_Handbook.indd 98 20/03/20 6:25 pm

19.	**सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में** डायन प्रथा, मौताना, बाल विवाह, बाल श्रम को समाप्त करने के संदर्भ में	प्रस्ताव न. 19 में प्रस्तावित सामाजिक कुरीतियों डायन प्रथा, मौताना, बाल विवाह , बाल श्रम को समाप्त करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।			
20.	**शमशान घाट के सम्बन्ध में** शमशान घाट में टिन शेड का निर्माण और परकोटे का निर्माण	प्रस्ताव न. 20 में प्रस्तावित शमशान घाट में टिन शेड का निर्माण और परकोटे के निर्माण का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	2,00,000/-	पंचायती राज विभाग	

गाँव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया जाता है।

1..... 2 ..... 3 .....

4..... 5..... 6.....

अध्यक्ष द्वारा गावं सभा की बैठक में उपस्थित लोगों को धन्यवाद देकर गांव सभा की बैठक का समापन किया गया।

हस्ताक्षर

(बैठक अध्यक्ष)

अध्यक्ष

(शांति समिति)

सचिव

(शांति समिति)

Manual_Handbook.indd 99 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट VII

कवरिंग लेटर का प्रारूप

सेवा में, दिनांक.....

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,

ग्राम पंचायत .....

विषय : गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और राजस्थान पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3 (क) के तहत गाँव सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3 (ग) (।) के तहत ग्राम पंचायत को किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की गाँव सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हम हमारी गाँव सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवा रहे हैं, जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय

अध्यक्ष

शांति समिति

गाँव.....

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय .....
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी .....
3. श्रीमान विकास अधिकारी .....
4. निजी रिकॉर्ड

Manual_Handbook.indd 100 20/03/20 6:25 pm

परिशिष्ट VIII

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में विभिन्न विभागों से पंचायत को मिलने वाला बजट

1. मनरेगा : मनरेगा (जॉब कार्ड के आधार पर) में गाँव सभा के सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन काम की गारंटी मिलती है और प्रतिदिन मजदूरी 199 रुपया है। मान लिया जाए कि किसी गाँव में 100 जॉब कार्ड हैं तो

   कुल जॉब कार्ड x कुल दिन x कुल मजदूरी
   100 x 100 x 199= 1990000 रुपया
   कुल मजदूरी 1990000 रुपया का 40% मैटेरियल का पैसा (जो लगभग 800000 रुपया) भी जुड़ जाता है। जो लगभग 2970000 रुपया होता है। केवल मनरेगा से ही अगर गाँव में 100 जॉब कार्ड है तो 2970000 रु. प्रति वर्ष आता है।

2. T.S.P. - Tribal Sub Plan जनजातिय उप योजना के अन्तर्गत पांचवीं अनुसूची के ग्राम पंचायतों को मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौ पालन, फलदार पौधे इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

3. B.R.G.F. – Backward Regions Grant Fund पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत पुलिया, पक्की सड़क, सी.सी. सड़क इत्यादि पर खर्च किया जाता है ।

4. T.A.D.A. – Tribal Area Development Authorities जनजातिय क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुंओं में ब्लास्टिंग, सम्पर्क सड़क, एनिकट निर्माण, छात्रावास निर्माण, डीजल पम्प सेट, विद्युत कनेक्शन के लिए आर्थिक मदद करता हैं।

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग: पक्की सड़क, पुलिया इत्यादि योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध करवाता हैं।

6. सांसद, विधायक, प्रधान तथा जिला प्रमुख अपनी निधि से, हैण्डपम्प, सार्वजनिक कुंआ, विद्यालय भवन मरम्मत, खेल मैदान, चारदिवारी, पंचायत भवन, रास्ता निर्माण आदि सार्वजनिक कार्यों के लिए अपने क्षेत्र में पैसा खर्च कर सकते हैं। यह पंचायत और जनप्रतिनिधि के सम्बन्धों पर निर्भर है कि वह पंचायत में अपने मद से कितना पैसा देते हैं।

7. सिंचाई विभाग (50 लाख तक पंचायत, इससे अधिक होने पर सिंचाई विभाग) : सिंचाई विभाग, नहर निर्माण, जिस बांध के बनाने में 50 लाख से ज्यादा खर्च हो उसका निर्माण नदियों से पानी नहर में पानी के लिए लिफ्ट पम्प आदि पर खर्च करता है।

8. समाज कल्याण विभाग (समस्त पेंशन योजनायें) : विधवा, वृद्धा, विकलांग, एकल नारी और पालन हार योजनाओं के लाभार्थियों की पेंशन के लिए पैसा देता है।

9. शिक्षा विभाग : विद्यालय निर्माण, खेल मैदान, चारदीवारी, आरओ, शौचालय निर्माण के लिए पैसा देता है।

10. महिला एवं बाल विकास विभाग : गाँव में आंगनबाड़ी, माँ वाड़ी निर्माण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार की व्यवस्था करता है।

11. स्वास्थ्य विभाग : स्वास्थ्य भवन निर्माण और स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुफ्त दवाइयों के वितरण के लिए पैसा देता है।

Manual_Handbook.indd 101 20/03/20 6:25 pm

12. रसद एवं खाद्य विभाग : गाँव में बंटने वाले सरकारी राशन के लिए तथा राशन की दुकान निर्माण या राशन की दुकान के किराए के लिए पैसा देता है।

13. वन विभाग : गाँव में वृक्षारोपण के लिए पौधे, जंगल के विकास के लिए जंगल में मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण, पानी के लिए छोटे-छोटे बांध, बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए पैसे खर्च करता है।

14. कृषि विभाग : उन्नतशील बीज, खाद, पशुओं का चारा, कृषियंत्र, कीटनाशक दवाइयां इत्यादि छूट के साथ उपलब्ध कराता है।

15. उद्यान विभाग : सार्वजनिक जमीन पर वृक्षारोपण तथा व्यक्तिगत बागवानी करने के लिए पौधे, मजदूरी, सिंचाई की व्यवस्था तथा 5 वर्ष तक देखरेख की व्यवस्था।

16. जलदाय विभाग : गाँव में शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था, आरओ लगाना, गाँव के कुंओं में दवा की व्यवस्था करना।

17. जल स्वाबलम्बन योजना : गाँव में भूजल स्तर ऊँचा करने के लिए छोटे-छोटे कच्चे-पक्के बांध बनाना।

18. अकाल या क्षति होने पर : गाँव में सूखा पड़ने, बाढ़ आने या अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान के लिए अनुदान राशि।

Manual_Handbook.indd 102 20/03/20 6:25 pm

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) प्रतिबद्ध और अनुभवी लोगों का ऐसा समूह है जो स्थानीय एवं व्यापक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में प्रयत्नशील है।

इस क्रम में जीवनयापन के लिए जूझ रहे व्यक्तियों एवं समुदायों और अपनी अस्मिता को बचाए रखने तथा जनतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत जन समूहों की जानकारी एवं ज्ञान में बढ़ोत्तरी करना पीस का मुख्य सरोकार रहा है।

विगत कुछ वर्षों से पीस समान सोच वाले समूहों और जन संगठनों के बीच संवाद की प्रक्रिया चला कर व्यापक स्तर पर चलने वाले जन आंदोलनों और गठबंधनों की प्रक्रिया को भी मजबूत करने हेतु प्रयत्नशील है।

मौजूदा पुस्तिका की तर्ज पर ही हमने पहले भी आम जन जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर शिक्षण सामग्री का निर्माण व प्रकाशन किया है। इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण सामग्री है-

- ज्ञान की पूंजी पर पूंजी का शिकंजा
- पूंजी के निशाने पर पानी
- बाजारीकरण के दस साल
- नकेल कसती जा रही है
- कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना : वन अधिकार अधिनियम 2006
- परमाणु ऊर्जा : सस्ती साफ बिजली या महाविनाश को बुलावा
- पंचायती राज और जनसहभागिता : कार्यकर्ता प्रशिक्षण (मैनुअल)
- स्थानीय कार्यकर्ता के लिए अपील हैंडबुक
- विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध जनता का घोषणा पत्र
- यहीं पर निगाहें यहीं पर निशाना : प्रस्तावित भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्तापन विधेयक 2011 का खुलासा
- जिंदगी पर मंडराते परमाणु के बादल
- आर्थिक उछाल की असलियत
- उड़ीसा के जनसंघर्ष : सबक और चुनौतियां
- हिमाचल प्रदेश के जनसंघर्ष : न्याय के लिए बढ़ते कदम
- मध्य प्रदेश के जनसंघर्ष : आजीविका का सवाल
- पूर्वाग्रह मुक्त शिक्षा और अल्पसंख्यक : शिक्षकों के लिए हैंडबुक
- भारत राष्ट्र राज्य एवं सांस्कृतिक विविधता
- उत्तर प्रदेश के आंदोलनरत किसानों पर राज्य दमन : एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट
- डूंगरपुर, राजस्थान में आयोजित गांव विकास नियोजन कार्यशालाओं की रिपोर्ट
- राजस्थान के सन्दर्भ में : पेसा कानून और गांव सभा की भूमिका

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)
ए-124/6, दूसरी मंजिल,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016
फोनः 011-26968121/26858940
ईमेलः peaceactdelhi@gmail.com
वेब : https://populareducation.in/